मेक इन इंडिया

रक्षक

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

छ:माही पत्रिका अंक–5,

हि इ लि
समृद्धि हेतु सुरक्षा

कीटनाशक, फंगसनाशक, शाकनाशी, बीज, उर्वरक, बॉयो पेस्टिसाइडस, सूक्ष्म पोषक तत्व

हिल (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्व में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड)
(भारत सरकार का उद्यम)

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिल (इंडिया) लिमिटेड को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 14.09.2018 को आयोजित हिन्दी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय उप राष्ट्रपति महोदय श्री एम. वेंकैया नायडू के कर–कमलों से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डॉ0 एस.पी.मोहन्ती ने प्राप्त किया

मुख्य संरक्षक
डॉ0 एस.पी. मोहन्ती
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संरक्षक
श्री अंजन बनर्जी
निदेशक (वित्त)

संपादक
श्रीमती शान्ति ध्रुव

सहायक संपादक मण्डल
श्री पी.सी. सिंह
श्री एस. चट्टोपाध्याय
श्री अनिल यादव
डॉ0 विशाल चौधरी
श्री राजेन्द्र थापर
श्री ए.एन. सिंह
श्री एस.एन. नान्दल
श्री अनिल सूद

संपादन सहयोग

रसायनी यूनिट
श्री पी.डी. संकपाल, यूनिट प्रमुख
श्री धीरज कुमार मिश्र

बठिंडा यूनिट
श्री ए.के. श्रीवास्तव, यूनिट प्रमुख

उद्योगमण्डल यूनिट
श्री एम.एस. अनिल, यूनिट प्रमुख
श्रीमती विजयलक्ष्मी एस

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का पूर्ण दायित्व स्वयं लेखकों का है। अतः पत्रिका में निहित रचनाओं के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड प्रबंधन उत्तरदायी नहीं है।

रक्षक

छःमाही पत्रिका

अंक–5 (अप्रैल, 2018 से सितम्बर, 2018)

* संदेश – अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक– डॉ0 एस. पी. मोहन्ती 01
* संदेश – निदेशक (वित्त) – अंजन बनर्जी 03
* संपादकीय 05
* नियत अवधि रोजगार 06
* शुभारंभ – हिल (इंडिया) लिमिटेड की बीज परीक्षण प्रयोगशाला 09
* कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग 10
* तकनीकी उपलब्धियां 12
* राजभाषा का हिन्दी परिप्रेक्ष्य और विकास हिंदी दिवस पर विशेष 13
* इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मातृभाषा 16
* हिंदी के प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वर्ष 2018–19 का वार्षिक कार्यक्रम 17
* हिन्दी पखवाड़ा 2018 18
* बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ 20
* माँ और बेटी–ईश्वर के दो अद्भुत वरदान 20
* हिन्दी पखवाड़े की झलकियां 21
* मानसून में बीमारियाँ–रोकथाम और उपचार 23
* प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार विधि 25
* दो लाभदायक जड़ी–बूटियाँ 29
* अच्छे स्वास्थ्य के लिए हाथों की स्वच्छता जरूरी 30
* अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की झलकियाँ 32
* प्लास्टिक बैग उपयोग को कहें न 33
* बिजली का दुरूपयोग रोकना 35
* एसएपी (SAP) के लिए मुख्य पाठ्यक्रम 37
* सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर के संरक्षण का संकल्प–2014 38
* टेंडर प्रक्रिया के विभिन्न चरण और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश 40
* आयकर भरने के तरीके, छूट एवं लाभ 44
* नए उत्पाद विक्रय की चुनौतियाँ और उनका मुक़ाबला 47
* सामग्री प्रबन्धन 48
* टेबल टेनिस – खिलाड़ी और कोच 49
* किरण (कविता) 51
* देश भक्ति (कविता) 51
* क्योंकि मैं हूँ, भूली बिसरी हिन्दी 52
* हिन्दी की व्यथा 52
* तीन चीज़ें 52
* विरोध प्रदर्शन और नुकसान 53
* हमारे आस–पास 53
* मन की बात अनमोल फरिश्ता 54
* प्रेरणा स्त्रोत 55
* ऊंचा उठो 55
* दहेज एक अभिशाप 56
* कुदरत का उपहार – बेटी 56
* पासवर्ड 57
* हिल (इंडिया) लिमिटेड का राजभाषा के क्षेत्र में योगदान– विश्व हिन्दी परिषद के सौजन्य से राजभाषा संगोष्ठी एवं तकनीकी कार्यशाला का आयोजन 58
* हिल (इंडिया) लिमिटेड का राजभाषा के क्षेत्र में योगदान– राजभाषा प्रदर्शनी 59
* गूगल वॉइस टाइपिंग पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन एवं रक्षक पत्रिका के नए अंक का विमोचन 60
* गूगल वॉइस टाइपिंग पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन 61
* स्वतंत्रता दिवस समारोह 62
* स्वतंत्रता दिवस समारोह 2018 63
* हार्दिक बधाई 64
* स्वच्छ भारत अभियान शपथ 66
* स्वच्छ भारत अभियान में हिल की सहभागिता 67
* सेवानिवृत्ति एवं त्याग पत्र प्राप्त अधिकारी एवं कर्मचारी 69

डॉ0 एस. पी. मोहन्ती
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की लेखनी से

हिल (इंडिया) लिमिटेड की गृह पत्रिका 'रक्षक' का नवीन अंक आपको सौंपते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। पत्रिका हिल परिवार की राजभाषा हिन्दी के प्रति रूचि बढ़ाने तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा नियम, अधिनियम एवं नीतियों से पाठकों को अवगत कराने के साथ–साथ कंपनी की विभिन्न गतिविधियों का भी दर्पण है।

जैसा कि मैंने अपने पिछले संबोधन में कहा है कि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तथा इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता के साधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। देश में कृषि आदानों की आवश्यकताओं को पूरा करने और कृषि के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा बीज अवरसंरचना को सशक्त करने के उद्देश्य से कंपनी में बीज भण्डारण एवं बीज प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बीजों के सही भण्डारण तथा प्रसंस्करण द्वारा गुणवत्तावान बीज तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे किसानों की फसल पैदावार में वृद्धि होगी तथा माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का सपना पूरा करने में योगदान करने का कंपनी का प्रयास जारी रहेगा। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि, कंपनी ने बीज कारोबार की ऊंचाईयों को छूते हुए, किसानों के मध्य विश्वसनीयता बनाए रखने तथा बीजों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने हेतु विभिन्न आयोजकों/किसानों के माध्यम से कंपनी द्वारा उत्पादित बीजों पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण करने के उद्देश्य से कंपनी के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, गुरूग्राम में एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला को संस्थापित किया है। इस प्रयोगशाला का संस्थापन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया गया है।

कंपनी कृषि आदानों के समान ही जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी अपनी वचनबद्धता पर अडिग है तथा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और कीट वैक्टर द्वारा फैलने वाले अन्य रोगों का अधिक से अधिक नियंत्रण और रोकथाम करने के लिए लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक युक्त मच्छरदानी (एल.एल.आई.एन) का विनिर्माण कार्य भी कंपनी के महाराष्ट्र में स्थित संयंत्र में शीघ्र ही आरम्भ हो जाएगा। यह क्रांतिकारी तकनीक वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

प्रधानमंत्री "कौशल विकास योजना" के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से मालियों के लिए विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। कंपनी ने देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को एकीकृत कीट प्रबन्धन अपना कर फसलों पर कृषि–रसायनों के सुरक्षित एवं विवकेपूर्ण उपयोग करने के लिए 19 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, कृषि रसायनों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, पैस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हुए सुरक्षा उपाय अपनाने, मानक एवं गुणवत्ता वाले कृषि रसायनों की केवल प्रामाणिक स्रोतों एवं नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र से

खरीद और उनके परामर्श से छिड़काव कार्य के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड के प्रयासों की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ–साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी सराहना की गई।

कंपनी अपने व्यावसायिक हितों तथा निगमित सामाजिक दायित्वों का ध्यान रखने के साथ–साथ राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील है। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी को अभी तक के इतिहास में पहली बार राजभाषा हिन्दी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित द्वितीय पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई है। रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अधीन 'क' क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से राजभाषा हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन करने पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह अंक कृषि एवं जन स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान वर्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

(एस.पी. मोहन्ती)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अंजन बनर्जी
निदेशक (वित्त)

संदेश

पत्रिका "रक्षक" का नवीन अंक अपने सुधी पाठकों को समर्पित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। पत्रिका एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचार, भावनाओं, प्रतिभाओं एवं राजभाषा गतिविधियों और संस्थान के कार्यकलापों की जानकारी एक ही मंच से प्राप्त होने के साथ–साथ कार्मिकों की छुपी हुई सृजनात्मक प्रतिभा को भी एक नया आयाम मिलता है।

जैसा कि मैंने पिछले अंक के अपने संबोधन में कहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि में गुणवत्तावान कृषि रसायन, बीज तथा उर्वरक का विशेष महत्व होता है क्योंकि हमारे यहाँ फसलों की आवश्यकतानुसार सर्वोत्तम जलवायु होते हुए भी लगभग सभी फसलों का औसत उत्पादन कम है। जिसका प्रमुख कारण कृषकों द्वारा कम गुणवत्ता वाले बीजों का लगातार प्रयोग है। कृषि की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और देश में कृषि के पैदावार बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए कंपनी लगातार प्रयत्नशील है। कंपनी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम) तथा तिलहन एवं ऑयल पाम राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ओ.ओ.पी.), जो भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को दलहन एवं तिलहन के अधिक उपज देने वाले बीजों की नवीनतम किस्मों की मिनीकिट की आपूर्ति के लिए सक्रियतापूर्वक भाग लिया है। कंपनी भारत के विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क के माध्यम से अधिक से अधिक गुणवत्तावान उर्वरक की भी आपूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि हिल एकमात्र ऐसा उपक्रम है जो किसान समुदाय को तीनों खंडो अर्थात कृषि रसायन, बीज और उर्वरक उत्पाद की एक पूरी बास्किट प्रदान करता है।

कंपनी ने भारत में वेक्टर नियंत्रण के लिए लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक मच्छरदानी (एल.एल.आई.एन) के बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन के लिए "डीडीटी के गैर–पीओपी विकल्पों के विकास और प्रचार" परियोजना के अंतर्गत यूनिडो के साथ अनुबंध किया है। हिल अपनी दक्षता और उत्पादकता में सुधार लाने तथा अपनी कारोबारी गतिविधियों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सक्रियता से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है। कारोबार गतिविधियों की त्वरित एवं कुशल कार्यपद्धति तथा अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कंपनी ने अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में एकीकृत सैप सफलतापूर्वक लागू किया है, जो हमारे प्रौद्योगिकी व्यवहार कुशल संगठन बनने के प्रयासों का एक उदाहरण है। फाइलों के दक्ष और पारदर्शी तरीके से समय पर कार्रवाई करने के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। कंपनी की वेबसाइट अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में द्विभाषी है। भर्ती/चयन, निविदा तथा अन्य आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को तुरंत वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। कैश रहित लेन–देन को प्रोत्साहित किया गया है तथा प्रभावी संप्रेषण को पुनःस्थापित किया गया है और कंपनी की सभी सूचना प्रौद्योगिकी की पहलों का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही तथा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को परिपूर्ण करना है।

कंपनी अपने व्यवसाय के प्रति सजग रहने के साथ–साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी नियमित रूप से निर्वहन करती है। कंपनी

द्वारा व्यवहार्य और धारणीय सी.एस.आर. कार्यकलापों की पहल की जाती है। सी.एस.आर. के तहत कंपनी लगातार समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के उत्थान के लिए काम करती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, व्यावसायिक कौशल जैसे क्षेत्रों में विकास हेतु समर्थन प्रदान करती है। कंपनी ने पर्यावरणीय प्रबन्धन, उर्जा संरक्षण और दीर्घकालिक विकास के लिए सामाजिक उत्थान का नेतृत्व करने में श्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाई है।

कंपनी अन्य कार्यकलापों के साथ–साथ राजभाषा हिन्दी की प्रगति के लिए सभी स्तरों पर निरंतर प्रयासरत है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की नीतियों के अनुपालन के प्रति कंपनी प्रतिबद्ध है तथा इस क्षेत्र में नियमों/अधिनियमों और नीतियों का श्रेष्ठ अनुपालन करके प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया है। इस क्षेत्र में न केवल निगमित कार्यालय बल्कि अधीनस्थ यूनिट जो "ग" क्षेत्र में स्थित हैं को भी राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कोच्चि टॉलिक से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में भी कंपनी के तीन कार्मिकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह कंपनी की राजभाषा हिन्दी के प्रति सम्मान और कार्मिकों की रूचि को दर्शाता है।

मुझे विश्वास है कि कंपनी के सभी कार्मिक टीम भावना से निरंतर कार्य करते हुए सभी क्षेत्रों में छवि उज्जवल बनाएंगे और कंपनी की प्रतिष्ठा निखारने में ग्राहकों को अच्छी सेवा देने में अपना अमूल्य सहयोग देंगे।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में 'रक्षक' अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करे, यही मेरी हार्दिक कामना है।

अंजन बनर्जी

(अंजन बनर्जी)

संपादकीय

शान्ति ध्रुव
सहायक प्रबन्धक (हिन्दी), निगमित कार्यालय

सुधी पाठकों,

राजभाषा पत्रिका "रक्षक" का नवीन अंक आपको सौंपते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। गृह पत्रिका किसी भी संगठन के कार्मिकों की रचनात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्त करती है। देश–विदेश में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन भी इन प्रयासों की एक कड़ी है। आज सरकारी तथा निजी क्षेत्र में जनसंपर्क का सबसे अधिक सशक्त माध्यम होने के कारण हिन्दी को जनव्यापी बनाने में इन गृह पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यह अंक रक्षक के पिछले अंकों से भिन्न है, क्यों कि प्रस्तुत अंक में कंपनी की गतिविधियों की जानकारी देने के साथ–साथ जनोपयोगी तकनीकी लेख जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार, विधिक, नियत अवधि रोजगार, निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरण और सतर्कता संबंधी, मानव संसाधन, सामग्री प्रबन्धन, आयकर भरने के तरीके, छूट और लाभ, वर्तनी का मानकीकरण ,राजभाषा का हिन्दी परिप्रेक्ष्य और विकास आदि जैसे विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया हैं। पत्रिका को रोचक बनाने के उद्देश्य से इसमें कविताओं, संस्मरणों आदि को भी स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी में आयोजित राजभाषा हिन्दी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित एवं स्वच्छता अभियान के दौरान कार्यान्वित की गई विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी दी गई है।

हिल (इंडिया) लिमिटेड के निगमित एवं अधीनस्थ यूनिटों में राजभाषा हिन्दी से संबंधित विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं के साथ–साथ हिन्दी के प्रचार–प्रसार एवं कार्मिकों की हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु सितम्बर माह में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया इन प्रतियोगिताओं में कार्मिकों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के अनुपालनार्थ अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में किया जाता है, इन्हीं प्रयासों के फलस्वरुप कंपनी को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से राजभाषा शील्ड के रुप में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन प्रेरणादायी पुरस्कारों के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड की ओर से हार्दिक आभार। भविष्य में भी राजभाषा हिन्दी के प्रयोग, प्रचार एवं प्रसार के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड सदैव सधन प्रयास करती रहेगी।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह अंक उपरोक्त उपयोगी विषयों से संबंधित जानकारी जनमानस तक पहुंचाने के साथ–साथ पाठकों के लिए उपयोगी एवं रोचक साबित होगा। अंत में बस इतना ही...

सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ,
प्रगति चिरंतन कैसा इति अब,
सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ,
असफल, सफल समान मनोरथ,
सब कुछ देकर कुछ न मांगते,
पावस बनकर ढलना होगा.
कदम मिलाकर चलना होगा.
(स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी)

आपके मार्ग दर्शन के लिए सदैव आतुर ....

शान्ति ध्रुव
संपादक

पी.सी. सिंह,
महाप्रबन्धक (मा.सं. एवं प्र.), निगमित कार्यालय

नियत अवधि रोजगार

कर्मचारियों की 240 दिनों से अधिक अवधि के लिए सीधी भर्ती करने का अधिकार तथा श्रमिकों (कार्यबल) के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी न होने की भारत के उद्यमों की इच्छा को 16 मार्च 2018 के राजपत्र की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय नियमों के तहत औद्योगिक रोजगार [स्थायी आदेश], अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत "नियत अवधि रोजगार" (एफ.टी.ई.) को रोजगार के वैध रूप में विधायी संस्वीकृति प्राप्त हुई है। अतः वे उद्यम जो केंद्र सरकार के अधीन हैं, वहां यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होती है। यद्यपि, वे उद्यम जो राज्य सरकार के अधीन हैं तथा राज्य के नियम यदि केंद्रीय नियमों से भिन्न हैं, तो वे उद्यम राज्य सरकार द्वारा इस संशोधन की अधिसूचना जारी होने तक प्रतीक्षा करेंगे।

यह नया संशोधन एक चेतावनी के साथ है कि "औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई नियोक्ता केन्द्रीय नियमों के तहत औद्योगिक रोजगार [स्थायी आदेश], केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के प्रारंभ होने के पश्चात की तिथि से अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में वर्तमान स्थायी कर्मचारियों के पदों को "नियत अवधि रोजगार" में परिवर्तित नहीं करेगा।

नए संशोधन में आगे कहा गया है कि "नियत अवधि रोजगार कर्मचारी" एक कर्मचारी है जो नियत अवधि के लिए लिखित संविदा के आधार रोजगार पर लगा हुआ है, परन्तु :

(क) उसके काम के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य लाभ स्थायी कर्मचारियों की तुलना में कम नहीं होंगे; तथा

(ख) वह अपनी सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से स्थायी कर्मचारी को उपलब्ध सभी वैधानिक लाभों के लिए पात्र होगा, भले ही उसकी रोजगार अवधि संविधि में अपेक्षित रोजगार की अर्हक अवधि तक विस्तार न करे।" तथापि इस श्रेणी के कर्मचारी सेवा समाप्त होने के समय ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे, भले ही वे रोजगार की संविदा पूर्ण होने पर न्यूनतम सेवा के न्यूनतम पांच वर्ष की योग्यता अवधि पूरी न करते हों।

नए संशोधन के अनुसार "संविदा या रोजगार नवीनीकरण किए बिना इस तरह की संविदा अवधि की समाप्ति के परिणामस्वरूप नियत अवधि के रोजगार के आधार पर नियोजित कोई कर्मचारी, यदि उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है तो वह किसी भी नोटिस अथवा उसके बदले में भुगतान का हकदार नहीं होगा।" इसके अतिरिक्त "नियत अवधि रोजगार" संविदा को भी पंद्रह दिनों की सूचना के साथ समाप्त किया जा सकता है।

कथित संशोधन में किसी व्यक्ति का एक नियत अवधि संविदा समय का वर्णन नहीं है और न ही यह वर्णन है कि नियत अवधि संविदा को कितनी बार नवीनीकृत किया जा सकता है और न ही कार्य के प्रकार का वर्णन है जिसके लिए संविदा जारी की जा सकती है तथा संविदा के नवीनीकरण का उल्लेख भी नहीं है। उद्यमों को संविदा की अवधि और "नियत अवधि रोजगार" के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के कार्य का प्रकार जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है तथा संविदा अवधि की समाप्ति/पूर्ण होने पर नवीकरण की योजना पर निर्णय लेना होगा।

नियत अवधि रोजगार नया नहीं है

नियत अवधि रोजगार भारत में कोई नई अवधारणा नहीं है। इसे 1999 से 2004 की अवधि के दौरान औद्योगिक रोजगार [स्थायी आदेश], केंद्रीय नियम, 1946 में सम्मिलित किया गया था। इसे अक्टूबर 2007 में केन्द्रीय नियमों से वापस ले लिया गया था। यद्यपि, गुजरात राज्य ने राज्य नियमों में 3 अगस्त, 2006 से सभी क्षेत्रों में "नियत अवधि रोजगार" कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति दी है और इसलिए गुजरात राज्य में राज्य सरकार के अधीन प्रचालन (ऑपरेटिंग) उद्यमों के लिए "नियत अवधि रोजगार" नया नहीं है।

फिलहाल, सरकार ने 16 मार्च 2018 से सभी क्षेत्रों को विस्तारित करने से पहले 7 अक्टूबर 2016 को औद्योगिक रोजगार [स्थायी आदेश], केंद्रीय नियम, 1946 में परिधान विनिर्माण क्षेत्र में "नियत अवधि रोजगार" आरम्भ किया है।

नियोक्ता संगठनों और ट्रेड यूनियनों की प्रतिक्रिया

16 मार्च, 2018 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सभी क्षेत्रों को निश्चित अवधि के रोजगार पर श्रमिकों को भर्ती करने की सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार के कदम का भारत में "नियोक्ता संगठन" द्वारा स्वागत किया गया है, जिसमें दावा है कि "यह निकट भविष्य में नौकरी को बढ़ावा देगा"। साथ ही, भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.) समेत ट्रेड यूनियनों ने सभी क्षेत्रों को नियत अवधि के रोजगार के विस्तार के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "यह भर्ती करने और निकालने को वैध बनाएगा, जबकि स्थायी नौकरियां गायब हो जाएंगी"।

क्या नियत अवधि रोजगार से नौकरी सृजन को बढ़ावा मिलेगा

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) विश्व रोजगार सोशल आउटलुक ट्रेंड

2018 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2018 में 3.5 प्रतिशत (अर्थात 18.6 मिलियन बेरोजगार) की बेरोजगारी दर का सामना कर सकता है, जो 2017 के लिए 3.5 प्रतिशत (अर्थात 18.3 मिलियन बेरोजगार) पूर्व अनुमानित था। 2019 में बेरोज़गारी दर 3.5 प्रतिशत (अर्थात 18.9 मिलियन बेरोजगार) होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये आंकड़े देश का उत्साहवर्धन करने वाले नहीं हैं।

फॉर्मल क्षेत्र में नौकरी सृजन परिवर्तनशील कार्य है और यह अति असंभव है कि औद्योगिक रोजगार [स्थायी आदेश], केंद्रीय नियम, 1946 में वर्तमान संशोधन नई नौकरियो के सृजन में किसी बड़े परिवर्तन का कारण बने। यह संभावना है कि यह संशोधन रोजगार को एक नया रूप दे सकता है और यदि इससे वेतन, भत्ते तथा अन्य लाभ में वृद्धि होती है, तो यह श्रमिकों के लिए लाभकारी हो सकता है।

वर्तमान कार्यबल मॉडल

भारत में कारोबारी प्रतिस्पर्धी के वर्तमान माहौल में, उद्यमों ने बड़ी संख्या में सेवा क्षेत्र तथा विनिर्माणन क्षेत्र में अधिकतम अधिकारियों और न्यूनतम स्थायी श्रमिकों को सम्मिलित करने हेतु एक कार्यबल मॉडल को विकसित किया है, ताकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की सीमा के अन्तर्गत कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सके। यह दृष्टिकोण विनिर्माणन क्षेत्र की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में कार्य के प्रकार के कारण अधिक प्रचलित है।

अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में भी व्यापार मॉडल बदल गया है; उदाहरण के लिए एयरलाइन कंपनियां विमानपत्तन/हवाई अड्डे में सेवा प्रदाताओं को केवल 3 से 5 वर्ष के लिए ही पट्टे पर/अनुबंध के आधार पर नियुक्त करती है। लघु अवधि में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जो सेवा प्रदान करने वाली कंपनी अपनी संविदा अवधि के आधार पर एक "नियत अवधि" के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करके प्रसन्न होती है। ये कंपनियां बड़ी संख्या में श्रम बल नियुक्त करती हैं और यदि संविदा नवीनीकृत होती है तो समय–समय पर उनकी सेवाओं को विस्तारित करने की संभावना को बनाए रखती है, इस कारण समस्या उत्पन्न होती है। दूसरे प्रकार के मामले सामने आते हैं क्योंकि कुछ नियोक्ता जैसे अस्पताल और अन्य "नियत अवधि रोजगार" कर्मचारियों को व्यापार रणनीति के रूप में नियुक्त करते हैं। न्यायालय ने कहा है कि नियोक्ता अपने बुद्धिमत्ता से व्यापार नीतियों को निर्धारित कर सकता है और इसलिए "नियत अवधि रोजगार" एक वैध साधन है। न्यायालय निर्णयों की तरफ ध्यान दिलाता है कि नियुक्ति पत्र में विशेष रूप से यह उल्लिखित करना आवश्यक है कि रोजगार एक निश्चित अवधि के लिए है और यदि "नियत अवधि रोजगार" औद्योगिक रोजगार [स्थायी आदेश], अधिनियम और नियमों में उल्लिखित रोजगार की श्रेणी में है, तो यह अपर्याप्त है।

अधिकांश उद्यमों में जहां संविदा कर्मचारी लगाए जाते हैं, प्रमुख नियोक्ता होने वाले उद्यमों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी के भुगतान, समयोपरि भुगतान, भविष्य निधि योगदान, कर्मचारी राज्य बीमा योजना कवरेज यदि लागू हो तो, वार्षिक बोनस भुगतान, प्रदत्त छुट्टी लाभ और उपदान जहां भी लागू हो की सभी सांविधिक आवश्यकताएं पूरी करता हो। इन खर्चों के अतिरिक्त उद्यम को ठेकेदार को कम से कम दस प्रतिशत लाभ मार्जिन और 18% वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना होगा, यदि ठेकेदार की वार्षिक बिलिंग 20 लाख (अर्थात 2 मिलियन रुपये) से ऊपर है। दो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिन पर उद्यमों को संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

- संविदा श्रमिक को ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधित्व द्वारा पर्यवेक्षित किया जाएगा।

- यदि संविदा श्रमिक संगठन के मुख्य नियोक्ता द्वारा सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी के समान या एक सा कार्य करते हैं तो वेतन दरें, छुट्टियां, कार्य के घंटे और ठेकेदार के कार्मिकों की सेवाओं के अन्य नियम केंद्रीय नियमों अर्थात संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का नियम 25 (अ) (क) के अनुसार, प्रतिष्ठान के मुख्य नियोक्ता द्वारा सीधे कार्यरत श्रमिकों के समान होंगे।

परन्तु अधिकतर उद्यम इसका दृढ़ता से पालन नहीं करते तथा संबंधित सरकार के श्रम विभाग भी इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने तक इसका निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं समझते।

16 मार्च, 2018 के राजपत्र की अधिसूचना के निहितार्थ को समझने के पश्चात, संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले अधिकांश उद्यम संविदा कर्मचारियों के अतिरिक्त एक विकल्प के रूप में "नियत अवधि रोजगार" को देखते हैं, यदि उन्हें अपनी धारणा के अनुसार लाभ होता दिखता है, क्योंकि यह भी व्यक्त है कि "नियत अवधि रोजगार" कर्मचारियों के काम के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य लाभ स्थायी कर्मचारियों की तुलना में कम नहीं होंगे। यह देखना होगा कि इस खंड की व्याख्या तथा कार्यान्वयन उद्यमों और संबंधित सरकार के श्रम विभागों द्वारा किस प्रकार की जाएगी।

भारत में विनिर्माणन उद्यमों में 'कर्मचारी' श्रेणी के कार्यबल को नियुक्त करने हेतु वर्तमान समय में कंपनी विनिर्दिष्ट शिक्षुता योजना, राष्ट्रीय रोजगार वृद्धि मिशन (एन.ई.ई.एम.) प्रशिक्षणार्थी द्वारा संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत भी शिक्षुओं की भर्ती की प्रैक्टिस की जा रही है और यह उद्यमों के लिए एक लागत प्रभावी नीति है। उद्यमों के लिए नियत अवधि रोजगार किसी अन्य विकल्प की अपेक्षा कार्यबल की सीधी नियुक्ति करना तथा संभावित मुकदमेबाजी की संभावना को कम करने का एक अलग उपलब्ध विकल्प है। इन सभी विकल्पों के लागत, कौशल तथा

सुविधाजनक संदर्भित कुछ सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु हैं, जिनका आंकलन उद्यमों को करना है।

जहां कंपनियां कंपनी शिक्षुता योजना के अन्तर्गत शिक्षुओं की नियुक्ति करती है, शिक्षुओं को उद्यमों द्वारा आवश्यक संबंधित तकनीकी कौशल प्रदान किया जाता है और इन शिक्षुओं में विभिन्न कुशल कार्य करने का लचीलापन है तथा भविष्य में उद्यम में समाहित होने की उम्मीद है तथा उद्यमों द्वारा प्रशिक्षुओं को स्थायी कर्मचारियों की अपेक्षा बहुत कम वृत्तिका (स्टाइपेंड) का भुगतान किया जाता है। ऐसे उद्यम हैं जिन्होंनें इन शिक्षुओं को समाहित कर लिया है, यद्यपि, ऐसे कुछ उद्यम भी हैं जो इन शिक्षुओं को अन्य शिक्षुओं के बैच से प्रतिस्थापित करते हैं। उद्यमों में जब शिक्षुओं की संख्या बड़ी हो तथा वे उद्यम के साथ भविष्य में नगण्य संभावनाएं देखते हैं, तो उनके द्वारा औद्योगिक संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

राष्ट्रीय रोजगार वृद्धि मिशन (एन.ई.ई.एम.) प्रशिक्षु वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, जो तकनीकी व गैर–तकनीकी क्षेत्र में 3 माह से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तथा एन.ई.ई.एम. एजेंट/अभिकर्ता {जिसका पंजीकृत होना और उसकी 500 मिलियन टर्नऑवर अनिवार्य है} द्वारा किन्हीं भी 23 उद्योगों द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। एन.ई.ई.एम. एजेंट/अभिकर्ता उद्योगों में 10,000 प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर सकता है और देश में इस कार्यबल की आपूर्ति करने वाले एन.ई.ई.एम. एजेंट/अभिकर्ताओं की संख्या सीमित है। एन.ई.ई.एम. एजेंट को सभी एन.ई.ई.एम. प्रशिक्षुओं को जहां पर उन्हें नियुक्त किया गया है, उस उद्यम में अकुशल श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार पारिश्रमिक/वृत्तिका का भुगतान करना होता है और स्पष्ट रूप से यह राशि + लाभ + वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की एन.ई.ई.एम. एजेंट/अभिकर्ता को उद्यम द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। राष्ट्रीय रोजगार वृद्धि मिशन (एन.ई.ई.एम.) के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति अपनी स्नातक/तकनीकी व गैर–तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा व अध्ययन जारी अथवा छोड़ सकता है। यह योजना श्रमिक बल के कौशल में वृद्धि करने हेतु कार्यक्रम के रूप में भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई) के माध्यम से अप्रैल, 2013 में शुरू की गई थी । कागजों पर यह योजना कौशल विकास के लिए श्रेष्ठ प्रतीत होती है, परन्तु कुछ उद्यमों द्वारा कम लागत नीति के रूप में निश्चित समय अविध के लिए बिना किसी आगामी दायित्व के कम लागत पर सुविधाजनक कार्यबल प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विनिर्माणन उद्यम जो आवधिक समय अंतरालों पर एन.ई.ई.एम. प्रशिक्षुओं के नए बैच प्राप्त करते हैं और एन.ई.ई.एम. प्रशिक्षु को प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त हुए कथित प्रशिक्षण के आधार पर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार को राष्ट्रीय रोजगार वृद्धि मिशन प्रशिक्षु योजना का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है ताकि उद्यमों द्वारा श्रमिकों का शोषण न होने पाए, क्योंकि "ग" श्रेणी के संस्थान से पढ़ने/उत्तीर्ण होने वाले युवाओं के लिए शिक्षा पर धन व्यय करने के बावजूद अर्थपूर्ण रोजगार प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो रहा है।

नई गतिविधियां

शुभारंभ

हिल (इंडिया) लिमिटेड की बीज परीक्षण प्रयोगशाला

हिल (इंडिया) लिमिटेड ने गुरूग्राम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है, जिसका विधिवत् उद्घाटन दिनांक 08.04.2018 (रविवार) को माननीय कृषि सचिव डॉ0 एस.के. पट्टनायक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कर–कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर हिल (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डॉ0 एस.पी. मोहन्ती, निदेशक (वित्त) श्री अंजन बनर्जी तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। माननीय सचिव महोदय ने बीज परीक्षण प्रयोगशाला का अवलोकन भी किया। इसके अतिरिक्त हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एकीकृत कीट प्रबन्धन, फल एवं सब्ज़ियों में कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर गुरूग्राम, हरियाणा के किसानों के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, उद्योग विहार, गुरूग्राम, हरियाणा में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस बैठक के मुख्य अतिथि डॉ0 एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिल (इंडिया) व डॉ0 जितेन्द्र कुमार, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी भी थे।

सचिव महोदय ने हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा भारत के किसानों को एकीकृत कीट प्रबंधन, कीटनाशकों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग करने हेतु ज्ञान प्रदान करने के प्रयासों की सराहना की। सचिव महोदय के कर–कमलों से एकीकृत कीट प्रबन्धन विषय पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। हिल (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय ने भारतीय कृषि समाज को अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीज, उर्वरक, कृषि रसायन की अच्छी गुणवत्ता को किफायती कीमतों पर प्रदान करने के साथ–साथ जन–स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिल (इंडिया) लिमिटेड के योगदान से किसानों को अवगत कराया।

डॉ0 देशबन्धु आहुजा, पूर्व निदेशक, एम.सी.आई.पी.एम. तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, गुरूग्राम के डॉ0 भरत सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने फसलों में एकीकृत कीट प्रबन्धन, जैव कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों के ठीक से छिड़काव न किए जाने के स्वास्थ्य संबंधी खतरों और एकीकृत खरपतवार प्रबन्धन को अपनाने के बारे में किसानों को शिक्षित किया ताकि कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को कम किया जा सके।

हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा गुरूग्राम के विभिन्न भागों से आए किसानों को जैव–उर्वरक तथा छिड़काव के दौरान प्रयोग करने के लिए सुरक्षा किट्स का भी फ्री वितरण किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 150 से अधिक किसानों ने भाग लिया।

बीज परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास करते हुए डॉ0 एस.के. पट्टनायक, कृषि सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं डॉ0 एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिल (इंडिया) लिमिटेड

हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कीटनाशकों के सुरक्षित प्रयोग एवं एकीकृत कीट प्रबन्धन विषय पर कृषक प्रशिक्षण पुस्तिका का विमोचन करते हुए कृषि सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिल (इंडिया) लिमिटेड एवं अन्य अधिकारीगण।

कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग

देश की निरन्तर बढ़ती हुई आबादी के लिये खद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि उत्पादन एवं पौध संरक्षण तकनीक की अहम भूमिका है। अधिक कृषि उत्पादन एवं नाशी जीवों से बचाव हेतु कृषि रसायनों तथा कीटनाशी, कवक नाशी, शाकनाशी आदि का प्रयोग अनिवार्य होता जा रहा है, परन्तु उपरोक्त के असन्तुलित एवं अव्यावहारिक प्रयोग के गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं जैसेः–

पर्यावरण पर दुष्परिणाम

- पर्यावरण प्रदूषण
- पारिस्थितिकी असन्तुलन
- जैव विविधता का ह्रास
- बायो मेगनीफिकेशन से खाद्य श्रृंखला में बिखराव

जल पर दुष्परिणाम

- भूमीगत जल में विषाक्तता
- अम्ल वर्षा
- नदी प्रदूषण
- पेयजल में टी.डी.एस. की वृद्धि

पौधों पर दुष्परिणाम

- रोग रोधक क्षमता में कमी
- उत्पादों में रसायन अवशिष्टता
- प्रकाश संश्लेषण की प्रकिया में बाधक

जीवों पर दुष्परिणाम

- मानव रक्त में कीटनाशी संग्रहण
- मस्तिष्क विकार
- अस्थमा में वृद्धि
- पाचन प्रक्रिया में अवरोध
- दुग्ध में विषाक्तता
- बांझपन व हार्मोन असन्तुलन

उपरोक्त हानिकारक प्रभावों को देखते हुए आज कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ पेस्टीसाइड्स के सुरक्षित व विवेकपूर्ण प्रयोग की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण व जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव लक्षित न हो सकें।

कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग

अवस्था / चरण	क्या करें	क्या नहीं करें
कीटनाशक खरीदते समय	1. वैधानिक पंजीकृत क्रय केन्द्रों से ही क्रय करें 2. एकल प्रयोग हेतु ही संस्तुत रसायनों की उचित मात्रा क्रय करें 3. पैकिंग पर बैच नं, लेबल, आदि मानकों का ध्यान रखें	1. कृषि विशेषज्ञों की सलाह के बिना ही क्रय न करें 2. अपंजीकृत केन्द्रों से न लें 3. समस्त मौसम के लिये थोक में क्रय न करें 4. खुले पैकिट क्रय न करें
भण्डारण के समय	1. अलग–अलग रसायन पृथक रूप में रखें 2. बच्चों, जानवरों की पहुँच से दूर रखें 3. सीधी धूप व वर्षा से भण्डारण का बचाव करें	1. घर व बच्चों के आसपास संग्रहण न करें 2. कीटनाशी व शाकनाशी का संग्रहण एक साथ न करें 3. मूल पैकिंग से खोल कर न रखें
स्प्रे हेतु घोल बनाने के समय	1. संस्तुत मात्रा व संस्तुत विधि के अनुरूप ही घोल बनाएं 2. ग्लब्स, मास्क आदि रक्षात्मक साधनों का प्रयोग करें 3. दानेदार रसायनो का प्रयोग सीधे करें 4. स्वच्छ जल का प्रयोग करें	1. रसायनो को मिलाकर घोल न करें 2. कीचड़युक्त या पोखर का पानी उपयोग न करें 3. स्प्रे घोल को 24 घंटे बाद प्रयोग न करें 4. एक ही कीटनाशक का बार–बार चयन न करें

रक्षक

अवस्था / चरण	क्या करें	क्या नहीं करें
स्प्रे यंत्रों का चुनाव	1. उपयुक्त यन्त्रों का चयन करें 2. उपयुक्त आकार के नोजल का प्रयोग करें 3. कीटनाशी व शाकनाशी हेतु अलग–2 स्प्रेयरों प्रयोग करें	1. क्षतिग्रस्त स्प्रेयरों का चयन नहीं करें 2. मुहं से नोज़ल को न खोलें और न साफ करें
स्प्रे के समय सावधानियां	1. अधिकांशतः सायं के समय स्प्रे करें 2. स्प्रे के समय ग्लब्स, मास्क आदि अवश्य पहने चाहियें 3. वायु की गति एवं दिशा के अनुरूप स्प्रे करें 4. स्प्रे से पूर्व तैयार फलों एवं सब्जियों की तुड़ाई कर लें	1. अधिक धूप व बादलों के समय स्प्रे न करें 2. फूल की अवस्था में स्प्रे न करें 3. स्प्रे के समय तम्बाकू, धूम्रपान आदि का प्रयोग न करें
स्प्रे के पश्चात् सावधानियां	1. बचे घोल को बंजर क्षेत्रों में नष्ट करें । 2. प्रयोग में लाये गए कंटेनरों,पैकिंग को तोड़कर नष्ट करें 3. स्प्रे के एक सप्ताह के बाद ही उत्पादों की तुड़ाइ करें 4. स्प्रे के पश्चात हाथ व मुहं को अच्छी तरह साफ करें	1. बचे घोल व सामग्री को जल स्रोतों या मृदा में न मिलायें 2. बचे घोल व रसायनों का पुनः प्रयोग न करें 3. स्प्रे के पश्चात नहाने / सफाई से पूर्व कोई पेय या खाद्य पदार्थो का प्रयोग न करें

डॉ0 विशाल चौधरी,
प्रबन्धक (निगमित योजना एवं गुणवत्ता आश्वासन),
निगमित कार्यालय

तकनीकी उपलब्धियां

- वर्ष 2018–19 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ दिनांक 22.03.2018 को समझौते का ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया।
- पेंडिमेथलिन के उत्पादन के लिए विनिर्माणन सुविधा यांत्रिक रूप से पूर्ण हो गई है और जल परीक्षण और जल प्रवाह कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया। कारखानों और बॉयलर निदेशालय की साइट मूल्यांकन समिति ने 17.03.2018 को उस संयंत्र का दौरा किया था और जोखिम आंकलन अध्ययन को फिर से करने का निर्देश दिया था। वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन भी आरम्भ हो गया है।
- वर्ष 2017–18 में कंपनी ने पूर्ण रूप से कृषि रसायनों के उत्पादन के लिए गत वर्षों की तुलना में 12% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए संयंत्रों की 48% क्षमता उपयोग प्राप्त की है।
- एन.वी.बी.डी.सी.पी से डी.डी.टी. के ऑर्डर देरी से प्राप्त होने के बावजूद, कंपनी ने डी.डी.टी. 50% डब्ल्यू.डी.पी. का उत्पादन पूरा किया तथा उत्पाद का प्रेषण समय पर किया।
- पर्यावरण, वन तथा मौसम बदलाव मंत्रालय ने भी एल.एल.आई.एन. परियोजना के लिए निष्पादन संस्था के रूप में हिल का समर्थन किया है। एल.एल.आई.एन. परियोजना के लिए निविदा कार्य आरम्भ कर दिया गया है।
- 100% पानी में घुलनशील उर्वरक ''हिलगोल्ड'' का उद्योगमंडल यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है।
- लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक युक्त मच्छरदानी के तकनीकी हस्तांतरण हेतु सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं तकनीकी (सीपैट) के साथ समझौते का ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया।
- गुरुग्राम में 10.06.2018 और 11.06.2018 को रसायनों और उर्वरकों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- हिल ने भारत गणराज्य में वेक्टर नियंत्रण के लिए लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक मच्छरदानी (एल.एल.आई.एन) के बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन के लिए ''डीडीटी के गैर–पीओपी विकल्पों के विकास और प्रचार'' परियोजना के अंतर्गत 30.07.2018 को यूनिडो के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ध केरल में बाढ़ की स्थिति के पश्चात, सितंबर माह के पहले सप्ताह से उद्योगमंडल यूनिट में उत्पादन संचालन पूरी तरह से आरम्भ हो चुका है।
- एल.एल.आई.एन. विनिमार्णन सुविधा के लिए संयंत्र बिल्डिंग का सिविल निर्माण कार्य नींव के स्तर पूर्ण हो चुका है।
- एल.एल.आई.एन. संयंत्र के लिए संयंत्र मशीनरी की खरीद हेतु तकनीकी बोली आमंत्रित की गई हैं।
- ध बठिंडा यूनिट में बीज प्रसंस्करण संयंत्र का सिविल निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

डॉ0 धीरज कुमार मिश्र
हिन्दी अधिकारी, रसायनी यूनिट

राजभाषा का हिन्दी परिप्रेक्ष्य और विकास
हिंदी दिवस पर विशेष

हिन्दी अपनी अस्मिता में तब भी मौजूद थी जब वह संस्कृत से निकलकर पालि, प्राकृत और अपभ्रंश के नाम से जानी जाती थी, किन्तु हिन्दी का व्यवस्थित विकास और उत्पत्ति 1000 ईसवी में शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की रचनाओं में वीरगाथात्मक, श्रिंगारिक लेखन में विभिन्न भावों के उद्‍घाटन में काव्य गुणों और अलंकारों के प्रयोग से हिन्दी समृध्द हुई और उसका विस्तार हुआ। आधुनिक काल में गद्य के विकास ने लेखन की समस्त सीमाओं और बंधनों से मुक्ति मिल गई। इसमें साहित्यकार चाहे वह काव्य का हो या फिर गद्य का, वह अपनी रचानाओं में अपने समय व अपने समाज से संवाद करने लगा। यह भाषा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल था। इसमें एक तरफ जहाँ साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य रचना की गईं वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा से मुक्ति और देसी भाषा का स्वर गुंजित होने लगा। संभव है यह स्वतंत्रता संग्राम में भाषिक आंदोलन कहा जा सकता है, जो 15 अगस्त 1947 में आज़ादी के पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया जिसके अंतर्गत राजकाज में हिन्दी भाषा के प्रयोग और उसके प्रचार– प्रसार पर बल दिया जाने लगा। वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग अस्तित्व में आया जिसका मुख्य उद्देश्य राजभाषा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है, जो वर्तमान में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है।

हिन्दी अपनी प्रादुर्भाव से विकास की यात्रा में अविरल अबाध रूप से बहती रही जिसमें अनायास ही भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषा के शब्द/स्वर भी सम्मिलित हो गए। निश्चित रूप से यह हिन्दी की विशालता और ऐसी संरचना का परिणाम है जिससे वह निरंतर विकसित हुई है और अपनी व्यापकता से समर्थ/सक्षम भाषा बनी जो आज समस्त भारत की संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। साथ ही अपनी राजभाषा की स्थिति सहित राष्ट्रभाषा की कवायद भी करती है।

बहरहाल संस्थानों में विद्यमान राजभाषा/हिन्दी विभागों/अनुभागों में इस तरह से प्रयास जरूरी हैं, जिससे संस्थान का हर व्यक्ति हिन्दी को राष्ट्रीयता से जोड़कर देखे और उसका यह प्रयास सर्वप्रथम उसके द्वारा किया गया हस्ताक्षर हिन्दी में हो, संस्थान में नीति, निर्देश, प्रपत्र तथा विभाग मार्गदर्शिका, प्रशिक्षण से संबंधित समस्त दस्तावेज हिन्दी में हो और मूल रूप से पहले हिन्दी में ही तैयार की जाए, इसके लिए संबंधित विभाग हिन्दी अनुभाग से अपनी सामग्री/ दस्तावेज तैयार करते समय सहयोग ले सकता है। विषय से संबंधित शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है। इससे अनुवाद की आवश्यकता धीरे धीरे कम हो जाएगी और इस पर होने वाला श्रम व समय को किसी अन्य सृजनात्मक कार्य में लगाया जा सकता है।

संस्थान में किए जाने वाले लेखन कार्य जैसे कि टिप्पणी/ मांग, टिप्पणी पत्रक, अर्ध शासकीय पत्र मूल रूप से हिन्दी में ही तैयार किए जाएँ। हाँ, यह विश्वास जरूर अपेक्षित है कि हिन्दी सभी को बोधगम्य है। भाषा संस्कृतनिष्ठ न हो, किन्तु विषयानुसार शब्द चयन हो, जो कहना हो सुसस्पष्ट हो, प्रभावोत्पादक हो, भाषा में प्रवाह हो, जो विषय सापेक्ष होने के साथ अपनी अंतर्वस्तु में सुगठित और भाषा के स्तर पर प्रेरक हो तो निश्चय ही उस हिन्दी पाठ को अंग्रेजी से बदला जा सकता है। हिन्दी न अपनाकर अंग्रेजी की ओर झुकाव हिन्दी में नीरस और पुराना देखो आगे बढ़ो की उस कार्यालयीन मानसिकता को व्यक्त करता है जिसमें रचनात्मकता गौण होती है अर्थात हिन्दी में खराब नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है और जब उसमें सुधार नहीं की जाती तो उस अंग्रेजी को विवशतः ही स्वीकार लिया जाता है जिसमें संशोधन की उतनी ही आवश्यकता होती है, जितनी की हिन्दी में है, किन्तु अंग्रेजी की कुशलता कहें अथवा उसकी शक्ति कहें, अंग्रेजी बेधड़क चला ली जाती है।

वर्तमान समय में, अधिकांश पत्र व्यवहार ई– मेल के माध्यम से होता है, ऐसे में जरूरी है कि प्रेषक का पूर्ण विवरण हिन्दी में हो अथवा द्विभाषी रूप में डीफाल्ट के रूप में सेट कर ली जाए। जितना संभव हो हिन्दी में ही लिखा जाए। यह कार्य इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि बहुतायत कार्मिक हिन्दी में ही सोच विचार करते हैं जाहिर है ऐसे में वह अपनी चिंतन अभिव्यक्ति को लिखित रूप दे सकते हैं। इस कार्य में एक तरफ जहाँ आप अपनी भाषा में सहज होने के कारण अपने विचारों का प्रकटीकरण कर सकते हैं वहीं अंग्रेजी में कार्य करने की सीखी हुई भाषा में कार्य करने की सीमा और दुरूहता से बचा जा सकता है। इससे कार्यालयीन कार्य करना सहज हो जाएगा। कार्य करने की स्वतंत्रता के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा जो कार्यस्थल पर ध्यानाकर्षण का रूप लेगा और कार्मिक अन्य से भिन्न उत्कृष्ट कार्य के रूप

में जाना जाने लगेगा। यही नहीं, फाइल पढ़ कर यथोचित टिप्पणी हिन्दी में ही लिखी जाए। यहाँ तक कि किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर हिन्दी में ही टिप्पणी लिखी जाए।

यह निर्विवाद सत्य है कि हिन्दी में लिखने बोलने वालों की संख्या अत्याधिक है किन्तु संकोचवश हिन्दी में कामकाज अपेक्षाकृत कम हुआ है। संस्थान की शीर्ष बैठकें हो या फिर आम या फिर वार्षिक साधारण सभा, हम अपने स्तर से हिन्दी में पहल कर सकते हैं। राजभाषा के प्रावधान के अनुपालन में निश्चित रूप से बैठक में अगले सदस्य की भाषा हिन्दी ही होगी। इस प्रकार हिन्दी का फैलाव होगा और यह व्यवहार में शामिल हो जाएगा।

सांविधिक आनुपालन के क्रम में संस्थान में आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रम जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, सांप्रदायिक सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, स्वच्छ भारत अभियान, सतर्कता सप्ताह, सुरक्षा दिवस आदि पूर्णतः हिन्दी में हो। इस सभी कार्यक्रमों के बारे में हम भली भाँति परिचित हैं। इस पर हम थोड़ी सी स्वाध्याय से एक अच्छा पाठ तैयार कर सकते हैं। साथ ही इन कार्यक्रमों में निहित उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।

पारंपरिक हिन्दी कार्यशाला से बाहर आकर कार्यालय में विभिन्न विभागों और कार्यों से संबंधित विषयों पर संगोष्ठी, सम्मेलन, परिसंवाद और कार्यशाला का आयोजन पूर्णतः हिन्दी में हो। इससे धीरे धीरे समस्त अनुशासनों और कार्यकारी विषयों के शब्द भंडार मिलेंगे। विषय की समझ होगी। लिहाजा अपनी मातृभाषा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने में आसानी होगी। साथ ही अंतरानुशासनिकता का बोध होगा और हम अपने कार्य के साथ अन्य विषयों को भी जान सकेंगे। संस्थान के विकास में ज्यादा प्रभावी ढंग से निखर पायेंगे। इससे एक ओर मूल लेखन हिन्दी में होगा वहीं दूसरी ओर विषय की पहले से जानकारी होने पर अनुवाद कार्य कष्टसाध्य नहीं होगा। कार्य करने की इस पूरी प्रक्रिया से टीम वर्क बनेगा और सभी के कार्य के प्रति सम्मान और आदर का भाव भी जागृत होगा।

किसी भी व्यवस्थित भाषा की समृध्दि और विस्तार के लिए आवश्यक है कि उसमें नए शब्दों को गढ़ने और अन्य भाषाओं से यथावश्यक यथा उपयोगी शब्दों को अपने में शामिल करने की सहजता और सरलता हो। इससे भाषा समय और काल के अनुरूप व प्रभावी हो पाएगी तभी वह भाषा दीर्घावधि तक अपनी अस्तित्व को बनाए रख सकती है। कोई भी विकास अंतिम और परिपूर्ण नहीं माना जा सकता। इससे भाषा संकुचित होती है। उसकी प्रभावीयता समय के साथ क्षीण होती जाती है। नवाचार तो सोचना बेमानी सा प्रतीत होता है। यहाँ यह कहना भी असंगत प्रतीत नहीं होता कि दूसरी भाषाओं से नए शब्दों / विचारों को ग्रहण करने का यह कतई मतलब नहीं है कि हमारी भाषा कमजोर है अथवा किसी भी प्रकार से कमतर है किन्तु यह उसके विकास के लिए आवश्यक है। राजभाषा के परिप्रेक्ष्य में यही मत अभिप्रेत है। राजभाषा लक्ष्योन्मुखी है। राजभाषा क्रियान्वयन में सभी पहलू प्रशंसनीय है, किन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि हमने राजभाषा के लक्ष्य को पा लिया है, शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो आज हिन्दी स्वतः रूप से पूरे देश में अनिवार्य होती, जो नहीं है। और जो है भी उसमें भी राजभाषाई गतिविधियों से संभव नहीं हुआ है बल्कि हिन्दी आचरण, व्यवहार में शामिल होने के कारण हुआ है। अतः हिन्दी को अपनी संस्कृति, संस्कार और परंपरा से जोड़कर ही अपने व्यवहार में शामिल करना जरूरी है तभी कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित की जा सकेगी और राजभाषा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

राजभाषा को परिभाषित करते हुए यह बड़ी आम राय है की कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। इसमें दो मत नहीं है, किन्तु चिंता इस बात की है कि हम राजभाषा को यहीं तक सीमित कर चुके हैं। राजभाषा को पूर्णतः लागू करने के क्रम में, राजभाषा संबंधी समस्त प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है और हम सदा इसके लिए प्रयासरत भी हैं, किन्तु राजभाषा क्रियान्वयन के यह सभी सोपान भले ही हमें उत्साहित करें, किन्तु वास्तविकता यह है कि यह स्वयं में पूर्ण नहीं है। यही कारण है कि हिन्दी भाषा और साहित्य के मर्मज्ञ राजभाषा हिन्दी की आलोचना करते हैं। इसे न तो परिनिष्ठित माना जाता है और न ही इसकी चिंता को बड़े फ़लक पर विचारा जाता है जाहिर है साहित्य के पुरोधाओं का राजभाषा हिन्दी के प्रति ऐसी दुर्भावना चिंताजनक है। इसकी हेतुओं की पड़ताल करने पर यह सामान्यतः पाया जाता है कि राजभाषा हिन्दी कार्यालयीन कामकाज में प्रयोग की जाने वाली हिन्दी है जो अधिकाधिक सरलता के निरंतर प्रयास से उसमें विन्यस्त भाषिक सौंदर्य और प्रभावीयता का ह्रास हो रहा है।

लगातार एक ही जैसी लिखी जा रही भाषा और विचार से नीरसता आ रही है, अतः उसमें नए विचार और दृष्टि की आवश्यकता है जिससे हिन्दी और साहित्य को जोड़ा जा सके। हिन्दी हमारी मातृभाषा है जो साहित्य संस्कृति की संवाहक है। इसे जोड़ने से राजभाषा हिन्दी में रचनात्मकता का विकास होगा। निरंतर एक तरह की हिन्दी जो कार्यालय में प्रयोग की जाती है, उसमें नया परिवर्तन होगा। वह परिनिष्ठित होगी। हिन्दी में आत्मीयता भी है और वैज्ञानिकता और तर्क की कसौटी के साथ दूसरों को अपने में मिलाने का अकूत सामर्थ्य भी। इसमें राजभाषाई चिंतन का विस्तार व विकास होगा जिससे निश्चित रूप से राजभाषा का क्षेत्र व्यापक होगा। हिन्दी में वहाँ कामकाज का माहौल तैयार करना संभव होगा जहाँ आज संवेदनशील और हिन्दी के लिए प्रतिकूल माना जाता है। जुड़ना किसी भी रूप में प्रगति के

लिए सकारात्मक पहलू है। हिन्दी भारतीय भाषाओं की सखी है। ऐसे में भाषिक विनिमय से स्थानीय भाषा की संस्कृति और परंपरा को राष्ट्र के एकीकरण और सदभावना के लिए हिन्दी का यथोचित इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे प्राकृतिक रूप से हिन्दी में कार्य करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास हो सकता है।

आधुनिकता और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हिन्दी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग में यूनिकोड एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। मंगल फॉन्ट में हिन्दी में कार्य करना बहुत सरल है। इस फॉन्ट की विशेषता है कि यह किसी भी कंप्यूटर में हिन्दी में कार्य के लिए सक्षम है। साथ ही इस फॉन्ट में सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से प्रेषित दस्तावेज किसी भी अन्य कंप्यूटर में यथा रूप में पाया जा सकता है। वॉइस टाइपिंग के विकसित रूप में हम बोलकर टाइप कर सकते हैं। कहना न होगा हर पल हमारे साथ रहने वाले मोबाइल ने भी हिन्दी में कार्य करना सहज किया है। जाहिर है आधुनिक तकनीकों को प्रयोग में लाकर न्यूनतम श्रम शक्ति से भी उत्कृष्ट कार्य किया जा सकता है।

किसी भी संस्थान में विद्यमान हिन्दी अनुभाग/विभाग हिन्दी में कार्यों को सुचारू रूप से संचालन व राजभाषा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। हिन्दी में कार्य की प्रगति, समीक्षा और निरीक्षण के साथ हिन्दी में कार्य का यथोचित वातावरण तैयार हो, हिन्दी अनुभाग, इसके लिए प्रतिबद्ध है, किन्तु हिन्दी में समूचा कार्य हो यह सिर्फ हिन्दी अनुभाग की नहीं बल्कि सभी कार्मिकों और विभागों की जिम्मेदारी है कि वह अपने स्तर में हिन्दी में कार्य को सुनिश्चित करें और अपनी वैधानिक जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीयता की खातिर हिन्दी के साथ हर पल खड़े हों। यह समझना बेहद जरूरी है कि अपनी प्रकृति और भाषा को सम्मान देने पर हम स्वयं सम्मानित होंगे। इससे निसंदेह हिन्दी सहित राजभाषा हिन्दी का चहुंमुखी विकास होगा। हिन्दी सिनेमा, बाज़ार विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के विक्रय के लिए लोगों के दिलों/भावनाओं तक पहुँचने के लिए हिन्दी का इस्तेमाल, प्रशासन, उद्योग और अर्थव्यवस्था में हिन्दी के वर्चस्व को बखूबी दर्शाता है। अब ब्रिटिश साम्राज्य के दंश की अभिव्यक्ति पर विराम चिन्ह लगाने का समय है। हम अपनी हिन्दी उत्सवों में भावी हिन्दी के लिए अपने विचारों की खिड़कियां और दरवाजें खुले रखें और अपनी परंपरा के साथ नई दृष्टि नए विचारों, प्रौद्योगिकी को हृदय से अपनाएँ और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हिन्दी अपने स्थान को प्राप्त करेगी जिसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा से अभिभूत किया जाता है।

एन. एम. वाघमारे
हिन्दी सहायक (विशेष श्रेणी), रसायनी यूनिट

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मातृभाषा

आधुनिकता और सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मनुष्य के कार्यकलापों और प्रयोग से संबंधित सभी अप्लीकेशन मौजूद है जिससे हम सभी परिचित हैं और लाभ ले रहे हैं । विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए आविष्कार और उपकरणों के संजाल से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जिसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या तथा लोगों का अपने रोजमर्रा के कार्य, सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए अपने हर पल में शामिल करना देखा जा सकता है। जाहिर है इसमें मातृभाषा अथवा हिन्दी कहीं से भी पीछे नहीं है बल्कि अग्रणी है।

मोबाइल में आज वो सभी सुविधाएँ मौजूद हैं जिसके लिए हम यत्र तत्र भटकते रहते थे जिसमें समय व श्रम शक्ति दोनों लगते थे बावजूद इसके सभी कार्य समय पर और बिना किसी त्रुटि के पूर्ण हो, ऐसा बहुत कम संभव हो पाता था। जबकि आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। उदाहरण के लिए मोबाइल में तमाम ऐसे ऐप्स और सुविधाएँ मौजूद हैं जिससे किसी भी यातायात, मनोरंजन के लिए टिकट ली जा सकती है। सोशल साइट्स पर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में जब हमारी ज़िंदगी और हमारा समूचा कार्य व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि पर शिफ्ट और निर्भर हो गए है तो ऐसे में यूनिकोड के रूप में सभी भाषाओं के साथ हिन्दी ने भी अपनी मौजूदगी से सबका ध्यान आकृष्ट किया है।

यूनिकोड का आविष्कार वैज्ञानिक है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में किसी भी भाषा का चयन कर विशेष कर फोनेटिक के माध्यम से अपनी भाषा में कार्य कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रगति और भाषा के स्तर पर विकास है जो सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित हुई है। आज हम कोई भी कार्य हिन्दी में कर सकते हैं। मोबाइल में, हम अपने सिस्टम के सेटिंग में जाकर भाषा के अंतर्गत हिन्दी को चुन कर समूचा कार्य हिन्दी में कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है की इन सुविधाओं का लाभ वे लोग भी बड़ी आसानी से ले रहे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और वो भी अपनी भाषा में, बिना किसी संकोच और भय के, क्योंकि अपनी भाषा में कार्य करने की आज़ादी से कार्य निश्चय ही सफल होता है और मातृभाषा होने के कारण जो आत्म विश्वास उत्पन्न होता है वो शायद किसी अन्य भाषा में नहीं। वॉइस टाइपिंग एक नया आविष्कार है जिसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है और निरंतर किया जा रहा है। यह एक अप्लीकेशन हैं जिसे पहले डाउनलोड किया जाता है । इसमें ईयर फोन या हेड फोन लगा कर अपनी आवाज में बोलकर टाइप किया जा सकता है, जिसे वॉइस टाइपिंग कहा जाता है। इसका कार्यालयीन तथा निजी कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है।

राजभाषा हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के सभी पाठ्यक्रम राजभाषा की कार्यालयीन वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसी प्रकार हिन्दी पत्रिकाएँ और अपनी सोच और पसंद के अनुसार हमारे कामकाज में प्रयोग में लाने वाली हर सुविधा का भरपूर इस्तेमाल इंटरनेट से किया जा सकता है। साथ ही संस्थानों की वेबसाइट के साथ रूचि और आवश्यकता के अनुसार अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए लगभग सभी समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ ई (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में मौजूद हैं जिसके प्रयोग से हमनें भाषाई प्रगति के साथ लाभान्वित होकर अपना विकास भी किया है।

अच्छाई और कड़ी मेहनत सम्मान द्वारा पुरस्कृत होती है। – लूथर कैम्पबेल

हिंदी के प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वर्ष 2018-19 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई–मेल सहित	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ, राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ, राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य संघ, राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%:
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/ की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं अथवा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजीटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई–पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
11.	वैबसाइट	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./नि./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केन्द्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 02 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद		100%	

हिन्दी पखवाड़ा - 2018 के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में पुरस्कृत निबन्ध

सुप्रिया एस टिकेकर
विश्लेषक (गुणवत्ता आश्वासन), रसायनी यूनिट

किन क्षेत्रों में और कैसे रोजगार बढ़ाएं

आज के युवा की त्रासदी यह है कि वह सुशिक्षित होकर भी बेरोजगार है। शिक्षा के पूर्ण होने के बाद भी बिना काम के घर में रहना किसी भी युवा के लिए तनाव की स्थिति पैदा करता है। अभियांत्रिकी और चिकित्सा के पाठ्यक्रम पूरे करने वाले विद्यार्थियों को फिर भी नौकरियां मिल जाती हैं लेकिन पारंपरिक पाठ्यक्रम जैसे बी.ए., बी.एस.सी., एम.एस.सी. करने वाले बच्चों के लिए तो कुछ भी संभावना नहीं होती। सबसे ज्यादा बेरोजगार इसी श्रेणी से आते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना के द्वारा गरीब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक कर्ज के रूप में दिए जाते हैं ताकि वे अपना कारोबार शुरू कर सकें और इस तरह सरकार पर पूर्ण रूप से निर्भर न रहें। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें किसी भी तरह की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। पहले छोटी से छोटी रकम के लिए भी बड़े ब्याज पर कर्ज देने वाले साहूकार के पास जाना पड़ता था क्योंकि बैंक बिना गारंटी के कुछ भी रकम उधार नहीं देते थे। लेकिन मुद्रा योजना के कारण गरीबों के लिए खुद का रोजगार शुरू करना आसान हो गया है।

सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना गरीबों के लिए शुरू की है लेकिन इसमें भी नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है। उनका कहना है– यदि गरीब को कम कीमत पर छोटा सा मकान रहने को दे दिया जाए तो वह उसे सिर्फ रात को सोना और दिन पर काम पर निकाल जाना, इसी दृष्टि से नहीं देखता बल्कि अपने घर से अपनापन हो जाता है। घर में आने के बाद पैर पोंछने के लिए पायपोश चाहिए। अतः वह एक महीने थोड़ा पैसा बचाकर पायपोष खरीदता है। अगले महीने थोड़ा और पैसा बचाकर कुछ अन्य चीज खरीदता है इस तरह एक घर के लिए आवश्यक वस्तुए जुटाने में बाज़ार में कितने लोगों को काम मिल जाता है।

पैकेजिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग, नमकीन पापड़ बनाने के उद्योग भी एक लाख रूपये तक की रकम में शुरू किए जा सकते हैं। पैकेजिंग तो घर के ही एक कमरे में शुरू किया जा सकता है । एम्ब्रोयडरी के लिए 10 लाख रूपये की मशीन की जरूरत होती है फिर भी यह सारे उद्योग समाज में दिन प्रति दिन प्रयोग में आने वाली सामग्री में काम आते हैं।

होर्डिंग्स का उद्योग भी काफी कारगर है। इसमें प्रौद्योगिकी की जानकारी होना आवश्यक है जैसे कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनिंग इत्यादि। इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग प्रेस की तरह का काम होता है। पहले कंप्यूटर पर डिजाइन व स्लोगन तैयार कर लिए जाते हैं। बाद में ग्राफिक द्वारा उन्हें बनाया जाता है। फिर इनके निगेटिव निकालकर हजारों की संख्या में प्रिन्ट कर लिया जाता है। बाद में दो से तीन मजदूरों की सहायता से जहाँ अनुमति हो व आवश्यकता हो वहाँ लगा दिया जाता है।

महिलाओं के लिए तो सबसे बढ़िया कपड़े सिलने का उद्योग है जो घर बैठे ही किया जा सकता है । लोग खुद ही कपड़े लेकर आते हैं व लेकर जाते हैं। अतः घर संभालने के साथ–साथ यह उद्योग किया जा सकता है।

वैश्वीकरण के चलते भारतीय बाज़ार विश्व के लिए खोल दिए गए हैं। अतः बाहर की कंपनियों को भारत में काम करने के लिए हिन्दी का ज्ञान होना आवश्यक होता है क्योंकि सबसे ज्यादा विज्ञापन हिन्दी में ही होते हैं। अतः नेट पर अनेक व्यवसायों के लिए हिन्दी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे लोग व्यवसाय में हिन्दी का सुचारू रूप से उपयोग कर सकते हैं। संचार, सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का प्रचालन व अनिवार्यता होने की वजह से ऐसे पाठ्यक्रमों का लोग अभ्यास कराते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग, मार्केटिंग में काम आता है।

विश्व में करीब 267 देश ऐसे हैं, जहाँ के विश्वविद्यालयों में हिन्दी का पाठ्यक्रम उपलब्ध है वहाँ के विद्यार्थी हिन्दी में अनुसंधान भी करते हैं। अतः वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाने का भी रोजगार हमारे यहाँ के लोगों को मिल सकता है लेकिन इसमें शर्त यह है की उस देश की भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

विदेशी फिल्मों, डिस्कवरी, पोगो इत्यादि दूरदर्शन के चैनल को हिन्दी में अनुवाद करने का काम किया जा सकता है। क्योंकि दूरदर्शन पर हिन्दी भाषा को ज्यादा पसंद किया जाता है।

महाश्वेता देवी, विजय तेंदुलकर जैसे अंग्रेजी में लिखने वाले लेखकों की पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद कर भी कॉपीराइट पर पैसे कमाने की भी दिशा उपलब्ध है। मन में यदि कुछ करने की लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं।

प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें उन्हें प्रशिक्षण के दौरान कुछ मानधन भी दिया जाता है, जिससे युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं अन्यथा "पहले अनुभव नहीं है इसलिए नौकरी नहीं" ऐसा स्पष्ट क़ायदा था । यदि किसी को काम करने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो अनुभव का प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त होगा ? सरकार की योजना है कि युवाओं द्वारा सारा माल हमारे देश में तैयार कर निर्यात किया जाए, ताकि हमारे डॉलर का खजाना बढ़ सके। हमारे देश में 23 से 25 साल की उम्र के 21.5 करोड़ युवा है। इतनी बड़ी संख्या का यदि सही उपयोग किया गया तो देश विकास की राह पर चल पड़ेगा। डिजिटाइजेशन में भी युवाओं का योगदान कंप्यूटर पर हाई इंटरनेट सेवा के द्वारा उपयोग कर समाज के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आईटीआई में प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार की संभावनाएँ भी विकसित की जा रही हैं। यह सब मेक इन इंडिया में बाहर के देशों की बड़ी–बड़ी कंपनियों को बुलाकर हमारे देश में उनके कारखाने लगाकर हमारे लोगों को नौकरियां प्रदान की जाती हैं अथवा की जा रही हैं । हमारे लोगों के खून पसीने से जो माल तैयार होता है वह हमारे देश में व बाहर भी बेचा जा सकता है। बाहर के देशों के प्रशिक्षक को भी भेजा जा सकता है। बाहर के देशों के प्रशिक्षक भी हमारे यहाँ के आईटीआई के बच्चों को अपने तरीके का प्रशिक्षण देने के लिए चुनाव करते हैं ।

इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा प्रतिशतता (%) लाने की होड़ के कारण कोचिंग संस्थानों में रोजगार के काफी अवसर हैं। चिकित्सा पाठ्यक्रम एम.बी.ए., यूपीएससी, पीएससी इत्यादि के लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है इसलिए हर शहर छोटे छोटे शहरों में भी ये संस्थान अच्छा कमा लेते हैं। विद्यार्थियों को भी दूर नहीं जाना पड़ता व पास होने से पढ़ने के लिए समय भी अधिक मिल जाता है। आने जाने में पैसे भी खर्च नहीं होते ।

कृषि के क्षेत्र में भी नर्सरी ग्रीन पोली हाउस फलाहार की अच्छी जानकारी हो तो खुद का व्यवसाय किया जा सकता है। मशरूम इत्यादि में कमरे का तापमान यदि समुचित ढंग से नियंत्रित किया जाए तो यह एक अच्छा और फायदे का व्यवसाय साबित हो सकता है। जिसकी होटलों में और घरों में काफी माँग होती है, क्योंकि मशरूम प्रोटीन युक्त होते हैं, जो आजकल भोजन का अभिन्न अंग है ।

फिल्मलाइन और विज्ञापन के क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर हैं। फिल्म लाइन में कैमरा, फोटोग्राफी, कपड़ों की वेशभूषा, मेकअप इत्यादि के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है। इसमें रचनात्मक मस्तिष्क की अपार संभावनाएँ होती हैं, जिसको साबित कर अच्छी रकम कमाने के साथ साथ अपनी प्रतिभा से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई जा सकती है।

प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना में भी रोजगार के अवसर हैं। इस योजना में गरीब लोगों को स्वास्थ्य के लिए हर साल 5 लाख रूपये तक का बीमा कवर किया गया है । इस योजना को लोगों तक पहुँचाने, इसका प्रचार– प्रसार करने के लिए आयुष्मान मित्र/आयुष्मान अधिकारी एमबीए की डिग्री धारक होता है, इस योजना में रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं, जिससे अनेक लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरी मिलेगी।

इन सबके अलावा सेवा उपलब्ध कराने के कार्य में तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। बहरहाल काम करने की इच्छा और दृढ़शक्ति हो तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है । अवसर उपलब्ध हैं जिन्हें अपने अनुकूल बनाना और उसमें खुद को ढालना होगा। खुद पर विश्वास करने की कसौटी पर हर पल खरे उतरने को कोशिश, दूरदर्शिता और हर पल कुछ नया करने की जुगत में रहने तथा किसी भी शॉर्ट कट से बचने और धैर्य से काम लेने की सकारात्मक प्रवृत्ति से वह सब कुछ संभव है जो हम करना चाहते हैं।

पुरस्कृत

अरूण कुमार
विधि अधिकारी, निगमित कार्यालय

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

बेटी–बचाओ – बेटी पढ़ाओ को एक राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से प्रारंभ किया। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है।

हमारे समाज में सामान्यतः दो प्रजाति के इंसान रहते है। लड़का और लड़की। लेकिन आज तक हमारा समाज इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया है कि इनमें कोई अन्तर नहीं करना चाहिए। हम और आप सुबह उठते ही अख़बार में न जाने कितनी ऐसी खबरें पढ़ते हैं जहाँ न जाने कितनी लड़कियों को लड़की होने के गुनाह की सजा दी जाती हैं। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ समाज में पनपते लिंग असंतुलन को नियंत्रण करना भी है। हमारे समाज में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या की संख्या सच में चौंकाने वाली हैं जोकि आगे चलकर देश के भविष्य के लिए चिंताजनक हैं।

हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अक्सर देखते है कि मंदिरों में देवियों की पूजा–अर्चना की जाती है और वहीं घरों, कॉलेजों, कार्यालयों इत्यादि जगहों पर उन पर अत्याचार किया जाता है। ये हमारे दोहरे चरित्र का प्रमाण हैं। एक तो हमारे समाज में लड़कियों को कन्या भ्रूण हत्या का सामना करना पड़ता है और अगर कोई लड़की जन्म ले भी ले, तो उसको जन्म के बाद कई सारी सामाजिक कठिनाइयों और अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। उन्हे शिक्षा से वचिंत रखा जाता है, उन्हें समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ना पडता है।

आज हमारे देश की सरकार भी बेटियों को बचाने और उनके अच्छे भविष्य के लिए तरह–तरह के कदम उठा रही है। बेटियों की अच्छी परवरिश के लिए

नए कानूनी नियम भी लागू किए जा रहे हैं और कुछ पुराने नियमों में जरूरत अनुसार बदलाव भी लाया जा रहा हैं। आज इंडियां सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2017–18 की रिर्पोट के मुताबिक, वर्ष 2010–11 में उच्च शिक्षण संस्थानों में 12 लाख युवतियां थी, वर्ष 2017 –18 में यह आंकडा एक करोड चौहत्तर लाख पर है। इससे पता चलता है कि पिछले सात सालों में उच्च शिक्षा में बेटियों का आकडा 14 गुना से भी अधिक हो गया है।

बेटी बचाओ– बेटी पढ़ाओ अभियान एक सही दिशा में प्रगतिशील है और ये महिलाओं के हक के लिए आवाज बुलन्द करने का अच्छा जरिया है।

बेटों और बेटियों का भेद मिटना चाहिए ,
देश को बचाना है तो बेटियाँ बचाइए।
जय बेटी। जय भारत।

पुरस्कृत

राजेन्द्र थापर
उप विपणन प्रबंधक, निगमित कार्यालय

माँ और बेटी - ईश्वर के दो अद्भूत वरदान

(मैं इस कविता के माध्यम से मेरे जीवन में ईश्वर के इन दो वरदान के लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति कुछ इस कदर करना चाहूँगा)

माँ है ईश्वर का दूसरा रूप
और बेटी है उसकी छाया
धन्यवाद है परमपिता परमेश्वर का
कि इनके माध्यम से मुझे यह संसार दिखाया।।

माँ ने अपने आंचल में छुपा लिया हर दुख से
बेटी ने ठीठलाकें मुस्कुरा जो दिया ,
मिल गया संसार का हर सुख मुझको।।

सुख की सुबह हो या गम की रात ,
बिना कहे, हर पल माँ साथ होती है।
और जीवन की उलझी राहों के बीच
सूरज की किरण सी, बेटी साथ होती है।।

हे ईश्वर, हाथ जोड़ करूं तुझसे यही प्रार्थना।
हर एक शख्स पर बनाएँ रखना यही वरदान अपना।।

हिन्दी पखवाड़े की झलकियां

कंपनी में भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी नीतियों का अनुपालन किया जाता है तथा प्रधान कार्यालय में तथा इसकी सभी अधीनस्थ यूनिटों में राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार हेतु दिनांक 14.09.2018 से 28.09.2018 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध, हिन्दी कविता एवं स्लोगर, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, मुहावरा एवं लोकोक्तियां, हिन्दी टंकण, वाद–विवाद, प्रश्न मंच, ई–मेल लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इन सभी प्रतियोगिताओं में कार्मिकों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया तथा पखवाड़े के समापन समारोह वाले दिन प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त कार्मिकों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

प्रधान कार्यालय

रसायनी यूनिट

उद्योगमंडल यूनिट

डॉ0 ए. के. गुप्ता,
उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रसायनी यूनिट

मानसून में बीमारियाँ - रोकथाम और उपचार

मानसून आते ही हर कोई खुश हो जाता है। मानसून के आने से सबको गर्मी से राहत मिल जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि मानसून का मौसम आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। जी हाँ, बारिश के साथ कई प्रकार की बीमारियां भी आती हैं। मानसून मे मच्छर से उत्पन्न होने वाले रोग (Mosquito Borne Disease in Monsoon)

1. मलेरिया (Malaria), डेंगू (Dengue), चिकनगुनिया (Chikungunya)
2. मानसून में जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां (Water borne diseases in Monsoon) : हैजा (Cholera), टाइफाइड फीवर (Typhoid), हेपेटाइटस (Hepatitis A), डायरिया (Diarrhea), लेप्टोस्पिरोसिस।
3. मानसून में आमतौर पर हवा में वायरल संक्रमण (Viral Infections) होता है । जैसेः– वायरल बुखार व आखों में संक्रमण होना (Eye Infection in Monsoon)
4. मानसून के दौरान कवक संक्रमण (Fungal infection in Monsoon)

ये रोग एक जगह पर ठहरे हुए जल के माध्यम से फैलते हैं जो मच्छर के विकास के लिए आदर्श होता है। स्थिर पानी केवल जल निकाय के अलावा कूलर, रबड़ टायर या बाहर खुले कंटेनर मे बचा हुआ पानी मच्छर के लिए प्रजनन का आधार हो सकता है।

तो आइये जानते हैं मच्छर से उत्पन्न होने वाले रोग –

1. **मलेरिया**– हर मानसनू में हजारो लोगों को मारता है। यह मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने पर होता है। यह मच्छर शाम और सुबह काटते हैं।

   लक्षण– मच्छर काटने के तीन से दस दिन के भीतर ठंड के साथ गंभीर बुखार आना, शरीर गर्म होना, पसीना आना और एक या दो दिन के अंतर से बुखार का बने रहना।

2. **डेंगू**– मानसून के मौसम मे डेंगू होना आम बात है। यह शायद सबसे कुख्यात मानसून की बीमारी है। डेंगु एडीज मच्छर द्वारा काटने पर होता है जो कि दिन के समय काटता है।

   लक्षण– 1. मच्छर काटने के चार से सात दिन के भीतर तेज बुखार होना। 2. मांसपेशियों और जोड़ो में गंभीर दर्द के साथ शरीर पर चकत्ते होना। 3. आंख के पीछे दर्द। 4. भूख में कमी। 5. मसूड़े से खून बहना।

3. चिकनगुनिया – मानसून में मच्छर से पैदा होने वाला वायरल रोग है। एक एडीज़ मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर रुके हुए पानी में पैदा होते हैं और दिन के समय काटते हैं।

   लक्षण– 1. अचानक तेज बुखार होना 2. जोड़ो मे दर्द 3. मांसपेशियों और जोड़ मे दर्द के साथ शरीर पर चकत्ते और थकान होना।

सावधानियां

1. मानसून में इस बीमारी से बचने के लिए पानी के कंटेनर को नियमित रुप से साफ करें और नियमित समय पर कीटनाशक का छिड़काव करें। अपने आस–पास ठहरे हुए पानी में मच्छर के लार्वा न पनपने दें ऐसे उपाय करें।
2. घर पर बने ताजा भोजन का सेवन करें।
3. सुबह– शाम के समय घर से निकलते समय पूरी बाजू के कपड़े पहनें।
4. हमेशा एक मच्छर विकर्षक (repellent) उपयोग में लायें। आजकल एंटी–मॉसकीटो लोशन, और कलाई बैंड भरपूर मात्रा में उपलब्ध है।
5. नियमित समय पर कीटनाशक का छिड़काव करें।
6. रात में कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी का प्रयोग करें।

मानसून के दौरान, दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलने वाले रोग इस प्रकार के रोग उन इलाके मे ज्यादा होते है जहां स्वच्छता और समुचित सीवेज प्रणाली की कमी होती है। ऐसे रोग हैं–––

1. **हैजा**–एक आम रोग है। यह बीमारी आम तौर पर मानव मल द्वारा दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलती है। अक्सर बाढ़ आने के बाद इस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। अगर उपचार न किया जाए तो यह घातक भी हो सकती है। कभी–कभी यह महामारी का रूप ले लेती है।

   लक्षण– 1. गंभीर दस्त और उल्टी होना 2. निर्जलीकरण के कारण वजन घटना और मांसपेशियों मे ऐंठन, कम रक्त दबाव 4. मुह, गले, नाक और पलक सुखना (mucous membranes) 5. तवचा की लोच का कम होना

2. **टाइफाइड फीवर**–यह सालमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया द्वारा दूषित भोजन या पानी के कारण होता है। यह बैक्टीरिया कई दिनो तक

पानी या सूखे गंदे नालो में जीवित रह सकता है और आम तौर पर शरीर के मौलिक मार्ग (faeco & oral route) के माध्यम से प्रवेश करता है।

लक्षण 1. भूख में कमी और सुस्ती आना 2. बुखार 104° फ़ारेनहाइट से भी अधिक होना 3. पेट में दर्द होना 4. दस्त या क़ब्ज़ होना

3. हेपेटाइटस ए (HepatitisA) – यह हेपेटाइटस ए वायरस के कारण लीवर की एक गंभीर संक्रामक बीमारी है और यह संक्रामित मल, भोजन, पानी या (close personal contact) के माध्यम से फैलता है।

लक्षण– आमतौर पर यह बीमारी वायरस से संपर्क होने के 2–7 सताह बाद विकसित हो सकती है। 1. थकान और सुस्ती आना 2. जी मचलाना 3. पीलिया 4. डार्क कलर यूरीन होना 5. भूख घटना 6. काले या मिट्टी रंग का मल होना।

4. डायरिया– यह मानसनू में होने वाला रोग है। अधिकतर कम गुणवत्ता के तेल से बना हुआ भोजन और अस्वच्छ भोजन तथा पानी के कारण डायरिया होता है।

लक्षण– 1. दस्त होना 2. पेट में तेज दर्द 3. उल्टी आना 4. बुखार 5. कमजोरी महससू होना

सावधानियां

1. उस भोजन या पानी से बचें जिसके दूषित होने की संभावना हो।
2. निजी स्वच्छता बनाए रखने से अधिकांश पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से संरक्षण सुनिश्चित होता है।
3. भोजन/पानी को संक्रमण से बचाने के लिए कंटेनर कवर करें।
4. इन बीमारियों को हल्के में न लें। इनको अनदेखा करना संभावित घातक महामारी का कारण बन सकता है।
5. दस्त से होने वाले निर्जलीकरण से निपटने के लिए थोड़े थोड़े टाइम बाद ओआरएस पीते रहे।
6. ये सभी सावधानियां सभी मानसून मे फैलने वाले रोगों के लिए अपनाएं।
7. बहुत अधिक ऑयली फूड खाने से बचें।
8. इस को रोकने के लिए उचित स्वच्छता रखें।
9. खाना खाने से पहले हाथ धोएं।
10. पानी केवल उबालकर पीयें।

5. लेप्टोस्पिरोसिसकृये बीमारी चूहे के मूत्र द्वारा संक्रमित पानी से फैलती है।

लक्षण– 1. तेज बुखार होना 2. मांसपेशियों और जोड़ो में दर्द, थकान,पेट मे दर्द।

सावधानियां– गंदे पानी मे चलने से बचे, हमेशा बाहर से आने पर हाथ–पैर धो कर ही खाना खाए, अक्सर बाढ़ आने के बाद इसकी संभावना बढ़ जाती है।

3. वायरल संक्रमण (Viral Infections)

मानसून में आमतौर पर हवा का तापमान वायरस बढ़ने के लिए अनुकूल होता है। जिससे वायरल बुखार व आखों व फेफड़े में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है।

लक्षण– गले मे खराश होना, गले मे दर्द होना, खांसी होना, आँख–नाक–कान मे दर्द होना,बुखार आना।

सावधानियां– नहा कर पंखे के नीचे न खड़े हों, गीले कपड़े ना पहने, बारिश से बचें। लोगो से हाथ मिलाने से बचें, क्योकि हाथ मिलाने से आँख के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।

4. मानसून के दौरान कवक संक्रमण – (Fungal infection)-

वातावरण मे नमी होने से, गीले कपड़े पहनने से त्वचा में खुजली की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है।

लक्षण– त्वचा का लाल होना, खुजली आना।

सावधानियां – गीले कपड़े ना पहने, बारिश से बचें।

उपचार– बीमारीयों को हल्के में न लें। स्वयं उपचार से बचे।

अंत में, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की प्रगति संभव है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में शरीर को स्वस्थ बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। किसी बीमारी की आशंका होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें और तब ईलाज करें। चिकित्सक के कहे के अनुसार कोर्स भर दवाएँ अनिवार्य रूप से लें। बीच में दवाई का सेवन न छोड़ें। समय–समय पर अपना और अपने परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य जाँच कराते रहें। स्वयं से ईलाज करने से बचें। संतुलित आहार लें। स्वच्छ जल पीयें। स्वस्थ रहें। प्रसन्न रहें।

अजीत कुमार
विपणन अधिकारी (समन्वय)

प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार विधि

प्राथमिक चिकित्सा क्या है ?

मानव जीवन अनेक तरह की घटनाओं से भरा हुआ है। यह दुर्घटना छोटी सी भी हो सकती है और ज्यादा भयानक भी। कहीं भी हो सकती है जैसे:– घरों में बैठे–बैठे ही कोई भी दुर्घटना हो सकती है और सड़क पर चलते–चलते भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तब ऐसी स्थिति में दुर्घटना या चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले किए जाने वाले सहायक इलाज को प्राथमिक चिकित्सा कहते है। सेंट जोन एम्बुलेंस के उपाध्यक्ष सतीश चन्द गोयल के अनुसार–''किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने या आकस्मिक रोगी होने पर उनके जीवन व अंगो को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने से पहले या चिकित्सक के आने से पहले जो सहायता दी जाती है उसे हम प्राथमिक सहायता कहते है।''

प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य–

प्राथमिक चिकित्सा के निम्नलिखित तीन मुख्य उद्देश्य होते है–

- जान बचाना– प्राथमिक चिकित्सा का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है घायल या पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना। किसी की जान बचाने के लिए आप हमेशा डॉक्टर पर निर्भर नही रह सकते हैं। ऐसा संभव नही है कि घटनास्थल पर हमेशा कोई डॉक्टर मौजूद हो इसीलिए सही तरीके से प्राथमिक चिकित्सा देने से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।
- स्थिति बिगड़ने से रोकना– प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य घायल व्यक्ति की स्थिति और घावों को बिगड़ने से रोकना। किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को खतरे से बचा रहे है या उसका खतरा कम कर रहे है। जैसे :– आग से जल रहे व्यक्ति के ऊपर कंबल डाल देना उसे आग से बचायेगा और उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा का काम करेगा।
- ठीक होने में मदद करना– प्राथमिक चिकित्सा रोगी के ठीक होने की प्रकिया में मदद करता है।

प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत

- सांस की जाँच करें और ABC के नियम का पालन करें।
- अगर चोट लगी है और रक्त बह रहा हो तो जल्द से जल्द रक्तस्राव को रोकें।
- अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो उसे समझाएं और सांत्वना दें।
- अगर व्यक्ति बेहोश हो तो होश में लाने की कोशिश करें।
- अगर कोई हड्डी टूट गयी हो, तो सीधा करें और दर्द को कम करें।
- जितना जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल या चिकित्सालय पहुंचाएं।

प्राथमिक चिकित्सा का नियम "ABC"

A(Airway)– श्वासनली की जाँच

श्वासनली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों में जीभ के कारण हो सकता है। बेहोशी के बाद मुहँ की मांसपेशियों के ढीला पड़ने के कारण जीभ गले के पिछले भाग में गिर जाती है, जिससे श्वासनली ब्लाक हो जाती है। श्वासनली की जाँच करने के लिए सबसे पहले अपनी उँगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींच लायें। आप उसके पश्चात यह सुनिश्चित कर लें की श्वासनली में किसी भी प्रकार का रुकाव ना हो।

B (Breathing) – सांस की जाँच

सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुह के पास ले जा कर सुनें, देखें और महसूस करें। छाती को ध्यान से देखें , ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। अगर वह सांस नहीं ले रहा हो तो उसी समय Mouth to Mouth Respiration दें। जिसमें घायल व्यक्ति को पीठ के बल सीधे लेटा कर उसके मुहँ को खोल कर अपने मुहँ से हवा भरी जाती है।

C(Circulation) – रक्तसंचार की जाँच

अब बारी है रक्तसंचार की जाँच करने की। सबसे पहले घायल व्यक्ति की नाड़ी की जाँच करें। जाँच करने के लिए कैरोटिड आर्टरी को ढूंढें। यह artery गर्दन के कोने में कान के नीचे होती है आप अपनी उँगलियों को वहां रख कर जाँच कर सकते हैं। पल्स की जाँच करने के लिए 5–10 सेकंड लगते है। अगर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन चल रही हो तो Mouth to

Mouth Respiration चालू रखें और अगर दिल की धड़कन ना चल रही हो तो बिना देरी किये Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) चालू करें (Mouth to Mouth Respiration के साथ)। इसमें एक बार मुहँ से हवा देने बाद मरीज़ के दिल के ऊपर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख कर ज़ोर–ज़ोर से चार बार दबाएँ। जब तक घायल व्यक्ति अपने आप सांस नहीं लेता। यह काम दो व्यक्ति होने पर और भी सही प्रकार से होता है क्योंकि इससे एक व्यक्ति Mouth to Mouth Respiration करता है तो दूसरा Cardiopulmonary Resuscitation(CPR) करता है।

प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति के गुण

(1) विवेकी (observant), जिससे वह दुर्घटना के चिन्ह पहचान सके;

(2) व्यवहारकुशल (tactful), जिससे घटना संबंधी जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त करते हुए वह रोगी का विश्वास प्राप्त करे;

(3) युक्तिपूर्ण (resourceful), जिससे वह निकटतम साधनों का उपयोग कर प्रकृति का सहायक बने;

(4) निपुण (deÛterous), जिससे वह ऐसे उपायों को काम में लाए कि रोगी को उठाने इत्यादि में कष्ट न हो;

(5) स्पष्टवक्ता (eÛplicit), जिससे वह लोगों की सहायता में ठीक अगुवाई कर सके;

(6) विवेचक (discriminator), जिससे गंभीर एवं घातक चोटों को पहचान कर उनका उपचार पहले करे;

(7) दृढ़ निश्चयी (persevering), जिससे तत्काल सफलता न मिलने पर भी निराश न हो तथा

(8) सहानुभूतियुक्त (sympathetic), जिससे रोगी को ढाढ़स दे सके, होना चाहिए।

प्राथमिक चिकित्सा के समय स्वयं को इन्फेक्शन से बचायें

फर्स्ट ऐड के दौरान आपको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपको घायल व्यक्ति से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और आपसे भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन उस घायल व्यक्ति को ना हो। इसीलिए अच्छे से हाथों को धोएं और ग्लव्स (दस्ताने) का उपयोग करें जिससे की क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। खुले हाथों से रक्त जनित संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस बी या सी और HIV या AIDS होने की संभावना होती है। यह वायरल बीमारियाँ किसी भी एक व्यक्ति के खून से दूसरे व्यक्ति के खून में मिलने से होती है।

प्राथमिक चिकित्सा किट और सामग्री

प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होने के साथ हम स्वयं का भी उपचार कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार की सुविधा के लिए हम प्राथमिक चिकित्सा की पेटिका बनायें जिसमें कुछ वस्तुए एवं औषधियां होती है जिसमें कुछ बाजार की और कुछ घरेलू औषधियां रखी होती है। इस पेटिका का विवरण नीचे पूरी डिटेल में बताया गया है।

1. एक बॉक्स हो जिसमें घाव को साफ और कवर करने के लिए अलग––अलग पट्टियाँ हो।
2. छोटी कैंची
3. डेटोल / सेवलॉन / एंटी बैक्टीरियल की शीशी हो
4. रुई का बंडल
5. पट्टी के बंडल
6. 5 से 6 बैंडेज
7. छोटी चिमटी
8. तेज धार वाला चाकू सुइयों का पैकेट
9. मेडिसिन (आई) ड्रोपर
10. थर्मामीटर
11. गर्म पानी की बोतल
12. बर्फ का बैग
13. धूप की जलन ,कीड़े –मकोड़े के काटने आदि के लिए केलाइमन लोशन की बोतल
14. चिपकने वाली मेडिकल टेप
15. सर्दी – खांसी, सिर दर्द, बुखार की दवा
16. ग्लूकोस
17. विटामिन की गोलियां
18. नयी बैटरी के साथ फ्लेशलाइट / टॉर्च

कपड़ो में आग लग जाने पर

- यदि खाना बनाते समय या किसी भी कारण से व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे तुरंत कंबल से ढक कर जमीन पर लुढ़काना चाहिए और उसके मुंह को नहीं ढकना चाहिए।
- जलते हुए व्यक्ति पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि इस से जले हुए स्थान पर घाव और अधिक गंभीर हो जाता है।
- जले हुए व्यक्ति को किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं जहां पर कोई ना हो यानी एकांत जगह हो और और उसे पीने के लिए चाय या दूध दें।

- जले हुए स्थान पर खाने के सोडे के घोल से पट्टी करनी चाहिए।
- यदि जलते हुए व्यक्ति के कपड़ा चिपक जाता है, तो उसे उसके शरीर से उस कपड़े को आराम से उतारें और जले हुए स्थान पर जैतुन या नारियल का तेल लगाएं।

सिर में चोट लगने की दुर्घटना होना

यदि किसी कारण से सिर में चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति की निम्न प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा करें :–

- सिर में चोट लगे हुए व्यक्ति को कुर्सी पर सिर ऊपर उठाकर बिठाएं।
- यदि कान से खून बह रहा तो सिर को एक ओर मोड़ दें।
- किसी साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर चोट लगे व्यक्ति के सिर पर रखे।
- यदि चोट लगने के कारण व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उस व्यक्ति को होश में लाने का प्रयास करें और जल्दी ही डॉक्टर की सहायता लें।

सांप के काटने पर

यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसके लिए निम्न प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए।

- सांप के काटे हुए व्यक्ति को शांत करने का प्रयास करें उसे आराम करने दें।
- सांप के काटे हुए स्थान को साबुन से अच्छी प्रकार से धोएं।
- सांप के काटे हुए स्थान को उस व्यक्ति के दिल से हमेशा नीचे रखें।
- सांप के काटे हुए स्थान को और उसके आसपास स्थान को बर्फ से पैक कर दें, ताकि ज़हर का फैलना कम हो जाए।
- सांप के काटे हुए व्यक्ति को सोने ना दे हमेशा उस पर अपनी नजर रखें।
- और जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति को अस्पताल में ले जाएं।

कुत्ते के काटने पर

यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो उस व्यक्ति के लिए निम्न प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि कुत्ते के मुंह में कई प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस होते हैं।

- कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति के उस स्थान को साबुन और पानी से अच्छी प्रकार से धोएं।
- साबुन और पानी से धोते समय ज्यादा ना रगड़ें।
- यदि कटे हुए स्थान पर खून बह रहा है तो थोड़ा सा खून बहने दें इससे इन्फेक्शन साफ हो जाता है।
- और कुत्ते से कटे हुए व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके अस्पताल में जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन का टीका लगवाएं।

बिजली से करंट लगने पर

यदि किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो उसके लिए निम्न प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए।

- यदि किसी व्यक्ति को करंट लगा है तो सबसे पहले बिजली के मेन स्विच को बंद करें।
- यदि बिजली सर्विस बंद ना कर सकें तो उस व्यक्ति को सूखी लकड़ी या किसी प्लास्टिक वस्तु से उस व्यक्ति को दूर करें।
- यदि करंट लगा हुआ व्यक्ति होश में ना हो तो उसे ABC रुल से होश में लाएं।
- यदि करंट लगा हुआ व्यक्ति जल जाता है तो जले हुए स्थान को साफ कपड़े से ढकें।
- और जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं।

हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार

हड्डी कई कारणों से टूट सकती है जैसे किसी खेल के समय या किसी और दुर्घटना के कारण। कभी–कभी हड्डी टूटना जानलेवा भी हो सकता है।

हड्डी के टूटने के लक्षण:–

- चोट की जगह को छूने और हिलाने पर अगर दर्द हो।
- चोट की जगह पर सूजन, सुन्न हो जाना या नीला पड़ जाना।
- पैर काम ना कर रहा हो, उठने में कठिनाई हो रही हो, खासकर जब कंधे और पैर के जोड़ों में चोट लगी हो तो।
- अगर हड्डी चमड़ी के नीचे उभरी हुई हो।

हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स:–

1. अगर आदमी बेहोश हो तो सबसे पहले ABC रूल को फॉलो करें।
2. अगर कहीं खून निकल रहा हो तो पहले ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करें।

3. अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो पहले उसे सदमे के लिए प्राथमिक चिकित्सा दें और आराम से बात करें साथ ही सांत्वना दें।
4. अगर आपको दिखे कि कोई हड्डी टूट गई है तो पहले उस हड्डी को सीधा कर के नीचे एक गत्ते या लकड़ी का तख्ता देकर मजबूती से बैंडेज बाँध दें।
5. चोट की जगह पर प्लास्टिक बैग में बर्फ रखकर दबाएँ।
6. जल्द से जल्द मरीज़ को अस्पताल पहुँचायें।

जल जाने पर घरेलू उपाय और क्या करना चाहिए?

जल जाने पर उपचार

आप कई प्रकार से जल सकते हैं – गर्मी से, आग से, रेडिएशन से, सूर्य किरण, रासायनिक पदार्थ से और गर्म पानी से। बर्न या जलने को 3 डिग्री में विभाजित किया गया है –

फर्स्ट डिग्री बर्न – इसमें चमड़ी का उपरी भाग लाल हो जाता है और दर्द भी बहुत होता है। थोड़ी सूजन आती है और त्वचा को छूने से सफ़ेद हो जाता है। जली हुआ त्वचा 1–2 दिन में निकल जाती है। इसमें घाव 3–6 दिन में भर जाता है।

सेकंड डिग्री बर्न – इसमें त्वचा थोड़े मोटे आकार में जल जाती है। इसमें दर्द बहुत होता है और फफोले या छाले निकल जाते हैं। इसमें त्वचा बहुत ज्यादा लाल हो जाती है और सूजन भी आती है। इसमें घाव 2–3 हफ्ते में भर जाता है।

थर्ड डिग्री बर्न – इसमें त्वचा की तीनों लेयर जल जाती हैं। इसमें जली हुई त्वचा सफ़ेद हो जाती है ऐसे में दर्द कम होता है या बिलकुल नहीं होता क्योंकि इसमें न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। इसमें घाव भरने में बहुत समय लग जाता है।

जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स :–

फर्स्ट डिग्री बर्न

- जले हुए जगह को 5 मिनट तक पानी में डूबा कर ठंडा कीजिये। इससे सूजन और जलन कम हो जायेगा।
- क्रीम या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगायें।
- हल्के से बैंडेज बांधे।
- दर्द कम करने वाली दवाइयां खाएं (डॉक्टर से संपर्क करें)।

सेकंड डिग्री बर्न

- जले हुए स्थान को 15 मिनट के लिए पानी में डूबा कर ठंडा कीजिये जिससे जलन और सूजन कम हो।
- एंटीबायोटिक क्रीम लगायें।
- प्रतिदिन नई ड्रेसिंग करें।
- दर्द कम करने वाली दवाइयां और एंटीबायोटिक खाएं (डॉक्टर से संपर्क करें)।

थर्ड डिग्री बर्न

- थर्ड डिग्री बर्न में जितनी जल्दी हो सके मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाएँ।
- उनके शरीर या कपड़ों को ना छूएं, वे घाव में चिपक सकते हैं।
- घाव में पानी ना लगायें।
- किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट ना लगायें।

भारत में प्राथमिक चिकित्सा का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सेंट जोन एम्बुलेंस के द्वारा दिया जाता है। यह एक अन्तराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना रॉयल रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के सर्जन–मेजर विलियम जॉर्ज निकोलस मैनले ने 1873 में की। भारत में सर्वप्रथम सेंट जॉन एम्बुलेंस (पारसी एम्बुलेंस डिवीजन) की शुरूआत सन् 1904 ईव में बॉम्बे में हुई थी। सेंट जॉन एम्बुलेंस गतिविधियां सन् 1905 और 1910 के आस पास कलकत्ता में शुरू हुई।

भारत में इसका मुख्यालय दिल्ली में है और संघ के रूप में कार्य करता है। सेंट जोन एम्बुलेंस के दो परिचालन विंग है–

1) एसोसिएशन विंग – जो प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करता है।

2) ब्रिगेड विंग – जो सावर्जनिक घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करता है।

भारत में सेंट जोन एम्बुलेन्स एसोसिएशन की 23 राज्य केंद्र, 9 रेलवे केंद्र और 670 क्षेत्रीय, जिला, एवं क्षेत्रीय एसोसिएशन केंद्र है। जहॉं स्वयंसेवको को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो विभिन्न सार्वजनिक आयोजन एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हैं। सेंट जोन एम्बुलेंस के उपाध्यक्ष सतीश चन्द गोयल का कहना है कि"आजकल हरेक घरों में एक प्राथमिक चिकित्सक होना चाहिए। क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी हरेक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है और इसकी मदद से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचायी जा सकती है तथा विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदा का निवारण आसानी से किया जा सकता है।"

नेत्रपाल सिंह
वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर, निगमित कार्यालय

दो लाभदायक जड़ी-बूटियाँ

फूल वनपशा (स्वीट वॉयलेट)

यह खाँसी, जुकाम की अचूक दवा है। इसके फूलों का रंग, नीला, सफेद, बैंगनी है। इन फूलों से तैयार औषधि गुलवनफशदि क्वाथ, जुकाम, खाँसी, खराश, स्वास आदि की प्राचीन दवा है। यह क्वाथ (कच्चे कफ) को पकाकर मुँह के रास्ते बाहर निकाल देता है।

क्वाथ तैयार करना:– 25 ग्राम वनपशा को लेकर 250 मि.ली. पानी में डालकर मंद अग्नि पर उबालें, जब पानी की मात्रा चौथाई रह जाये, उसे छानकर सेवन करें। आवश्यकतानुसार इसमें मिश्री भी मिला सकते हैं। इस क्वाथ को रात्रि में सोते समय ही प्रयोग करना चाहिए।

पुनर्नवा (साठी, विषखपरा, (हॉगवीड)

यह वर्षा ऋतु में काफी मात्रा में पैदा होता है। यह दो तरह का होता है। 1 लाल पुनर्नवा 2 स्वेत पुनर्नवा। दोनों के गुण–धर्म लगभग एक जैसे ही हैं। उच्च रक्त चाप, हृदय रोगों, खूनी बवसीर, सूजन, पीलिया तथा रक्तहीनता, गठिया, पप्लेदार, मूत्रावरोध, गैस, खाँसी, नेत्ररोग तथा यह अग्निदीपक, मूत्रल तथा कीटनाशक है।

इसके पत्तों की सब्जी मूत्रल, सूजन तथा उच्चरक्तचाप में लाभदायक है। इसके पत्तों की भाजी में सौंठ डालकर खाने से जोडों के दर्द, गठिया, में लाभ मिलता है। इसके पत्तों, व जड़ का रस (10 मी.ली.) या दो चम्मच सेवन करना स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है। प्राचीनकाल से वैद्य लोग इसका सेवन रोगियों को कराते आए हैं।

सूक्ति–''वैद को वैदाई, चंगा करे खुदाई''

अर्थात वैद्य या चिकित्सक उपचार करते हैं। तथा प्रकृति या भगवान अच्छा करता है।

हिल (इंडिया) पर कविता

हिल (इंडिया) हमारी माता है।
हिल (इंडिया) भाग्य विधाता है।
हिल (इंडिया) हम सब की अन्नदाता है।
हिल (इंडिया) को हम सब शीश नवाते हैं।
हिल (इंडिया) के हम सब गुण गाते हैं।
हिल (इंडिया) का हम वंदन करते है।
हिल (इंडिया) का मिल–सब अभिनंदन करते है।
हिल (इंडिया) का नित–चिंतन करते है।
हिल (इंडिया) गुलाब की महक है।
हिल (इंडिया) जीवन की चमक है।
हिल (इंडिया) हरी–भरी क्यारी है।
हिल (इंडिया) फूलों की फुलवारी है।
हिल (इंडिया) हम–सब की हितकारी
हिल (इंडिया) तभी तो हम सब की प्यारी है
हिल (इंडिया) सभी पी.एस.यू. से न्यारी है।
हिल (इंडिया) की गंगा रूपी धारा बहती रहे।
हिल (इंडिया) हम सबको नहलाती रहे।
हिल (इंडिया) हम सब का तन–मन निर्मल करती रहे।
हिल (इंडिया) हम सब की झोली–भरती रहे।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए हाथों की स्वच्छता जरूरी

हाथों को अच्छे से साफ करना एक अच्छी आदत है और यही हमें बहुत–सी गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। बीमार होकर डॉक्टर के पास जाना और अपनी जेब ढीली करने से कहीं बेहतर है कि बीमारी को आने ही न दिया जाए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है और आपको कब–कब हाथ धोने चाहिए:–

कब धोने चाहिएं हाथ

मनुष्य के शरीर में हाथ ही ऐसे अंग हैं जो दिनभर किसी न किसी चीज को छूते रहते हैं। कभी हाथ मिलाने से तो कभी वस्तुओं को छूने से और कभी–कभी कई तरह की सतहों को। हमारे हाथ जब भी किसी चीज़ को छूते हैं तो हाथ संक्रमित होने की आशंका बनी रहती है।

हाथों का संक्रमित होना आम बात है। हर व्यक्ति के हाथ संक्रमित होते हैं। मगर जब संक्रमित हाथों को बिना धोए हम अपने मुंह, नाक या कान के लिए उपयोग में लाते हैं तो कीटाणु सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यहीं से शुरू हो जाता है बीमारी होने का सिलसिला। तो ऐसे में सबसे अच्छा है कि जब–जब आपको लगे कि हाथ गंदे हुए हैं तो अच्छे से धोएं।

ये काम करने से पहले धोएं हाथ

1. खाना बनाने से पहले या खाने से पहले
2. किसी घाव का उपचार करने , किसी को दवाई देने या किसी मरीज की देखभाल करने से पहले
3. आंखों में कॉन्टेक्ट लैंस लगाने या हटाने से पहले
4. शारीरिक संबंध बनाने के बाद

ये काम करने के बाद जरूर धोएं हाथ

1. खाना बनाने के बाद, खास तौर पर मांस या अंडे इत्यादि पकाने के बाद।
2. टॉयलेट जाने के बाद।
3. बच्चे के डायपर बदलने के बाद।
4. अपनी या किसी बच्चे की नाक साफ करने के बाद।
5. हाथों को नाक या मुंह पर लगाकर छींकने या खांसी करने के बाद।
6. किसी घाव का उपचार करने किसी को दवाई देने या किसी मरीज की देखभाल के बाद
7. कचरे को निपटाने के बाद।
8. किसी कैमिकल का इस्तेमाल करने के बाद (बागवानी या खेती करते हुए कई तरह के कैमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। असके अलावा जूते या कांच का सामान साफ करने में भी कैमिकल का उपयोग होता है।)
9. दूसरों के साथ हाथ मिलाने के बाद।

हाथ धोने का सही तरीका

आमतौर पर पानी और साबुन की मदद से हाथ धोए जाते हैं। यदि आप कोई हैंडवॉश लिक्विड (तरल पदार्थ) इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हाथ धोने का तरीका एक–सा ही रहेगा। हां, कुछ लिक्विड ऐसे भी आते हैं, जिनमें आपको पानी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाथों पर अच्छे से लगाने के बाद ये उड़ जाते हैं। ऐसे हैंडवॉश लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादातर सफर के दौरान किया जाता है।

1. अपने हाथों को स्वच्छ पानी से गीला करें
2. गीले हाथों पर साबुन या लिक्विड लगाएं
3. झाग बनाएं
4. दोनों हाथों को 20 सेकंड तक अच्छे से मलें। याद रहे कि इस प्रक्रिया में दोनों हाथों की हथेलियों के साथ–साथ हाथ के पिछले भागों, उंगलियों के बीच में और नाखुनों को भी रगड़ें।
5. हाथों को धोएं।
6. धोने के बाद हाथों को सूखे तौलिये या एयर ड्रायर से सुखाएं। सार्वजनिक स्थानों पर यदि तौलिया लगा हो तो उसका इस्तेमाल न करें।
7. अंत में नल को बंद करने के लिए तौलिये या अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें।

रोगाणु कई माध्यमों के जरिये से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। उनमें से एक अपने हाथ भी हो सकते हैं। आप दिनभर में कई प्रकार की चीजों को छूते हैं। साथ ही भारतीय होने के नाते हम में से कई लोग भोजन भी हाथ से ही करते हैं। इन्हीं हाथों से हम अपने मुंह को भी छूते हैं। इसलिये यह भी संक्रमण के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का सबसे आसान तरीका बन जाता है। यदि आप संक्रमण को रोकना चाहते हैं तो यहां पर कुछ सामान्य हाथ धोने के नियम दिये जा रहे हैं, जिन्हें आप अपना सकते हैं।

हाथों को कब धोएं–

हाथों को स्वच्छ रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन पहला सवाल उठता है कि वह कौन सा समय है कि आप हाथ धोने के लिए कौन सा समय चुने जिससे कि रोगाणु का खतरा ना हो। सबसे पहले तो आपको हाथ धोने की आदत बना लेनी चाहिये। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि भोजन के पहले और भोजन के बाद अपने हाथों को धोना है। साथ ही भोजन पकाने से पहले और सर्व करने से पहले इस नियम को अनिवार्य कर लें। इसी प्रकार से कुछ अन्य शर्तों के अनुसार भी आपको हाथ धोना चाहिये, जैसे किसी चोट को छूने के पहले और बाद में, जानवरों को छूने के बाद, नाक और मुंह पोछने के बाद, कूड़ा छूने के बाद, वॉश रूम जाने के बाद, दवाई खाने के पहले, सफाई करने के बाद आदि। इन स्थितियों में हाथ धोना बहुत ही जरूरी है। इससे आप कीटाणुओं से सुरक्षित रहेंगे।

किस प्रकार हाथ धोएं–

आपको अपने हाथों को ठीक प्रकार से धोना चाहिये। हमेशा कोशिश करें कि अपने हाथों को नल के चलते हुए पानी से धोएं ना कि बाल्टी में रखे हुए पानी से। हाथ धोते समय साबुन का प्रयोग जरूर करें। हाथ धोते समय हाथों को रगड़–रगड़ कर 20–25 सेकेंड तक जरूर धोना चाहिये। जब हाथ धुल जाएं तब उन्हें तौलिये से पोछें। हम हर जगह पर साबुन ले कर नहीं जा सकते है, इसलिये इस स्थिति में हैंड सैनिटाइजर रखें। यह उपयोग करने में आसान होता है, जिसको प्रयोग करने के लिये आपको पानी की कोई आवश्यकता नही होगा। लेकिन सैनिटाइजर खरीदने से पहले इस चीज को ध्यान में रखें कि उसमें 60% एल्कोहल मिला हुआ हो। इसके अलावा आप एंटीबैक्टीरियल वाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक प्रकार से बहुत प्रभावी होते हैं। नाखुनों की सफाई–आपको इस बात का भी पूरा–पूरा ख्याल रखना होगा कि आपके नाखुन भी साफ और कटे हुए हों। इंफेक्शन का खतरा गंदे नाखुनों की वजह से ज्यादा फैलता है।

गुनगुने पानी से धोएं हाथ

हाथ अगर गुनगुने पानी से धोए जाएं तो बेहतर है। इससे अधिक संख्या में कीटाणु मरते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि पानी अधिक गर्म न हो। अधिक गर्म पानी से बच्चों की त्वचा को नुकसान हो सकता है।

कितनी देर धोएं हाथ

साबुन से अच्छी तरह झाग बनाकर करीब 20 सेकेंड तक हाथ धोना सही रहता है। जरूरी नहीं कि आप एंटी बैक्टीरियल साबुन का ही इस्तेमाल करें। कोई भी साबुन कीटाणुओं को मारने में कारगर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे उंगलियों के बीच में और नाखुनों के आसपास भी अच्छी तरह से हाथ धोएं। और हां कलाई साफ करना न भूलें।

सुखाने के लिए तौलिया हो सही

हाथ धोने के बाद उसे तौलिये से पोंछ लें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा जिस तौलिये से हाथ साफ कर रहा है वह साफ और सूखा हो। तौलिये से हाथ साफ करने से बच्चे के हाथ पर दोबारा कीटाणु जमा हो सकते हैं। और ऐसे में उसका हाथ धोना बेकार जाएगा।

कीटाणुओं से बचने के लिए क्या करें

– भोजन से पहले हाथ जरूर धोएं।

– शौच के बाद भी हाथ धोना बहुत जरूरी है।

– घर की साफ सफाई के बाद हाथ अवश्य साफ करें।

– पालतू जानवरों से खेलने के बाद।

– किसी बीमार व्यक्ति से मिलकर आने के बाद ।

– छींक या खांसी के बाद।

– खेलने या बागवानी के बाद।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की झलकियाँ

कंपनी के निगमित कार्यालय तथा सभी यूनिटों में दिनांक 21.06.2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में स्थित सभी कार्मिकों ने योग प्रशिक्षकों की देख–रेख में योगाभ्यास किया।

प्रधान कार्यालय

रसायनी यूनिट

उद्योग मंडल यूनिट

बठिंडा यूनिट

रौशन किशोर
सहायक प्रबन्धक (वाणिज्य), निगमित कार्यालय

प्लास्टिक बैग उपयोग को कहें न

प्लास्टिक एक मानव निर्मित पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थों के विपरीत, प्लास्टिक को नष्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि यह गैर–बायोडिग्रेडेबल है, अर्थात अन्य पदार्थों की तरह यह विघटित नहीं होता। मानव ने प्लास्टिक का निर्माण अपनी सुविधा के लिए किया था। प्लास्टिक बैग का उपयोग पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर किया जाता है और बड़ी मात्रा में अपशिष्ट का कारण बनता है। यह अपशिष्ट है जो हजारों सालों तक ज्यों का त्यों पड़ा रहता है और भूमि, पानी और वायु प्रदूषण का कारण बनता है।

प्लास्टिक को बनाने के लिए जहरीले रसायन का प्रयोग किया जाता हैं, और मानव वर्तमान जीवन शैली में प्लास्टिक उत्पादों पर लगभग पूरी तरह से निर्भर है, जिसके कारण यह गंभीर बीमारियों का मार्ग प्रशस्त करता है। आधुनिक मनुष्य प्लास्टिक उत्पादों का इस प्रकार अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है कि जब सुबह उठता है तो टूथ ब्रश भी प्लास्टिक का होता है।

प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए खतरा है। उपयोग के बाद फेंक दिया गया प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा साबित होता है। वे उपजाऊ मिट्टी को प्रदूषित करने का कारण बनते हैं और वनस्पतियों के विकास को प्रभावित करते हैं। जंगली पेड़–पौधों तथा कृषि फसलें दोनों ही इस से प्रभावित होते हैं। जब पेड़ और पौधे पीड़ित होते हैं तो पूरा पर्यावरण ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है।

मनुष्य और वनस्पतियों के साथ–साथ पक्षियों और जानवरों के लिए भी प्लास्टिक हानिकारक है। जानवरों और पक्षियों द्वारा प्लास्टिक का सेवन करने से उनमें गंभीर बीमारी होती है तथा अधिकांश मामलों में प्लास्टिक बैग का उपभोग करने के कारण हर साल बड़ी संख्या में जानवर और समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक बैग मुख्य रूप से भूमि और जल प्रदूषण का स्तर बढ़ाकर दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक के उत्पादन में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम एक गैर नवीकरणीय संसाधन है और विभिन्न प्रयोजनों के लिए भी आवश्यक है। विभिन्न वस्तुओं, संयंत्रों और वाहनों और मानव जीवन के लिए उपयोगी सुविधाओं आदि में पेट्रोलियम का प्रयोग होता है, जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए, हमें अपने संसाधन को प्लास्टिक के उत्पादन पर बर्बाद करने के बजाय अपने उत्पादन के लिए इस संसाधन को सहेजना होगा जो हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है।

प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर रोकथामः–

1. सरकार के द्वारा की गयी पहलेंः

प्लास्टिक बैग को दुनिया भर के कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत सरकार ने कई राज्यों में प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और यह कई राज्यों में पूर्णतः लागू भी हो गया है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के सख्त और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैंः–

- प्लास्टिक बैग का उत्पादन बंद होना चाहिए।
- प्लास्टिक के बैग का प्रयोग करने के लिए दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। प्लास्टिक बैग ले जाने वाले लोगों पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
- पहले से ही बाजार में उपलब्ध प्लास्टिक बैग को नष्ट किया जाना चाहिए।

2. लोगों को परिपक्व एवं विवेकी होना होगाः

वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारे देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार प्लास्टिक बैग को न कहकर परिपक्व रूप से कार्य करना चाहिए।

3. प्लास्टिक बैग के विकल्प

हम सालों से प्लास्टिक बैग का उपयोग करते आए हैं, परंतु क्या इन्हें बदलना और इसके उपयोग को रोकना इतना कठिन है ? जवाब है नहीं ! प्लास्टिक बैग के कई विकल्प हैं।

प्लास्टिक बैग का मुख्य रूप से किराने की चीज़ें और अन्य सामान ले जाने के लिए दुकानदारों द्वारा उपयोग किया जाता है। जब भी हम बाजार जाते हैं तो जूट बैग या कपड़ा बैग ले कर जाना एक अच्छा विचार है। कपड़े या जूट के बने बड़े शॉपिंग बैग बाजार में उपलब्ध हैं और इसे कई बार पुनः उपयोग कर सकते हैं। ये बैग प्लास्टिक बैग की तुलना में काफी बेहतर होते हैं, जिनमें प्लास्टिक बैग के विपरित अधिक भारी सामान अथवा वस्तुएं ले जाई जा सकती हैं। हम बड़े कपड़े या जूट के बैग में एक से अधिक वस्तुएं एक साथ रख सकते हैं, जो कई छोटे प्लास्टिक बैग की अपेक्षा काफी सुविधानजक है। कपड़ा या जूट बैग पर्यावरण अनुकूल तो होता ही है साथ ही सुविधाजनक एवं टिकाऊ भी होता हैं अर्थात प्रयोग में लाए जाने वाला कपड़ा या जूट बैग लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है। आप प्लास्टिक बैग के अतिरिक्त पेपर बैग का भी उपयोग कर सकते हैं। कई दुकानों ने प्लास्टिक बैग के विकल्प के रूप में पेपर बैग उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, कपड़े के बने बैग का प्रयोग करने से लघु उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलता है, जिससे बेरोज़गारी की समस्या को भी कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

हम मनुष्यों ने अपने ग्रह पृथ्वी पर भारी नुकसान पहुंचाया है। हमने पर्यावरण को खराब कर दिया है और हर दिन ऐसा करना जारी रखा है। प्लास्टिक बैग के स्थान पर कपड़ा या जूट बैग उपयोग करना प्रदूषण को कम करने और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा छोटा सा प्रयास हो सकता है।

बिजली का दुरूपयोग रोकना

आज के समय में बजट तब हिल जाता हैं जब बिजली बिल, टेलीफोन बिल उम्मीद से ज्यादा आ जाते हैं। बहुत बुरा लगता हैं जब आधा वेतन इन बिलों का भुगतान करने मे ही समाप्त हो जाता है। बिजली के बिल को कुछ हद तक कम करना उपभोक्ता के हाथ में ही होता हैं। आवश्यकता होती है वक्त रहते जागने की, क्योंकि एक बार जब बिल भर दिया जाता है, तो भूल जाते हैं और फिर महीने के अंत में ही हमारे जहन में यह बात आती हैं कि बिजली का बिल कम करने का प्लान किया था।

इसलिए एक दोहे की लाइन हमेशा याद रखें "कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होए बहुरि करेगा कब" इसलिए आज से ही बिजली के बिल को कम करने की दिशा में अपना कदम बढायें। निम्न उपायों से आप अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं।

बिजली कैसे बचायें

बिजली का बिल कम करना एक आवश्यकता है और ऊर्जा का दुरूपयोग रोकना हम सभी का कर्तव्य भी है।

सभी बिजली के उपकरणों की जांच करवायें:

आपके घर में जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उनकी जांच करवाएं। कभी–कभी ये उपकरण आवश्यकता से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। अगर समय रहते आप किसी उपकरण की खराबी के बार में जान लेते हैं तो उन उपकरणों का उपचार करवायें या नए खरीदे क्योंकि यह एक बार का खर्चा आपको हर महीने के बिजली के अतिरिक्त बिल से बचा सकता हैं।

एयर कंडीशन का सही इस्तेमाल:

एयर कंडीशन बहुत मात्रा में बिजली की खपत करते हैं। गर्मी के दिनों में ए. सी और कूलर अधिक प्रयोग होने के कारण बिजली का बिल अधिक आता हैं। इसके लिए कोशिश करें कि जिस कमरे का तापमान आप कम रखना चाहते हैं, वहाँ सूर्य का प्रकाश ज्यादा आने दे । इसके लिए मोटे और गहरे रंग के परदे का इस्तेमाल करें और आवश्यकता से अधिक लाइट भी ऑन ना रखें। इससे कमरे का तापमान बढ़ जाता हैं और उसे कम करने के लिए एयर कंडीशन ज्यादा चलाना पड़ता है। अगर उपरोक्त उपायों से कमरों के तापमान में कमी की जाए तो एयर कंडीशन कम बिजली की खपत करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल में कमी आने के साथ–साथ देश में बिजली की बचत भी होगी, जिसका प्रयोग देश में अन्य उपयोगी सुविधाओं के लिया किया जा सकेगा ।

LED बल्ब का इस्तेमाल करें:

घरों में सामान्य बल्ब की अपेक्षा LED का प्रयोग करें। वैसे तो ये थोड़े महंगे होते हैं, परन्तु आपके महीने के बिजली बिल को कम करने में सहायक होते हैं। सामान्यतः यह LED बल्ब खराब भी नहीं होते इसलिए सबसे पहले अपने घर के सभी बल्ब को बदलें।

स्विच बंद करना याद रखें:

आजकल व्यक्ति को चाहे खाने की फुर्सत मिले ना मिले, परन्तु मोबाइल और लैपटॉप जैसे उपकरण चार्ज करना बेहद आवश्यक हैं। व्यस्तता और लापरवाही के चलते मोबाइल और लैपटॅप चार्ज तो कर लिए जाते हैं, परन्तु स्विच बोर्ड का स्विच बंद करना वे अक्सर ही भूल जाते हैं या टाल जाते हैं। इससे भी बिजली की खपत होती हैं, इसका ध्यान रखते हुए भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकते हैं।

टीवी का स्विच अवश्य बंद करें:

टीवी में रिमोट होने के कारण हम उसे रिमोट से ही बंद करते हैं और कई बार सेट टॉप बॉक्स तक को दिन भर ऑन छोड़ देते हैं। साथ ही टीवी का स्विच तो कई बार कई दिनों तक ऑफ नहीं किया जाता हैं। बिजली बचाना भी हम सभी का कर्तव्य हैं और इससे आप ही के पैसे बचते हैं। अतः इस तरह कि लापरवाही ना करें। टीवी और सेट टॉप बॉक्स दोनों को ही बंद करें।

गीज़र का सही तरीके से प्रयोग करें

सर्दी के मौसम में या कभी–कभी गर्मी में भी हमें गर्म पानी की आवश्यकता होती हैं, जिसके लिए हम गीजर का इस्तेमाल करते हैं। गीजर बहुत अधिक बिजली की खपत करता हैं और हम हमेशा ही गीजर ऑन छोड़ देते हैं या ऑन करके घंटों बाद पानी का प्रयोग करते हैं। यह सभी बहुत गलत आदते हैं। नहाने के पांच से दस मिनिट पहले गीजर ऑन करें। आपको पर्याप्त गर्म पानी मिलेगा। घंटों गीज़र ऑन करके रखने की जरूरत नहीं हैं। गीजर के खराब होने से बिजली का बिल 3 से 5 गुना तक ज्यादा आ सकता है।

माइक्रोवेव का इस्तेमाल ध्यान से करे:

छोटी–छोटी चीज़ें माइक्रोवेव में न बनायें जैसे पानी गरम करना या आलू उबालना। माइक्रोवेव में वही चीज़ें बनायें जो उसी में अच्छी बनती हैं क्योंकि माइक्रोवेव बहुत अधिक बिजली की खपत करते हैं। इसका भी स्विच जरूर ऑफ करें और प्री हीट पर रखते समय ध्यान रखें, आवश्क हो तो ही करें अन्यथा प्री हीट न करें।

ट्यूब लाइट एवं बल्ब का करें कम इस्तेमाल:

कम वाल्ट के लाइट का प्रयोग करें। जिस कमरे में हो बस वहीं लाइट ऑन रखें, परन्तु पढ़ते और टीवी देखते स्मय पर्याप्त लाइट ऑन रखें जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपना काम कर सके।

प्रेस का इस्तेमाल भी सोच समझ कर करें:

अगर आप घर में कपड़े प्रेस करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। जब कपड़ो पर प्रेस करनी हो तभी ऑन करें, उसके पश्चात बीच–बीच में स्विच बंद कर दें।

फ्रिज का ध्यान रखे:

फ्रिज का प्रयोग सभी मौसम में किया जाता हैं। अतः ध्यान रखें की फ्रिज को समय–समय पर साफ करना अति आवश्यक हैं। जिस ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता हैं कि फ्रिज में बर्फ के कारण फ्रिज अधिक बिजली खाता हैं और बिजली का बिल अधिक आता हैं।

सोलर उपकरण का करें इस्तेमाल:

सूर्य की उर्जा ही एक ऐसी उर्जा हैं जो आसानी से और भरपूर मात्रा में मिलती हैं इसलिए इसके उपकरण का प्रयोग करें जिससे उर्जा बचेगी और बिजली बिल में भी कमी आएगी।

पुराने पंखो को हटायें:

पुराने पंखे भी अधिक बिजली की खपत करते हैं, अगर उनमें गुंजाईश हो तो उन्हें ग्रीस डालकर ठीक करें अन्यथा बहुत साल बीतने पर पुराने पंखे भी बदलें। पंखा जब घूमने में आवाज करे और उसके स्विच को ऑन करने के बहुत देर बाद यदि पंखा घूमना शूरू करे तब समझें की इसे सर्विसिंग की जरूरत हैं और उसकी उचित देख–रेख करें।

अक्सर ही हम पंखे और लाइट के स्विच बंद किये बिना घर से बाहर चले जाते हैं दिन में भी पर्याप्त लाइट होने पर भी हम लाइट ऑन करते हैं और क्लास रूम या ऑफिस में हम कभी बिजली के उपकरणें को फिक्र से बंद नहीं करते और यहां तक कि कभी कभी तो स्ट्रीट लाइट दिन के समय भी जलती रहती हैं, जिससे बिजली व्यर्थ होती हैं। देश की उर्जा पर हम सभी का हक हैं हम सभी का दायित्व है कि ऊर्जा की व्यर्थ खपत न हो। अपने अधिकारों के साथ–साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए तथा बिजली की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए।

सी आर सागर
सहायक प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी,
रसायनी यूनिट

एसएपी (SAP) के लिए मुख्य पाठ्यक्रम

एसएपी का पूरा नाम, सिस्टम, एप्लीकेशन और प्रॉडक्ट है। SAP, ERP (enterprise resource planning) एक सॉफ्टवेयर है, इसमें कई मॉड्यूल हैं, जैसे– बिक्री और वितरण मॉड्यूल, मानव संसाधन मॉड्यूल, योजना मॉड्यूल, सामग्री मॉड्यूल। एस.ए.पी. (SAP), कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है और कर्मियों और व्यावसायिक संचालन के प्रबंधन के लिए सभी आकारों के उद्यमों द्वारा उपयोग किया जाता है यह एंटरप्राइज़ के सभी प्रदर्शन को बेहतर बनाता है।

बिक्री विभाग, मानव संसाधन, वित्तीय, विपणन, उत्पादन आदि विभिन्न विभाग हैं। एस.ए.पी. द्वारा इन सभी विभागों को उचित योजना द्वारा प्रबंधित किया जाता है। बिक्री, मानव संसाधन, वित्त जैसे अपने कार्यात्मक अनुभव के आधार पर, एस.ए.पी. संबंधित मॉड्यूल चुन सकते हैं। Oracle, and JD Edwards इत्यादि जैसे अन्य ERP system की तुलना में एस.ए.पी. को बहुत महत्व दिया जाता है। एस.ए.पी. का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी अग्रणी कंपनियों द्वारा ई–बिजनेस एप्लीकेशन, वेब इंटरफेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और जरूरी टूल के साथ अपने प्रॉडक्ट ऑफरिंग में जोड़ रहा है।

SAP के लिए मुख्य पाठ्यक्रम की सूची (List of main courses for SAP):

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एस.ए.पी. सॉफ्टवेयर पाठ्यक्रम स्नातक और स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो विशेष रूप से सॉफ्टवेयर और उसके विभिन्न कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ संस्थान व्यवसाय प्रशासन और विपणन में अंडरग्रेजुएट डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से एस.ए.पी. पाठ्यक्रम संचालित कर सकते हैं और कुछ स्कूलों के सतत शिक्षा विभाग एस.ए.पी. पाठ्यक्रमों को अपने निजी संवर्धन या कैरियर के विकास के उद्देश्यों के लिए स्वयं का संचालन कर सकते हैं।

वित्तीय प्रशिक्षण (Financial Training)

यह पाठ्यक्रम वित्तीय प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ,यह पाठ्यक्रम वित्तीय प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। यह संपत्ति और बैंक लेखा, डेटा रूपांतरण, लाभ विश्लेषण अध्ययन में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम से छात्र परियोजनाओं के सभी पहलुओं–कार्यान्वयन, कॉन्फ़िगरेशन और डिजाइन को सीखते हैं।

लॉजिस्टिक्स प्रशिक्षण (Logistics training)

एस.ए.पी. उत्पादन, डेटा रूपांतरण, लॉजिस्टिक्स, परीक्षण और बड़े सिस्टम के कार्यान्वयन, इस पाठ्यक्रम में शामिल विषयों में से हैं। इस पाठ्यक्रम में उत्पादन नियोजन, डिलीवरी, उत्पाद मूल्य निर्धारण और बिक्री प्रसंस्करण का निर्धारण शामिल हो सकता है।

व्यापार में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (Technology training in business)

एस.ए.पी. सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम व्यवसाय मॉडल बनाने पर केंद्रित है छात्र एस.ए.पी. सॉफ्टवेयर द्वारा एप्लिकेशन और कम्प्यूटर सिस्टम की प्रक्रियाओं के बारे में जानें, जिन्हें व्यवसायों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।

एस.ए.पी. में सुरक्षा प्रशिक्षण (Security Training in SAP)

एस.ए.पी. अनुप्रयोगों में सुरक्षा और सिस्टम ऑडिटिंग, गतिविधि और उपयोगकर्ता समूह रखरखाव, सिस्टम उन्नयन और परियोजना कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामग्री प्रबंधन और क्रय नीतियों में प्रशिक्षण (Training in Material Management and Purchasing Policies)

इन्वेंटरी प्रबंधन और क्रय नीतियां, ऑर्डर समझौतों, उत्पादन नियोजन , इस एस.ए.पी. कोर्स में शामिल हैं छात्र यह भी सीखते हैं कि आपूर्तिकर्ताओं को कैसे चुनना है और विक्रेताओं का प्रबंधन कैसे करना है।

एस.ए.पी. प्रमाणन कैसे प्राप्त करें? (How to get SAP certification?)

दुनिया भर में एस.ए.पी. प्रमाणीकरण की मांग सबसे ज्यादा है। एस.ए.पी. प्रमाणन एस.ए.पी. एजी द्वारा आयोजित एक परीक्षा है जिसके द्वारा हम क्षेत्रीय नौकरी की संभावनाओं में योग्यता प्राप्त करेंगे। एस.ए.पी. वित्तीय लेखा और नियंत्रण (एफआईसीओ), मैटेरियल्स मैनेजमेंट (एमएम) और प्रोडक्शन प्लानिंग (पीपी) सहित विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यापार मंच है।

डॉ0 शिवेन्द्र सिंह
उप प्रबन्धक (सतर्कता), निगमित कार्यालय

सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर के संरक्षण का संकल्प -2014

श्री सत्येंद्र दुबे, मुखबिर, की हत्या के पश्चात् दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 539/2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए है कि एक कानून अधिनियमित होने तक मुखबिरों से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने हेतु एक व्यवस्था स्थापित की जाए। भारत सरकार की दिनांक 21.04.2002 की अधिसूचना में दिनांक 29.04.2004 में अधिसूचित किया गया है कि सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर के संरक्षण का संकल्प –2014 जो मुखबिरों से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने हेतु आयोग को अधिकार देता है। यह संकल्प लोकप्रिय रूप से "मुखबिरों" के संकल्प के रूप में जाना जाता है। यह मुखबिरों द्वारा किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप अथवा कार्यालय के दुरूपयोग पर शिकायत या प्रकटीकरण प्राप्त और र्कारवाई करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अभिहित/मनोनीत किया गया है। आयोग को पी.आई.डी.पी.आई. संकल्प के तहत शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ताकि मुखबिरों को परिपीड़न से सुरक्षा प्रदान की जा सके। आयोग को आरम्भ में प्रेरित अथवा कष्टप्रद शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए एकमात्र अभिहित/मनोनीत अभिकरण के रूप में अधिकार प्राप्त था। समूह "क" अधिकारियों और अधिकारियों के समकक्ष स्तर के खिलाफ शिकायतों की पूछताछ या जांच के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के तहत कमीशन के क्षेत्राधिकार की सीमा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर के संरक्षण का संकल्प 2004 के संरक्षण के मामले में लागू नहीं है।

व्यापक प्रचार देने और मुखबिरों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए उचित तंत्र विकसित करने हेतु दिनांक 14.08.2013 के संशोधन द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मंत्रालयों/विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी को नामित अधिकारियों के रूप में मंत्रालय अथवा विभाग या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा अंतर्गत स्थापित निगम, सरकारी कंपनियों, समाज, केन्द्र सरकार और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय या विभाग द्वारा स्वामित्व व नियंत्रित स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार का प्रकटीकरण या कार्यालय के दुरूपयोग की लिखित शिकायतें या भ्रष्टाचार के प्रकटीकरण के लिए अधिकृत किया है।

वर्तमान में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक अभिहित/मनोनीत अभिकरण है और मंत्रालय/विभागों के सभी केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी मुखबिरों की शिकायतें प्राप्त करने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए मनोनीत प्राधिकारी हैं। संशोधन ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को मंत्रालयों/विभागों में अभिहित/मनोनीत प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों के पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण के लिए प्राधिकृत किया है।

सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर के संरक्षण संकल्प की भावना को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शिकायत दर्ज कराने तथा एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है। जनता के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए, उन्हें आगे आने और शिकायत/प्रकटीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, आयोग द्वारा नियमित रूप से प्रचार किया जाता है।

"मुखबिर" संकल्प की मुख्य विशेषताएं

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, "अभिहित/मनोनीत अभिकरण के रूप में केन्द्र सरकार व केन्द्र अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी भी निगम, सरकारी कंपनियों, समाज अथवा केन्द्र सकरार के स्वामित्व व नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपों या कार्यालय के दुरूपयोग की लिखित शिकायत या प्रकटीकरण प्राप्त करेगा।

- अगस्त 2013 में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भ्रष्टाचार की लिखित शिकायतें या प्रकटीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी को अभिहित/मनोनीत प्राधिकारी के रूप में भी प्राधिकृत किया है।

- आयोग ने मंत्रालयों/विभागों में अभिहित/मनोनीत प्राधिकारी को प्राप्त शिकायतों के पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण के लिए प्राधिकृत किया है।

- आयोग अथवा मनोनीत प्राधिकारी शिकायतकर्ता की पहचान अभिनिश्चित करेंगे, यदि शिकायतकर्ता अनाम है, उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

- शिकायतकर्ता की पहचान तब तक उजागर नहीं कि जाएगी जब तक शिकायतकर्ता स्वयं शिकायत की जानकारियां सार्वजनिक न कर दे या अन्य कार्यालय या प्राधिकरण के समक्ष अपनी पहचान प्रकट न कर दे।
- आगे की रिपोर्ट/जांच के लिए बुलाए जाने पर आयोग और अभिहित/मनोनीत प्राधिकारी सूचनार्थियों की पहचान का खुलासा नहीं करेंगे और सूचनार्थी की पहचान को गोपनीय रखने के लिए संबंधित संगठन के प्रमुख से भी अनुरोध करेंगे, चाहे किसी भी कारण से प्रकट हो।
- प्राप्त शिकायत के अनुसार सभी जांच पूरी करने के लिए सभी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के विचारार्थ, आयोग एवं अभिहित/मनोनीत प्राधिकारी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या पुलिस प्राधिकारण की सहायता ले सकती है।
- यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर कार्रवाई से व्यथित है कि उसे शिकायत या प्रकटीकरण दायर करने के तथ्य के कारण पीड़ित किया जा रहा है, तो वह इस मामले के निवारण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- यदि आयोग का यह विचार है कि शिकायतकार्ता या साक्षी को सुरक्षा की आवश्यकता है, संबंधित सरकारी प्राधिकरण को उपयुक्त निर्देश दिए जा सकते हैं।
- आयोग या अभिहित/मनोनीत प्राधिकारी द्वारा शिकायत प्रेरित अथवा कष्टप्रद प्राप्त होने के मामले में, उपयुक्त कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।
- आयोग या अभिहित/मनोनीत प्राधिकारी के निर्देशों के विपरित सूचनार्थी के पहचान प्रकट होने के मामले में, आयोग या अभिहित/मनोनीत प्राधिकारी विस्तृत विनियमों के अनुरूप पहचान प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति या अभिकरण के विरूद्ध उचित कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु प्राधिकृत है।

मनोज कुमार चौधरी
सहायक प्रबंधक (सतर्कता), रसायनी यूनिट

टेंडर प्रक्रिया के विभिन्न चरण और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश

निविदा (टेंडर) का परिचय

किसी भी संस्थान में आवश्यक वस्तुओं का खरीदना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है प्रत्येक संस्थान यह अवश्य चाहेगा कि उसके खर्च किए धन का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त हो और जब बात सरकारी संस्थान की हो तो इस सिद्धांत की महत्ता और भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें आम जनता का पैसा खर्च किया जाता है इस प्रक्रिया में क्रय की दरों को न्यूनतम रखने में टेंडर व्यवस्था सबसे अधिक प्रभावशाली है।

टेंडर व्यवस्था से तात्पर्य है कि संभावित आपूर्तिकर्त्ताओं से निविदायें मंगायी जायें और सबसे न्यूनतम को स्वीकृत कर लिया जाये यद्यपि टेंडर व्यवस्था में स्वाभाविक तौर पर प्रतिस्पर्धा दरें प्राप्त होगी, परंतु इसमें कई प्रकार के प्रश्न खडे होते है जैसे :–

1. कौन कौन से आपूर्तिकर्ताओं से निविदायें मंगायी जायें
2. कितने आपूर्तिकर्ताओं से निविदायें मंगायी जायें
3. क्या निविदायें सीधे पत्र भेजकर मंगायी जायें या आम सूचना जारी करके मांगी जाये
4. आम सूचना के प्रसारण का क्या स्तर हो

अंत टेंडर व्यवस्था के माध्यम से प्रापण करने से पहले यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या टेंडर व्यवस्था से हमें वास्तव में तुलनात्मक कम मूल्य प्राप्त होगा या इस व्यवस्था से निर्णय लेने से अनावश्यक कार्य करना पड़ेगा। अंत में सभी तथ्यों को समग्र रूप से विशलेषण करने पर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है ।

सुस्थापित निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से निविदायें जारी करके प्रतिस्पर्धी कोटेशन प्राप्त की जानी चाहिए । मद की प्रकृति, आपूर्ति का स्रोत, कार्य का क्षेत्र तथा अन्य तथ्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार की टेंडर व्यवस्था अपनायी जाती है, कार्यालय प्रमुख इसके लिए सक्षम है कि किन्ही विशेष परिस्थितियों में जहां उचित कारण हों तो निविदायें आंमत्रित न करने का निर्णय ले सकते हैं।

वर्तमान में टेंडर व्यवस्था के निम्नलिखित प्रकार हैं –

1.एकल निविदा (सिंगल टेंडर)

ज़ब केवल एक ही फर्म से निविदा आमंत्रित की जाय तो इसे एकल निविदा पद्धति कहते हैं। प्राय यह पद्धति एकाधिकृत वस्तुओं के मामले में अपनाई जाती है। कई बार अत्याधिक आवश्यकता अथवा आपातकालीन स्थितियों में अपनाई जाती है। इस पद्धति में भी प्रापण करने से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रय अधिकारी को अधिक सजगता से कार्य करना पडता है।

2.साप्ताहिक बुलेटिन निविदा

इस पद्धति में भंडार नियंत्रक द्वारा प्रति सप्ताह एक साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया जाता है। जिसमें मदों का पूर्ण विवरण, विशिष्टी, मात्रा तथा सुपुर्दगी का स्थान इत्यादि विवरण निविदा संख्या और खुलने की तारीख के साथ दिया जाता हैं। यह बुलेटिन सभी पंजीकृत फर्मो को, जिन्होंने बुलेटिन के लिए शुल्क दिए हैं, को भेजा जाता है। जिन मदों का मूल्य 5 लाख रूपये से कम होता है उन्हें इस बुलेटिन में डाला जाता है। बुलेटिन की छपाई और वितरण के लिए एक समय सारणी बनाई गई है जिसका कड़ाई से पालन किया जाता है। स्वाभाविक तौर पर यह पद्धति एक प्रकार से सीमित निविदा पद्धति है परंतु इसका प्रसारण मात्र फर्मों को न होकर सभी पंजीकृत फर्मों को होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है।

1. मानक फार्म का प्रयोग किया जाना चाहिए।
2. मद का विवरण, मात्रा, देय स्थान व निविदा खुलने का समय इत्यादि स्पष्ट रूप से लिखा हो।
3. जिन मदों के प्रापण में सैम्पल, परीक्षण प्रमाण पत्र, अधिकार प्रपत्र, ड्राइंग, पिछला अनुभव व पैकिंग आदि विवरण महत्वपूर्ण हों तो इसका उल्लेख स्पष्ट रुप से होना चाहिए।
4. मदों को किसी मानक विशिष्टी के अनुसार खरीदा जाना चाहिए। जहां तक सम्भव हो सैम्पल आदि को आधार नहीं बनाना चाहिए।
5. मदों के विवरण किसी कम्पनी विशेष के पार्टस या कैटलाग इत्यादि, जहां तक सम्भव हो नहीं होना चाहिए।
6. निविदा जारी किए जाने के पश्चात मद के विवरण में परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

7. रिस्क परचेज के मामले में सभी शर्ते मूल निविदा के एकदम समान होनी चाहिए।

3. निविदाओं का खोलना

भण्डार शाखा में दो प्रकार की निविदाएं खोली जाती हैं सीमित एवं विज्ञापित। इन्हें खोलने के लिए अपनाए गए तरीकों का विवरण निम्न है।

सीमित निविदाएं खोलना:– निविदा बॉक्स को निर्धारित समय पर भण्डार शाखा के प्रतिनिधि द्वारा बंद एवं सील कर दिया जाना चाहिए। नियत समय पर भण्डार शाखा एवं लेखा शाखा के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रुप से बॉक्स को खोला जाता है। तुरन्त पश्चात बॉक्स से प्राप्त सभी लिफाफों को मशीन द्वारा नम्बर एवं तारीख डाल दी जाती है तथा दोनों प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। सभी दरों को लाल स्याही से गोलाकार करके शब्दों में लिख दिया जाता है। सभी वित सम्बन्धी बातों को विशेष रुप से गोलाकार करके लिख दिया जाता है। यदि ऑफर में कोई परिवर्तन /बदलाव /कटिगं आदि किया गया हो तो उसे भी दोनो प्रतिनिधियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। तत्पश्चात सभी निविदाओं को केस नं0 के अनुसार छांटा जाता है तथा केसवार रखा जाता है। निविदाओं को केस में यथा 1/9, 2/9, 3/9 आदि करके रखा जाता है तथा पुनः मशीन द्वारा नम्बर लगाया जाता है। तत्पश्चात केस सम्बन्धित अधिकारी को भेजा जाता है।

विज्ञापित निविदा खोलना:– ये निविदाएं भण्डार एवं लेखा शाखा के प्रतिनिधियों द्वारा फर्म के प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाती हैं। जब निविदा खोलने का कार्य एक दिन में पूरा न हो सके तो शेष बचे लिफाफो पर कम से कम दो फर्म प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर कराकर समुचित नोट लिख दिया जाना चाहिए। निविदा खोलते समय फर्म से कोई ऑफर या डुप्लीकेट कापी आदि नहीं लेना चाहिए। सभी प्राप्त निविदाओं को खोलने के बाद सभी दरों व अन्य वित्त बातों को लाल स्याही से गोलाकार कर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों को आवश्यक रुप से शब्दों में भी लिखा जाना चाहिए। खोली जानी वाली निविदाओं को एक–एक करके पढ कर सुनाया जाना चाहिए। निविदा खोले जाते समय किसी भी प्रकार का जोडना, घटाना या स्पष्टीकरण आदि नहीं किया जाना चाहिए। खोलने के तुरंत बाद निविदाओं को 1/8, 2/8, 3/8 आदि के अनुसार क्रम संख्या लिख दी जानी चाहिए। सभी निविदाओं को फाइल में लगाकर सम्बन्धित को दे दिया जाता है।

4. निविदाओं का मूल्याकंन

निविदायें खोलने के पश्चात् अब ये निर्णय करना होता है कि उचित निविदा को स्वीकृत किया जाए अथवा सभी को निरस्त कर दिया जाए। जब निविदा का मूल्य 5 लाख रुपये से कम होता है तो इसे संबंधित क्रय अधिकारी द्वारा सीधे निर्णीत कर दिया जाता है। जब निविदा मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक हो तो उसे एक 3 सदस्यी निविदा समिति द्वारा विचार किया जाता है। इस 3 सदस्यी समिति में भण्डार, मांगकर्त्ता विभाग तथा लेखा विभाग प्रत्येक का एक एक सदस्य होता है। यह समिति सभी प्राप्त निविदाओं को पूर्णत जांच कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करती है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उक्त समिति यह बात ध्यान में रखती है कि स्वीकृत की जाने वाली निविदा तकनीकी रुप से स्वीकार्य हो, दर उचित हो और सबसे न्युनतम हो तथा स्वीकृत कार्य का पिछला रिकार्ड संतोषजनक रहा हो।

5. निविदा की स्वीकृति

जब सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृत कर दी जाती है तो बिना किसी देरी के आपूर्तिकर्त्ता को आर्डर जारी कर देना चाहिए तथा इसे निविदा की वैधता तिथि में पूरा कर लेना आवश्यक है। जो क्रयादेश रुपये 50,000 से अधिक के हैं उन्हें लेखाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

6. टेंडर व्यवस्था में सुधार के उपाय

किसी भी मद के प्रापण के दो तरीके हैं टेंडर व्यवस्था अथवा नीलामी व्यवस्था/मदों के प्रापण में नीलामी व्यवस्था उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें मात्र मूल्य ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि मद की गुणवत्ता व अन्य व्यापारिक शर्तें भी महत्वपूर्ण हैं और ये सब टेंडर व्यवस्था से ही सम्भव है। परन्तु टेंडर व्यवस्था में जो समय लगता है वह कई बार बहुत हतोत्साहित करने वाला होता है तथा इसके प्रसारण में भी धन बहुत खर्च हो जाता है। हालांकि इस व्यवस्था के कई लाभ भी हैं जैसे अज्ञात स्रोतों का प्रकाश में आना, प्रतिस्पर्धी कीमतें होना तथा पारदर्शी होना।

उपरोक्त लाभ एवं हानियों को देखते हुए इस टेंडर व्यवस्था में सुधार करने एवं इसे अधिक कारगर बनाने हेतु निम्न सुझाव हैं:–

1.) प्रचलित लिखित/कागजी टेंडर व्यवस्था में इलैक्ट्रानिक टेंडर प्रणाली रोमन में प्वाइंट अपनाई जानी चाहिए। इस व्यवस्था के बारे में इसी लेख में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसके अनेक लाभ भी वहां बताए गए हैं।

2.) जहां तक सम्भव हो लम्बी अवधि के रेट कांट्रेक्ट किए जाने चाहिए जिसमें मात्रा को सुगमता से घटाया/बढ़ाया जा सकता है तथा बार बार टेंडर व्यवस्था से भी बचा जा सकता है।

3.) टेंडर व्यवस्था तभी अधिक कारगर सिद्ध होगी यदि हमारे वैण्डर विश्वनीय एवं सक्षम हों। इसके लिए फर्म रजिस्ट्रेशन पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। वैण्डर रेटिंग को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

4.) अब चूंकि निविदा प्रकाशन, निविदा फार्म व अन्य सूचनाएं इंटरनेट पर

उपलब्ध हैं तो निविदा खुलने के लिए प्रायः दिया जाने वाला समय 45 दिन से घटाकर 15–20 दिन किया जा सकता है। टेंडर आंकलन भी इलैक्ट्रानिक उपकरणों से शीघ्र किया जा सकता है इससे समय की बचत होगी जिससे इन्वैंटरी होल्डिंग घटेगी।

5. मदों का अधिक से अधिक मानकीकरण किया जाना चाहिए इससे मदों का प्रापण शीघ्रता से हो सकेगा।

टेंडर व्यवस्था में निर्णय लेने सम्बन्धी नियमों को अधिक व्यवहारिक तथा लचीला बनाया जाना चाहिए ताकि निविदाएं शीघ्रता से निर्णीत हो सकें।

इलैक्ट्रॉनिक प्रापण प्रणाली

हिल (इंडिया) लिमिटेड एक सरकारी संगठन है जिसका क्रय प्रबंधन किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान से बिल्कुल भिन्न है जिसमें दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है एक है निष्पक्षता और दूसरी पारदर्शिता। अभी हाल के वर्षों तक इसकी समस्त क्रय प्रणाली इसके कर्मचारी, सम्पूर्ण कार्य मैनुअली करते रहें, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में मानव श्रम एवं समय की आवश्यकता होती है तथा सामग्री की लागत भी बढ़ जाती है। परन्तु अब देश देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति आयी है। बाजार में प्रतियोगिता बढ़ गयी है। प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करके उत्पादकता बढ़ाकर प्रक्रिया में लगने वाले समय को घटाकर लागत कम की जा रही है। अंत सामग्री प्रापण के लिए अब अधिक से अधिक कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किया जाने लगा है। अब हस्तनिर्मित टैंडर के साथ इलैक्ट्रॉनिक प्रापण प्रणाली को आरम्भ किया गया है, जिससे कि पूरी व्यवस्था मैनुअल टेंडर प्रणाली के स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक प्रापण प्रणाली को अंगीकृत किया जा सके।

1. ई–प्रापण व्यवस्था

इलैक्टॉनिक प्रापण प्रणाली को संक्षेप में ई. प्रोक्योरमैन्ट प्रणाली या ई.पी.एस. कहते हैं। यह प्रणाली समय की आवश्यकता बन गई है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब हर संगठन अपनी लागत को कम करके प्रतिस्पर्धा का सामना करने का हर सम्भव प्रयास कर रहा है जिससे कि प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करके बेहतर सेवा प्रदान कर सके। ई–प्रापण प्रणाली इस क्षेत्र में एक सार्थक प्रयास है।

2. ई–प्रापण प्रणाली क्या है

ई–प्रापण प्रणाली, सामग्री प्रापण हेतु वह कार्य प्रणाली है जिसके अंतर्गत प्रापण मैनुअल के स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा किया जाता है इसलिए इसे ई–प्रापण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। पूर्ण रूप से यह प्रणाली लागू होने पर किसी भी सामग्री के लिए मांगपत्र से लेकर क्रय आदेश डालने, माल के प्राप्ति निरीक्षण, स्वीकृति एवं भुगतान समस्त कार्य इलैक्ट्रोनिक माध्यम से किये जायेंगे यद्यपि अभी इसका प्रयोग क्षेत्र सीमित है। उत्तर रेलवे में इसका प्रयोग निविदा के अपलोड करने से लेकर निविदा के खोलने एवं टैबुलेशन विवरणी तैयार करने में किया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम क्रय करने वाले व्यक्ति या संगठन एवं आपूर्तिकर्त्ता/ निविदाकार को डिज़ीटल प्रमाण पत्र लेना होता है।

3 .ई–प्रापण प्रणाली के विचार बिन्दु

मैनुअल निविदा प्रणाली एवं इलेक्ट्रानिक निविदा प्रणाली के सम्बन्ध में जान लेने के पश्चात निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है जिससे इसकी उपयोगिता एवं कमियों पर प्रकाश डाला जा सके।

- समय की बचत
- मानव श्रम की बचत
- पारदर्शिता
- निष्पक्षता
- धन की बचत
- ई–प्रापण प्रणाली में चूंकि प्रापण में समय कम लगता है, इस लिए यह इंवेन्टरी कंट्रोल में अधिक सार्थक है इसके साथ ही माल की आपूर्ति में वांछित सुधार लाती है।
- इस प्रणाली के लागू करने पर चूंकि सर्विस लैवल बढ़ जाता है अंत:मद की मद स्थिति शून्य होने की संभावना कम होती है।
- इसके माध्यम से संचार व्यवस्था एवं फर्मों के ऑफर की प्राप्ति में लगने वाले समय में सुधार हुआ है।

सीवीसी दिशा–निर्देश निविदा प्रणाली के बारे में

प्री–अवॉर्ड स्टेज

- सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय और तकनीकी मंजूरी उपलब्ध है।
- पर्याप्त और व्यापक प्रचार दिया जाता है। विज्ञापन वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है और निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं।
- निविदा प्राप्त करने वाले अधिकारियों/निविदा बॉक्स के सुविधाजनक निविदा प्राप्त करने/खोलने का समय और पता उचित रूप से अधिसूचित किया जाता है।

- सीमित निविदा के मामले में, स्पष्ट रूप से योग्यता मानदंडों को प्रकाशित करने के पारदर्शी तरीके से पैनल तैयार किया जाता है। पैनल नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
- पूर्व–योग्यता मानदंड उचित रूप से परिभाषित/अधिसूचित हैं।
- लघु सूचीबद्ध फर्म/सलाहकार योग्यता मानदंडों को पूरा कर रहे हैं। मूल्यांकन के दौरान अधिसूचित मानदंडों से कोई विचलन नहीं है।
- प्रस्तुत प्रमाण पत्र विधिवत सत्यापित किया गया है।
- बोलीदाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में निविदाएं/बोलियां खोली जाती हैं।
- सुधार बोली/चूक/परिवर्धन इत्यादि, मूल्य बोली में उचित रूप से क्रमांकित और प्रमाणित और पृष्ठ–वार खाते हैं। निविदा सारांश नोट/निविदा खोलने के रजिस्टर को सावधानीपूर्वक बनाए रखा जाता है।
- मूल्य बोलियों को खोलने के बाद वित्तीय प्रभाव वाले स्थितियों को बदला नहीं जाता है।

सीवीसी दिशा–निर्देश वार्तालाप (Negotiations)

परिपत्र सं0 4/3/07, 3 मार्च, 2007 के अनुसार, चूंकि पोस्ट निविदा वार्ता अक्सर भ्रष्टाचार का स्रोत हो सकती है, यह निर्देश दिया जाता है कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर एल –1 के साथ कोई निविदा वार्ता नहीं होनी चाहिए। इस तरह की असाधारण स्थितियों में मालिकाना वस्तुओं की खरीद, आपूर्ति के सीमित स्रोतों और वस्तुओं के साथ सामान शामिल होंगे जहां एक कार्टेल गठन का संदेह है। इस तरह के वार्ताओं के औचित्य और विवरण को विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए और बिना किसी नुकसान के दस्तावेज किया जाना चाहिए।

सतीश कुमार राउत
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

आयकर भरने के तरीके, छूट एवं लाभ

आयकर भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विधि है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को कर वसूलने का अधिकार दिया गया है। संघ सूची लेख 82 के तहत केंद्र सरकार को आयकर वसूलने का विशिष्ट विधान प्रदान किया गया है। इसके तहत आयकर अधिनियम, 1961 को पारित किया गया है। आयकर को हम प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट कर) भी कहते हैं।

भारत में आयकर, आयकर अधिनियम, 1961 से नियंत्रित होता है। यह अधिनियम दिनांक 01 अप्रैल 1962 से भारत में लागू किया गया। साथ ही आयकर अधिनियम के नियंत्रण, लागू करने और नियम में परिवर्तन संबंधित कार्य हेतु दिनांक 1 जनवरी, 1964 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल (सीबीडीटी) की स्थापना की गई। आयकर अधिनियम में कुल 298 धारा और 14 अनुसूची हैं।

आयकर ऑनलाइन भरने से पहले कुछ तथ्य जानना आवश्यक है:

अस्सेस्सी : कोई व्यक्ति जो आयकर अधिनियम 1961 अंतर्गत कर भुगतान करता है।

मूल्यांकन वर्ष (असेस्मेंट इयर) : मूल्यांकन वर्ष 12 महीनों की होती है जो 1 अप्रैल से शुरू होती है। मूल्यांकन वर्ष में ही हम कर जमा करते हैं ।

पिछला वर्ष / वित्तीय वर्ष : पिछला साल और वित्तीय वर्ष जिसके आय पर कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए (मूल्यांकन वर्ष 2019–20 के लिए 2018–19 वित्तीय वर्ष होगा)।

आय (इनकम) : आय जैसे वेतन से आय और व्यापार, लाभ, ब्याज आदि।

वेतन (सेलरी) : किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान करने के बदले पारिश्रमिक मिलने को वेतन (सेलरी) कहते हैं। वेतन के अंतर्गत वार्षिकी (अनुइटी), शुल्क, वेजेस, पेंशन, अग्रिम वेतन, वेतन के ऊपर कमीशन, लाभ, अवकाश नकदीकरण, केंद्र सरकार अथवा किसी संस्थान द्वारा किसी कर्मचारी के खाते में जमा की गयी राशि (पेंशन योजना धारा 80 सीसीडी)।

वेतन के अंतर्गत बेसिक सेलरी, महंगाई भत्ता (Dearness Allowances) बोनस, फीस आदि पूर्णतः कर के दायरे में आता है।

निम्नलिखित आय जिसे सेलरी में नहीं जोड़ा जाता अर्थात आयकर में छूट सम्मिलित है)

यात्रा रियायत (ट्रेवल कन्सेशन) स्वयं और परिवार, भारत के किसी भी स्थान धारा 10(5), मृत्यु एवं सेवानिवृत्त रिटायरमेंट उपदान धारा 10(10), पेंशन विनिमय धारा 10(10A)(i)(ii)(iii), सेवानिवृत्त अवकाश वेतन केंद्रीय, राज्य सरकारी कर्मचारी को छूट धारा 10 (10एए) (i), अन्य कर्मचारियों को 300,000 तक छूट दी जाती है। छटनी मुआवजा औद्यौगिक कामगार के लिए 50000 से 500000 (अधिकतम जहाँ छटनी 1/1/1997 या उसके बाद हो धारा 10(10बी), स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना और स्वैच्छिक पृथक योजना में अधिकतम 500000 की छूट धारा 10(10C), जीवन बीमा पॉलिसी सें प्राप्ति धारा 10(10डी), भविष्य निधि से प्राप्त राशि धारा 10(11), मकान किराया धारा 10(13ए), परिवहन भत्ता आवागमन भत्ता धारा 10(14) (i) (ii), चिकित्सकीय ईलाज के लिये नियोक्ता द्वारा दी गई मूल्य धारा 17, पेंशन और परिवार पेंशन मिलने वाले परम वीरचक्र, महावीर चक्र, वीरचक्र धारी व्यक्तियों को धारा 10(18), शैक्षणिक छात्रवृत्ति धारा 10(16)।

धारा 16 के अंतर्गत वेतन से की जाने वाली कटौती

व्यावसायिक कर और रोजगार पर कर, मनोरंजन भत्ता (वेतन के 1/5 और 5000 जो कम हो)। गैर सरकारी कर्मचरियो को मनोरंजन भत्ता में कोई कटौती नहीं मिलती है।

आयकर अधिनियम 1961 अध्याय VI ए के तहत वेतन से की जाने वाली कटौती।

कर्मचारियों के आयकर हिसाब करते समय अध्याय VI ए के अनुसार कुल आय से कटौती की जाती है।

धारा 80 सी : आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI ए के अंतर्गत कर्मचरियो को वित्तीय वर्ष में निम्न योजना में जमा किये गये संपूर्ण राशि की कटौती के लिये अधिकतम 150000 होता है।

1.जीवन बीमा प्रीमियम, 2. सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.), कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ), अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.), लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) में अंशदान 3. म्यूचुअल फंड में निवेश 4. सुकन्या समृद्धि खाता 5. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) 6.एलआईसी और यू.टी.आई.डी.

(UTID) डयूनिट लिंक्ड इन्श्योरेंस प्लान 7. एलआईसी तथा अन्य वार्षिकी प्लान 8. गृह ऋण किश्त 9. ट्यूशन फीस 10. इक्विटी शेयर्स, ऋणपत्र में अंशदान 11. पाँच साल आवधिक जमा (टर्म डिपॉजिट) कोई भी शेड्यूल बैंक में 12. नाबार्ड बॉन्ड में अंशदान 13. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश 14. डाकघर पाँच साल टाइम डिपॉजिट

धारा 80 सी सी सी : 80 सी सी सी के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी एलआईसी तथा अन्य बीमा कंपनी में पेंशन के लिये पेंशन / वार्षिकी प्लान में निवेश कर सकता है।

धारा 80 सी सी डी : 80 सी सी डी (1) केंद्र सरकार कर्मचारी जो 01/01/2004 के बाद राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एन पी एस) में वेतन का 10% (मूल + महंगाई) अंशदान कर सकते हैं । 80 सीसीडी (2) में नियोक्ता/सरकार द्वारा किया गया अंशदान 10% वेतन (मूल + महंगाई) कटौती की जा सकती है।

सेक्शन 80 सीसीडी (1बी) के अनुसार एनपीएस (NPS) 150,000 के अलावा 50,000 निवेश की जा सकती है। यानी वित्तीय वर्ष में कुल 200,000 की बचत होती है।

धारा 80 सी सी ई : 80 सी सी ई के अनुसार कुल बचत 80C] 80CCC और 80CCD (1) में अधिकतम 150000 निवेश की जा सकती है। 80CCD (2) में नियोक्ता/सरकार द्वारा किया गया अंशदान 150000 से बाहर रहती है।

धारा 80 सी सी जी : राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम में जिस व्यक्ति की आय 12 लाख से कम हो उसको 25,000 (निवेश के 50 प्रतिशत अधिकतम 25,000) तक निवेश में छूट मिलती है।

धारा 80 डी : धारा 80डी में कर्मचारी अपने या परिवार और माता–पिता के लिए किसी भी स्वास्थ्य बीमा, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में निवेश की गयी राशि में सालाना कुल 30000 तक छूट मिलती है। इसमें मेडिकल खर्च और निवारक स्वास्थ्य जाँच (preventive health check up) शामिल है।

धारा 80 डी डी : परिवार के सदस्य जो डिपेंडेंट और दिव्यांग है उनके मेडिकल, देखभाल के लिए खर्च और ऐसा कोई स्वास्थय बीमा निवेश पर कुल 75,000 तक छूट मिलती है। अगर व्यक्ति गंभीर विकलांग है तो 125,000 छूट मिलेगा।

धारा 80 यू : इस धारा के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति के लिए 75,000 और गंभीर विकलांगता को 125,000 की छूट है।

धारा 80 डीडीबी : धारा 80 डी डी बी में विशेष बीमारियों के लिए खुद और आश्रितों के लिए नियम 11 डी डी (1) के अनुसार 40,000 की छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिक (60) और अत्यंत वरिष्ठ नागरिक / वृध्द (80) के लिए 60,000/80,000 की कटौती मिलती है।

धारा 80 ई : धारा 80 ई में उच्च शिक्षा ऋण के ब्याज की छूट दी जाती है।

धारा 80 जी : धारा 80 जी में कुछ कोष (फंड) और चौरिटेबल संस्थान को अनुदान (डोनेशन) करने पर आयकर छूट मिलती है। प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष इत्यादी ।

धारा 80 जी जी : इस धारा के तहत जो व्यक्ति कार्यालय से घर किराया भत्ता नहीं लेता हो वह मकान के किराए की रसीद से आयकर में छूट ले सकता है।

धारा 80 जी जी ए : धारा 80 जी जी ए में वैज्ञानिक अनुसंधान और ग्रामीण विकास में काम करने वाली संस्थान को अनुदान (डोनेशन) दी जाने पर छूट मिलती है।

धारा 80 टीटीए : इस धारा में डाकघर अथवा बैंक बचत खाते से मिलने वाले ब्याज पर सालाना कुल 10000 तक छूट मिलती है।

आयकर ई–फाईलिंग: आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने से पहले हमें ई–फाईलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in में पंजीकरण करना पड़ेगा। ई–फाईलिंग पोर्टल में पंजीकरण करने से हम आयकर रिटर्न के साथ, रिफंड की स्थिति, पैन नंबर की जानकारी इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं।

पंजीकरण : पंजीकरण करने के लिये हमें ई–फाईलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in में register yourself (स्वयम रजिस्टर करें) में क्लिक करें, उपयोगकर्ता (user type) चुने PAN, जन्म तिथि, आवासीय स्थिति चुने और आगे जाएँ। अब उसमे पासवर्ड, गोपनीय प्रश्न, मोबाइल नंबर, ई–मेल, पता इत्यादि भरने के बाद OTP (वन टाइम पासवर्ड) के सहारे पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी करें।

ई–फाईलिंग पोर्टल : अब login here (पंजीकृत उपयोगकर्ता) में PAN और पासवर्ड से login करें। निम्न दी गयी प्रणाली से रिटर्न फ़ाइल किया जा सकता है:–

1. अनुदेश (Instruction) : इस में दी गयी सारी जानकारी को सावधानी से पढ़ने के बाद आयकर भरने में आसानी होती है।

2. सामान्य जानकारी (Part A) : इस टैब में करदाता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई–मेल, नियोक्ता श्रेणी इत्यादि विवरण देना होता है।

3. आय और कर का हिसाब (कम्प्यूटेशनल ऑफ इनकम एंड कर) : यह आयकर रिटर्न का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें विस्तार से आय का विवरण, बचत के लिए किए गए निवेश, वेतन के अलावा और कोई आय, इत्यादि देने के बाद आय के अनुसार कर निर्धारित हो जाता है।

4. कर विवरण (कर डिटेल्स) : नियोक्ता (एम्प्लोयर) द्वारा जमा किया गया कर का विवरण (फॉर्म 16 ए), अन्य कर का विवरण (वेतन के अलावा) इसमें देखा जा सकता है।

5. दिया गया कर और सत्यापन (कर पेड एंड वेरिफिकेशन) : आपके अथवा नियोक्ता (एम्पोल्यर) द्वारा जमा की गयी कर की जानकारी, रिफ़ंड इत्यादि देखा जा सकता है। इसमें सत्यापन के अलावा, बचत खाते की जानकारी देने के बाद आयकर रिटर्न जमा किया जा सकता है।

आयकर जमा करने के बाद ITR V (acknowledgement) को डाउनलोड कर के CPC(Centralised Processing Centre) बेंगलुरु भेज सकते हैं। जो करदाता अपना आधार, PAN लिंक कर चुके हैं वे ऑनलाइन ई–सत्यापन, ओटीपी के इस्तेमाल कर नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद नियोक्ता अथवा स्वयं द्वारा भरे गए अधिक कर को प्राप्त करने और भविष्य मे चल अचल संपत्ति को खरीदने तथा अन्य विभिन्न आवश्यक कार्यों में आयकर भरने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रदर्शित करने के लिए आयकर रिटर्न भरना अति आवश्यक है। आयकर रिटर्न भरना उतना ही सरल है जितना हम अन्य सामाजिक नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वॉट्सऐप, ट्विटर ई–मेल आदि इस्तेमाल करते हैं। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए चाहे वह वेतनभोगी हो, व्यापारी हो, हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपना निर्धारित आयकर अनिवार्य रूप से निर्धारित समय में भरे और देश की प्रगति में भागीदार बनें।

करों के दर

सामान्य कर दर (वित्तीय वर्ष 2017–2018)

क्र.सं.	कुल आय	करों के दर
1.	कुल आय रूपये 2,50,000 से अधिक न हो	निरंक
2.	कुल आय रूपये 2,50,000 से अधिक किन्तु रूपये 5,00,000 से अधिक न हो	5%
3.	कुल आय रूपये 5,00,000 से अधिक किन्तु रूपये 10,00,000 से अधिक न हो	20%
4.	कुल आय 10,00,000 रूपये से अधिक	30%

अशोक कुमार राव
वरिष्ठ विश्लेषक (प्रयोगशाला), रसायनी यूनिट

नए उत्पाद विक्रय की चुनौतियाँ और उनका मुक़ाबला

बाजार व्यापार का एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ व्यापारियों और ग्राहकों का संबंध रहता है। बाज़ार में दैनिक जीवन के उत्पाद की उपयोगी वस्तु उपलब्ध होती हैं। बाज़ार लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । बाज़ार में नए उत्पाद के विक्रय एवं उपभोक्ता द्वारा क्रय करने की भी सबसे बड़ी चुनौती रहती है अर्थात निर्माताओं को अपने उत्पाद बाज़ार में चलाने की चुनौती रहती है उतना ही उपभोक्ताओं में भी सही उत्पाद को क्रय करने की चुनौती रहती है। बाज़ार में एक ही उत्पाद के कई निर्माता होते हैं। कई निर्माता होने से वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धता बढ़ जाती है। प्रत्येक निर्माता अपने उत्पाद को सबसे अच्छा बताने की जुगत में लग जाता है, जिससे उनमें विज्ञापन की होड़ लग जाती है। प्रत्येक निर्माता अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए रचनात्मक विज्ञापन का सहारा लेता है।

विज्ञापन उपभोक्ता को प्रभावित करने के लिए निर्माताओं की तरफ से सेवाओं से संबंधित संदेशों का अव्यक्तिगत संचार है। आजकल विज्ञापन के कई स्त्रोत हो गए हैं, उसमें टेलीविजन, समाचार पत्र, पोस्टर, होर्डिंग्स, पैम्प्लेट्स का प्रयोग शामिल है। गाँव में अपने उत्पाद के विक्रय के लिए कई निर्माता द्वारा गाँवों के घरों के पीछे एवं सड़क के दीवार पर चूने से कलर कर व नीले रंग से अपने उत्पाद का नाम एवं किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, लिख कर इसे किसानों तक सरल एवं सुगमता से प्रसारित एवं प्रचारित किया जाता है।

बाज़ार में उत्पाद उन्हीं निर्माताओं का बिकता है जिनका विज्ञापन ज्यादा होता है। विज्ञापन ऐसा दमदार होना चाहिए जिससे ग्राहक कम समय में उसकी खूबियाँ समझ सके। आजकल ग्राहकों के मन में एक बात आती है की कम कीमत में अच्छा उत्पाद लेना चाहिए। कई निर्माता अपने उत्पाद का डीलर मूल्य कम रखते है एवं खुदरा मूल्य ज्यादा रखते हैं तथा डीलर उसे कुछ प्रतिशत कम कर बिक्री करता है तो ग्राहक के मन में यह आता है की उस उत्पाद में छूट मिल रही है। ग्राहक को लुभाने में कई दुकानदार अधिकतम खुदरा मूल्य पर 10 प्रतिशत तक छूट देते हैं तो ग्राहक खरीदारी करने के लिए आकर्षित होता है परंतु दुकानदार वो छूट अपनी जेब से नहीं देता अपितु अपने मुनाफे पर कम मुनाफा लेकर अधिक बिक्री करता है।

निर्माता अपने उत्पाद को पहले डीलर को देता है। बाद में डीलर उसे विक्रेता को प्रदान करता है। अंत में दुकानदार के पास आता है फिर वहाँ से ग्राहक के पास जाता है। अतः निर्माता अपने उत्पाद के विक्रय के लिए डीलर कीमत कम और अधिकतम खुदरा मूल्य ज्यादा रखता है जिसका फायदा निर्माताओं के उत्पाद विक्रय पर होता है क्योंकि डीलर कीमत कम होने से उसे ज्यादा मार्जिन का फायदा होता है अतः वो उस उत्पाद का विक्रय ज्यादा करता है।

आजकल निर्माता होलसेलर अर्थात डीलर को अपने उत्पाद की विक्रय क्षमता बढ़ाने के लिए नित नए नए तरकीबों का इस्तेमाल करने को कहते है। इसके लिए निर्माता डीलर को विक्रय के लिए लक्ष्य देता है। इसे पूर्ण करने पर अलग अलग स्कीम देता है जैसे पर्यटन पर जाने का मुफ्त मौका, नया उपहार स्वरूप भेंट देता है। प्रशंसा पत्र देता है। अपनी कंपनी का स्मृति चिन्ह प्रदान करता है आदि।

निर्माता हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी की हर चाल पर नज़र रखता है। अपने उत्पाद की मनमोहक पैकिंग देता है। बड़े पैकिंग पर एक छोटा सैंपल मुफ्त देता है। इसके साथ ही अपने उत्पाद को प्रमुखता से स्थान मिले, इसके लिए डीलर एवं विक्रेता के पास एक समूह में अनुभवी सेल्समैन को एक साथ भेजता है। जिससे अपने उत्पाद को होलसेलर या डीलर के मस्तिष्क पर विक्रय के लिए प्रभाव पूर्ण तरीके से अपनी बात रख सके। बाज़ार में अपना सिक्का जमाने के लिए टीम वर्क करना पड़ता है। बाज़ार में कमिटमेंट का बड़ा स्थान है एवं वक्त का पाबंद वाला निर्माता बाज़ार ज्यादा दिन तक टिक पाता है। यदि उसने निर्धारित दिन को उत्पाद देने का वादा किया तो उस दिन उत्पाद डीलर तक पहुँचना आवश्यक है। अगर अपने उत्पाद की संप्रभुता बनाए रखना है तो इसके लिए चतुर निर्माता प्रत्येक जिले में एक गोदाम बना कर रखता है, जहाँ से उसका सेल्समैन उस उत्पाद की डिलीवरी सही समय पर कर सके। दूसरा उत्पाद की मात्रा में कमी नहीं रखना चाहिए जिसे शॉर्ट स्टॉक कहा जाता है क्योंकि जहाँ एक ब्रेक हुआ वहीं दूसरा निर्माता अपने उत्पाद को बाज़ार में उतार देता है। अतः नए उत्पाद की विक्रय की चुनतियों के साथ दूसरे निर्माता के उत्पाद को खपत न होने देने का भी मुक़ाबला रहता है और यह बावजूद तरकीबों के उत्पाद के गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

अतः यदि हम अच्छी एवं आकर्षक पैकिंग रखें, उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद रखें और विज्ञापन सही ढंग से करें जो जन जन के मनोमस्तिष्क पर छा जाए तथा वक्त के पाबंद डीलर एवं विक्रेता के साथ रहें तो बाज़ार में दूसरे निर्माता के उत्पाद से विक्रय में अव्वल रह सकते हैं और दूसरे निर्माताओं को कड़ा मुक़ाबला देने में सक्षम भी हो सकते हैं।

हेमन्त रावत
क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय (चण्डीगढ)

सामग्री प्रबंधन

सामग्री प्रबंधन (मैटिरियल मैनेजमेंट) में स्पेयर पार्टस का प्रापण, खराब हुए अवयवों के प्रतिस्थापन, क्रय का गुणवत्ता नियंत्रण तथा क्रयादेश, शिपिंग एवं भंडारण के मानकों का निर्धारण आदि से संबंधित विषय है। यह लॉजिस्टिक्स का वह भाग है जो आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) के अदृष्य अवयवों से संबंधित है।

परिचय

मनुष्य के जीवनयापन के लिए सामग्री की आवश्यकता उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव इतिहास। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक सामग्री प्रबन्धन को इतना महत्व नहीं प्राप्त हुआ, जितना कि यह विषय अब महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में रक्षा सामग्री योजनाबद्ध तरीके से प्रापण एवं प्रबन्धन की बात की गयी, जिसमें रक्षा उपकरणों एवं युद्ध के समय प्रयोग में आने वाली सामग्री का योजनाबद्ध रूप से उत्पादन, प्रापण निरीक्षण, भंडारण, प्रेषण एवं रख रखाव के विषय में गहन रूप से विचार किया गया। धीरे–धीरे सामग्री प्रबंधन ऐसा व्यापक विषय बन गया, जिसके अंतर्गत सामग्री प्रापण की योजना से लेकर उसके अंतिम उपयोग तक गहन अध्ययन का विषय बन गया।

भारत में बीसवीं सदी के छठे दशक तक सामग्री प्रबंधन विषय का कोई विशेष महत्व नहीं रहा। सातवें दशक से इसकी उपयोगिता पर ध्यान दिया जाने लगा और आज उन्नत देशों में ही नहीं हमारे देश में भी इसके विकास में सामग्री प्रबंधन का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है।

सामग्री प्रबंधन को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:–

1.सामग्री प्रबंधन योजना एवं नियंत्रण

2.सामग्री क्रय प्रबंधन

3.भंडार प्रबंधन

जयेन्द्र वसंत करडे
प्रचालक, रसायनी यूनिट

टेबल टेनिस -खिलाड़ी और कोच

ज़िंदगी एक ऐसा इम्तिहान है जो पल पल हमें सीखाती और हमें तराशती है। तब जाकर हम किसी के लिए प्रेरणा के स्त्रोत और आदर पात्र बन पाते हैं। असंभव कुछ भी नहीं पर संभव बनाने के लिए हम न जाने कितनी बार टूटते हैं, बिखरते हैं और फिर जुडते हैं। ज़िंदगी के इसी पर्याय का नाम है खेल। एक टेबल टेनिस खिलाड़ी होने के नाते मैंने हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। देश विदेश में कई खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने और तिरंगे को गगन में लहराने का गौरव प्राप्त होना किसी भी खिलाड़ी के लिए ज़िंदगी का सबसे अनमोल पल होता है, जिसमें अनगिनत भावनाएं हिलोरे मारती हैं और हमें उस सफर का अहसास कराती है ,जिसमें हमने शून्य से शुरूआत की थी, जिसमें चुनौतियाँ मुँह बाए खड़ी थी पर लक्ष्य स्पष्ट था मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है। टेबल टेनिस खिलाड़ी बनना है। यह जूनून ही था, जिसकी बदौलत मैं खिलाड़ी बन पाया। और अब मैं कोच के रूप में नए बच्चों को टेबल टेनिस के गुर सीखा रहा हूँ। मेरा स्वप्न है कि मेरे प्रशिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार होकर देश का नाम रोशन करें।

वर्तमान में मैं टेबल टेनिस का कोच हूँ । कोचिंग के दौरान मैंने यह सीखा है कि खेल की सभी बारीकियों, पहलुओं आदि की जानकारी अथवा प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है किन्तु इससे भी पूर्व एक महत्वपूर्ण चुनौती है बच्चों को खेल के मैदान तक ले आना । उनकी सामाजिक पारिवारिक उलझनों को सुलझाना। उनके अभिभावकों को विश्वास दिलाना कि उनके बच्चे में प्रतिभा है, जिसे निखारकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जा सकता है। साथ ही बच्चे में वह स्वप्न वह जूनून पैदा करना जिससे वह समर्पित भाव से खेल सीखे और खेले । यह भी कोचिंग का अभिन्न अंग है जिससे कोच को रूबरू होना ही पड़ता है।

मैं सन 1990 से 2012 तक रायगढ़ (महाराष्ट्र) जिला टेबल टेनिस प्रशिक्षक रह चुका हूँ किन्तु व्यावसायिक प्रशिक्षक तब बना जब मैं सीकेटी स्कूल, न्यू पनवेल में जिला अजिंक्य पद स्पर्धा (टेबल टेनिस) खेल रहा था। यह सन 1991 की बात है। तीन दिवसीय स्पर्धा चल रही थी। खेल के समाप्त होने के बाद पारितोषिक वितरण कार्यक्रम के दौरान एक शख्स मेरे पास आए और मुझे संबोधित कर बोले – क्या आप जयेन्द्र करडे हैं। मैंने कहा – जी हाँ। वे बोले मैं सुनील सक्सेना, ओ एन जी सी कंपनी का विजिलेन्स ओफ़ीसर हूँ। आपको हमारी कंपनी में टेबल टेनिस का प्रशिक्षण शिविर लेना है। मैंने उनको बताया कि मैं खिलाड़ी हूँ प्रशिक्षक नहीं। तब उन्होंने कहा "मैं तीन घंटे से आपका मैच देख रहा था। जिस ढंग से आप अपने साथी खिलाड़ियों और जुनियर खिलाड़ियों का मार्ग दर्शन कर रहे थे, वह केवल एक अच्छा प्रशिक्षक ही कर सकता है। आपके अंदर जो प्रशिक्षक छुपा हुआ है उसे बाहर निकालो। एक अच्छा प्रशिक्षक बनो और अपने देश के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार करो।" यह प्रशिक्षण की भूमिका मेरे ज़िंदगी का टर्निंग प्वाइंट था। मैंने उनके ऑफर को स्वीकार करते हुए उनकी कंपनी में आयोजित 21 दिवसीय टेबल टेनिस में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया जिसमें 255 बच्चे प्रशिक्षित हुए। तब के बाद टेबल टेनिस खिलाड़ी के साथ टेबल टेनिस के प्रशिक्षक के रूप में जाना जाने लगा।

खेल में कहा जाता है कि हर चैम्पियन प्रशिक्षक नहीं बन सकता क्योंकि चैम्पियन और प्रशिक्षक की खेल की तरफ देखने का दृष्टिकोण भिन्न–भिन्न होता है। चैम्पियन सोचता है कि वह खेल के स्पर्धा में कैसे जीते, इसके लिए वह सिर्फ और सिर्फ खेल के ऊपर ध्यान देता है। यह उसकी आदत में शामिल हो जाता है, जबकि प्रशिक्षक यह सोचता है कि उसका शिष्य कैसे अपने खेल को बेहतर बनाकर आगे बढ़ सकता है, इसके लिए वह अथक परिश्रम करता है। वह खेल की हर रणनीति के साथ विषम परिस्थिति में भी खेलने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशिक्षक का एक मात्र लक्ष्य होता है अपने खिलाड़ी को सफलता के आसमान पर देखना। यही उसकी तमन्ना रहती है। जाहिर है खिलाड़ी और प्रशिक्षक की भूमिका भिन्न भिन्न होती है जिसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए।

बहरहाल एक कोच की ज़िंदगी में कितने पड़ाव आते हैं। एक दिन मैं अपने खेल का अभ्यास कर रहा था तभी एक पिता अपने पुत्र के साथ मेरे पास आए बोले ये विशाल (नाम बदला हुआ) मेरा बेटा है। मैंने सभी खेलों को देखा समझा है, जिसमें टेबल टेनिस का ही एक ऐसा खेल है, जिसे मेरा बेटा खेल सकता है। मेरा सपना है कि यह टेबल टेनिस का खिलाड़ी बने और क्या आप इसे खिलाड़ी बना सकते हैं ? क्या यह संभव है ? पिता का बेटे के लिए इतना बड़ा सपना, मुझ पर इतना भरोसा, मेरे लिए तत्काल कुछ भी कहना आसान नहीं था। शायद इसलिए भी क्योंकि विशाल एक मंदबुध्दि बालक था। मैंने यह चुनौती स्वीकार कर ली निरंतर अभ्यास के पश्चात विशाल के खेल में बहुत सुधार आया वह अच्छा खेलने लगा और एक पिताजी का

सपना साकार हुआ हालांकि प्रशिक्षक के तौर पर एक वर्ष की यात्रा बिकुल सहज नहीं थी।

रायगड जिला में पेण नामक शहर है वही शहर में जिला स्तरीय टेबल टेनिस की स्पर्धा चल रही थी। उसी स्पर्धा में धनंजय और रोहित (नाम बदले हुए) ये दो खिलाड़ियों का अंतिम मुक़ाबला चल रहा था। मैच देखने के लिए क्रीडा प्रेमियों की भारी भीड़ थी। व्यासपीठ पर विराजमान मुख्य अतिथियों के साथ मैं भी व्यासपीठ पर बैठा था। सबका अनुमान था कि धनंजय यह मुक़ाबला जीतेगा क्योंकि धनंजय का खेल रोहित से बेहतर था। मैच आरंभ होने के बाद धनंजय का खेल अपेक्षानुकूल नहीं था। परिणाम यह हुआ कि धनंजय दो सेट से पिछड़ गया और एक सेट हारने के बाद उसका स्वर्ण पदक भी हाथ से चला जाता। उसी समय धनंजय मेरे पास आ गया और बोला सर मेरा खेल जैसे होना चाहिए वैसे नही हो रहा है। मैं क्या करूँ मैंने उसको बताया की तू अपने पांव में से शूज उतार कर खेल। उसको मेरे यह सलाह कुछ रास नहीं आई और वो बार–बार कहता रहा कि सर मैं खेल के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि यह तरकीब उसके खेल में सुधार के लिए ही बताई है। आखिर में उसने मेरे सलाह मान ली और आगे के तीनों मैच जीतकर स्वर्णपदक हासिल कर लिया। स्वर्णपदक जीतने के बाद धनंजय स्टेज पर आया और मेरा पाँव छूकर पूछा सर मेरा खेल और शूज का संबंध आपने कैस पहचाना और उसके बाद मेरे खेल का स्तर कैसे ऊँचा हो गया ? जवाब में मैंने धनंजय को बताया कि मैंने उसे खेल का अभ्यास करते समय उसे कभी भी जूते पहनकर खेलते हुए नहीं देखा। शूज कभी पहना हुआ नही देखा और आज अंतिम मुकाबले में आपने जूते पहनकर खेल शुरू कर दिया। आपका मन का ध्यान पाँव के ऊपर ज्यादा और खेल के ऊपर कम ध्यान था इसलिए तेरा खेल अच्छा नही हो रहा था।

प्रत्येक खिलाड़ी अपने प्रशिक्षक को एक अच्छे खिलाड़ी के साथ एक अच्छे इंसान के रूप में भी देखता है। उसे अपना आदर्श मानता है इसलिए प्रशिक्षक का भी यह दायित्व है कि वह अपने शिष्यों/खिलाड़ियों को एक अच्छे खिलाड़ी बनाने के साथ एक अच्छा नागरिक भी बनाए। ऐसा ही एक अवसर तब आया जब कौस्तुभ नाम का बालक मेरे पास आया। वह मेरे पास आकार अपने माता पिता की शिकायत कर यह कहने लगा कि उसके माता पिता हर पल उसकी पढ़ाई के लिए पीछे पड़े रहते हैं और तो और "पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो खेल भी बंद कर देंगे" ऐसा कहते हैं। मम्मी–पापा के दबाव से मैं परेशान हूँ । मैंने कौस्तुभ को समझाया की अपने देश में पढ़ाई को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तुम्हारे माता पिता गलत नहीं हैं बल्कि सही कह रहे हैं। फिर भी कोस्तुभ ने माना नहीं। उसका यही कहना था की मैं उसके मम्मी पापा को समझाऊँ, जिससे उसका खेल बाधित न हो। इसके बदले में वह जो बोलेंगे कौस्तुभ करने के लिए तैयार था। मैंने एक दिन कौस्तुभ के मम्मी पापा को बुलाया और उसके खेलने के ऊपर पाबंदी नहीं लगाने के लिए अनुरोध किया। कौस्तुभ के ममी पापा ने यह स्पष्ट कहा कि कौस्तुभ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और स्तर बरकरार रखे (80 से 85 प्रतिशत) तो उन्हें कौस्तुभ के खेलने से कोई आपत्ति नहीं है। इस पर वहाँ मौजूद कौस्तुभ ने तुरंत हाँ बोल दिया। वह दसवीं की बोर्ड परीक्षा में 92 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होकर एक तरफ जहाँ मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा ही नहीं उतरा बल्कि आगे जाकर एक अच्छा खिलाड़ी भी बना। यहाँ यह कहना जरूरी है कि बच्चों को भी चाहिए कि वह अपने अभिभावकों को निराश न करें। खेल में आएँ अच्छे खिलाड़ी बनें, किन्तु पढ़ाई के लिए यथावश्यक समय अवश्य दें। शिक्षा से जहाँ व्यक्तित्व बनेगा वहीं खेल में भी शिक्षा सहायक सिध्द होगी।

डी.डी. सोनवानी
प्रबन्धक (समन्वय), निगमित कार्यालय

किरण

आसमान से लहराती पड़ती वसुंधरा,
काया देती सुनहरा वसुंधरा ।
सुनहरी किरणें, ललितवरन किरणें,
मेरी प्यारी चन्द्र सी किरणें।।

पलट देती पहर रात्रि की होते ही भोर,
संकेत देती भोर की ये मदहोश किरणें,
शीतल किरणें, कोमल किरणें,
मेरी प्यारी चन्द्र सी किरणें।।

कहती हैं, उतिष्ट – उतिष्ट अध भोर हुआ,
दो पलट बिछोना भोर हुआ ।
आ पड़ी वसुन्धरा पर दिनकरस्य किरणें,
मेरी प्यारी चन्द्र सी किरणें।।

अन्धकार रूपी कागज पर अंकित वर्णों को,
जाँच रही ये स्वर्णिम किरणें।
ज्योतित किरणें परहित किरणें,
मेरी प्यारी चन्द्र सी किरणें।।

देती संदेश, अन्धकार से प्रकाश की ,
बहती बहाओं नदिया प्रगति–प्यार की।
स्वदेशी किरणें, देश–प्रेमी किरणें,
मेरी प्यारी चन्द्र सी किरणें।।

सत्यनारायण नांदल
अधिकारी (प्रशासन)

देश भक्ति की कविता

खुशबू फैलाओ गुलाब की तरह।
प्रकाश फैलाओ सूर्य की तरह।
ऊँचे उठो आकाश की तरह।
गंभीर रहो झरने की तरह।
शीतलता फैलाओ शीतल समीर की तरह।
भारत में जन्म लिया तो इसे करो प्यार।
अरे आतंकवादी मत बनना मेरे यार।
इस देश में जन्म लिया।
इसने हमें सब कुछ दिया।
रोटी, कपड़ा मकान दिया।
बदले में कुछ न लिया।
सब कुछ दिया ही दिया।
इसलिये समझो कुछ जिम्मेदारी।
कुछ तो डयूटी बनती है हमारी।
निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करो।
देश की खातिर दुश्मन से डटकर लड़ो।
तब देश मजबूत बनेगा।
हम सब की किस्मत बदलेगा।
यदि हम अनेकता में एकता दिखायें।
तब हम दुनियाँ के विश्वगुरू बन जायें।

पवन कुमार
प्रचालक ग्रेड द्वितीय, बठिंडा

क्योंकि मैं हूँ, भूली बिसरी हिन्दी

कब्र में दफन हूँ, पर हूँ थोड़ी सी जिन्दी
क्योंकि मैं हूँ, भूली बिसरी हिन्दी

आजादी के बाद भी मुझ पर है पाबंदी
क्योंकि मैं हूँ, भूली बिसरी हिन्दी

आज विदेशी भाषा जोरों पर है मैं पडी हूँ मंदी
क्योंकि मैं हूँ, भूली बिसरी हिन्दी

गुमशुदा है अपने ही घर में भारत माँ की बिन्दी
क्योंकि मैं हूँ, भूली बिसरी हिन्दी

हिन्दी दिवस पर दो बूंद पीकर होती हूँ जिन्दी
क्योंकि मैं हूँ, भूली बिसरी हिन्दी

अजय कुमार सिंह
वरिष्ठ सहायक, बठिंडा

हिन्दी की व्यथा

हिन्दी तेरी यही कहानी अपने ही देश में हो गयी बेगानी ।

भाषा व्याकरण शब्दकोश में नहीं तेरा कोई सानी।

फिर भी तुझे अपनाने में हमें आती बडी परेशानी।

हिन्दी दिवस आते ही, हम करने लग जाते इसका जोरों से प्रचार प्रसार।

उसके बाद फिर शुरू हो जाता, इसके साथ सौतेला व्यवहार।

कब इसको हम बिना दिखावे के अपनाएगें।

अपनी दिनचर्या में पूर्ण रूप से लाएगें।

कब इसको हम इसका उचित सम्मान दिलाएगें।

जिस सम्मान की है अधिकारिणी, वह सम्मान दिलाएगें।

सतपाल सिंह
गुणवता आश्वासन अधिकारी, बठिंडा

तीन चीज़ें

- तीन चीज़ें मनुष्य को एक बार ही मिलती हैं।
  माता, पिता, जवानी।
- तीन चीज़ें कभी छोटी नही होती।
  दुश्मन, कर्ज, और बीमारी।
- तीन चीज़ें व्यक्ति को उसके असली उदेश्य से दूर ले जाती है।
  लालच, ईर्ष्या और बदचलन।
- तीन चीज़ें हमेशा याद रखें।
  सच्चाई, फर्ज़, और मौत।
- तीन चीज़ें भाई को भाई का जानी दुश्मन बना देती है।
  जर, जोरू और जमीन।
- तीन चीज़ें सभी को प्यारी होती है।
  स्त्री, दौलत, और संतान।
- तीन चीज़ें मनुष्य को जलील करती है।
  चोरी, चुगली, और झूठ।
- तीन चीज़ें निकल कर वापस नहीं आती।
  बात जुबान से, तीर कमान से, और आत्मा शरीर से।
- तीन चीज़ें समय आने पर पहचानी जाती हैं
  स्त्री, भाई व दोस्त।
- तीन चीज़ों से तरक्की और सुख मिलता हैं
  मेहनत , भगवान की भक्ति और वृद्धों की सेवा।

अजय कुमार सिंह
वरिष्ठ सहायक, बठिंडा

विरोध प्रदर्शन और नुकसान

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर संविधान द्वारा हमें कुछ कर्तव्य और अधिकार प्रदान किए गए हैं। कर्तव्यों के बारे में हमें जागरूकता हो या न हो, परन्तु अपने अधिकारों के प्रति हम सदैव सजग रहते हैं। और अगर किसी भी प्रकार से उसमें कोई बाधा पड़ती है विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और यह प्रर्दशन कभी–कभी इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि बहुत व्यापक स्तर पर धन हानि और जन हानि हो जाती है।

हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ शान्तिपूर्ण तरीके से देश को आजाद करवा लिया गया। परन्तु फिर भी हम उससे सबक नहीं सीख पाए। विरोध प्रर्दशन के नाम पर हर साल लाखों–करोडों का नुकसान देश को हो रहा है। आम जनता के द्वारा ही आम जनता के पैसों का नुकसान किया जा रहा है और परेशानी पैदा की जा रही है।

हमें अपने अधिकारों के प्रति अवश्य जागरूक होना चाहिए, अपनी उचित माँगें भी मनवानी चाहिए परन्तु शान्तिपूर्वक तरीके से, जिससे कि आम – जनता परेशान न हो। सरकार को भी चाहिए कि उचित माँगों को अवश्य पूरा करने का प्रयास करें, जिससे जन हानि और धन–हानि से बचा जा सके।

सी.लाल
सहायक प्रबंधक (विपणन), बठिंडा यूनिट

हमारे आस पास

तकदीर हंसी आंसू निकले एक ठेस लगी दिल टूट गया
यह जीना भी कोई जीना है जब ध्यान हमारा टूट गया
आग लगी इस वृक्ष में जले डाल और पात
तुम पक्षी क्यों जल रहे पंख तुम्हारे पास
फल खाये इस वृक्ष के गंदे कीन्हें पात
फर्ज हमारा है यहीं जलूं इसी के साथ

घर से निकला एक मुसाफिर दिल में लिए अरमान था
एक तरफ था मयकदा, एक तरफ शमशान था
जमीन पर हड्डी पैर से टकराई, टकराने के बाद हड्डी का ये बयान था
संभल कर चल मुसाफिर मैं भी कभी इंसान था

पंछी कहते हैं कि चमन बदलता है,
हंसते हैं सितारे तो गगन बदलता हैं
प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है ।
लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है ।

पनघट ने कितने घट लूटे पनघट को इसका पता नहीं
घूंघट ने कितने घर लूटे घूंघट को इसका पता नहीं
मरघट ने कितने घर लूटे मरघट को इसका पता नहीं
दो नैन छिपे घूंघट भीतर घूंघट को इसका पता नहीं

रमा जोशी
वरिष्ठ सहायक, बठिंडा

मन की बात अनमोल फरिश्ता

1. मन की बात अनमोल फरिश्ता
मैंने उस अनमोल फरिश्ता से की है बात।

2. मन की बात अनमोल फरिश्ता
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ
गैस चूल्हा तक बेटी को दे डाला

3. मन की बात अनमोल फरिश्ता
सब से अदभूत चाँद सितारा
इस अनमोल फरिश्ते की आवाज में दम है।
मन की बात सुनाता है।

4. मन की बात अनमोल फरिश्ता
बैंको में (शून्य) से खाता खुलवाता
नया खजाना बैंको में है लाता
पुराना खजाना है बदलवाता
नई पीढ़ी को आशा दिलाता

5. मन की बात अनमोल फरिश्ता
स्वच्छ रहता है, स्वच्छ खाता है।
स्वच्छता पर विश्वास है करता
और सुबह–सुबह (प्रातः) उठ कर
व्यायाम करने का प्रति दिन का नियम है उसका

6. मन की बात अनमोल फरिश्ता
घर–घर शौचालय खुलवाता
बहू–बेटी को मान सम्मान व इज्जत देता

7. मन की बात अनमोल फरिश्ता
गाँव– गाँव जा कर, घर–घर जा कर
छोटा बड़ा ना समझ कर आधार कार्ड बनवाता है

8. मन की बात अनमोल फरिश्ता
सभी परिवारों की पहचान करा दी इसने
छोटा बडा ना समझा उसने
सब को सामान्य अधिकार दिया उसने

9. मन की बात अनमोल फरिश्ता
हिल (इंडिया) लिमिटेड
भारत सरकार के उद्यम को
अच्छा व उच्च कोटि का बताता है।

10. मन की बात अनमोल फरिश्ता
बेरोजगारो को रोजगार देता
भूखा कभी सोने ना देता
मेहनत करो मेहनत करो
मेहनत का फल मीठा है होता

11. मन की बात अनमोल फरिश्ता
वीर व धीर जवानो के पास जाकर
दिवाली वह मनाता है
वीर व धीर जवानो की बहनो से
राखी वह बंधवाता है।

12. मन की बात अनमोल फरिश्ता
धन्य माता पिता धन्यो गोत्र।
धन्य कुलोदेभव।।
धन्य च वसुधादेवी।
यज्ञ स्याद गुरू भक्ता।।

भानु प्रकाश,
प्रचालक द्वि0, बठिंडा यूनिट

प्रेरणा स्त्रोत

हमारा जीवन व इसकी प्रत्येक श्वांस परमात्मा का एक चमत्कार है, जिसे हमें नित्य सार्थक बनाने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक ऐसा मार्गदर्शक/गुरू होना चाहिए जिसके आधार पर वह अपना जीवन विकसित कर सके। मार्गदर्शक/गुरू सीखने को प्रेरित करता है, चलते रहने की प्रेरणा देता रहता है। ये प्रेरणा ही है जो जीव को शिखरों तक पहुंचाती है, व मार्गदर्शक/गुरू ही है जो प्रेरणा प्रदान तत्व बन कर हमारे जीवन स्तर को स्वर्णिम बनाता है।

मार्गदर्शक/गुरू हमारी उर्जा का उचित उपयोग करने का मार्गदर्शन करता रहता है। यदि संसार से कुछ पाया है तो उसे वापस भी लौटाने की क्षमता उत्पन्न करवाता है। मार्गदर्शक/गुरू जीवन में निरन्तर परिवर्तन लाने को प्रेरित करता है, परिवर्तन से जीवन में उत्साह आता है, ताजगी आती है, प्रफुल्लता आती है। प्रफुल्लता का बड़ा प्रभाव जीवन पर देखने को मिलता है।

अपने जीवन में निरन्तर लक्ष्य व मार्गदर्शक/गुरू अनिवार्य करें। यह सही है कि प्रत्येक जीव विभिन्न स्वभाव के साथ जन्म लेता है, कोई जिज्ञासु होता है, कोई विरोधी स्वभाव का। परन्तु एक मार्गदर्शक/गुरू ही उस जीव की उर्जा को सही उपयोग करने हेतु उत्साहित कर सकता है। उसका उचित मार्ग प्रशस्त करता है।

अतः परमात्मा के दिए जीवन को एक सार्थक मार्गदर्शक/गुरू अवश्य दें तथा अपने चमत्कार रूपी जीवन को सफल करें।

ऊंचा उठो

उठो तो इतने ऊंचे उठो, कि अंबर सी ऊंचाई हो।
बनो तो इतने गहरे बनो, कि सागर सी गहराई हो।।
शुद्ध स्वच्छ के अन्दर, निर्मल भाव पनपते हैं।
जैसी भवना मन के भीतर, तैसे विचार उपजते हैं।।
प्राप्ति लक्ष्य की तभी है सम्भव, मन में जब सुतिताई हो।
बनो तो इतने गहरे बनो, कि सागर सी गहराई हो।।
कठिन परिश्रम वो पूँजी है, जिसका कोई मोल नहीं।
निधि संकल्प की खत्म न होती, बात है सीधी झोल नहीं।।
सुफल कर्म का उसी ने पाया, जिसने कर्तव्य जोत जगाई हो।
उठो तो इतने ऊंचे उठो, कि अंबर सी ऊंचाई हो।
श्रद्धा के स्थिर दीप जलाओ, यदि अंधकार से लड़ना हो।
विपरीत दिशा में तैर दिखाओं, यदि गुबार से भिड़ना हो।।
ये सम्भव तो कुछ न असंभव, बस धुन अतंश में समाई हो।
बनो तो इतने गहरे बना, कि सागर सी गहराई हो।।
विकार त्यागिए विचार बदलिऐ, अनुभूति हर्ष की तब होगी।
उचित समय है अभी जागीऐ, फिर सुबह न जाने कब होगी।।
संकल्प करो अपने मन में, हर बाधा की अन्तिम विदाई होगी।
कलम की धार कम न होगी, चाहे समक्ष गहरी खाई हो।।
उठो तो इतने ऊंचे उठो, कि अंबर सी ऊंचाई हो।
बनो तो इतने गहरे बनो, कि सागर सी गहराई हो।।

सुरेश चन्द्र
सेवानिवृत्त अधिकारी (प्रशासन), निगमित कार्यालय

दहेज एक अभिशाप

दहेज एक अभिशाप है
दहेज लेना और देना दोनों पाप है

सपने संजोये बेटियां पिया के घर जाती है
पर दहेज के लोभी उसे बहुत रूलाते है
जब आत्म हत्या कर जाती है

दहेज एक अभिशाप है
दहेज लेना और देना दोनों पाप है

देश के अन्दर आज अगर लड़कियाँ न होंगी
तो पत्नी और माएें भी न होंगी?
लड़कियों को समान अधिकार दिलाना
दहेज के छाप को मन से मिटाना है

दहेज एक अभिशाप है
दहेज लेना और देना दोनों पाप है

दिनोदिन लड़कियों के दिलों में दहेज की चितां सताए जा रही हैं।
अगर दहेज की व्यवस्था हो जाये खत्म
तो लड़कियों और लड़कों की संख्या बराबर रहेगी हरदम।

दहेज एक अभिशाप है
दहेज लेना और देना दोनों पाप है

ओमप्रकाश साह
कनिष्ठ सहायक, निगमित कार्यालय

कुदरत का उपहार - बेटी

सोच के लड़की हूँ मैं
ये दुनिया क्यों घबराती है
कौन सा ऐसा काम है जिसमें
लडकियाँ लड़को से मात खाती है।

लड़की से ही तो चलती है
ये सृष्टि और ये दुनिया
फिर क्यो उसे बोझ समझे
धिक्कारे ये दुनिया

नही हूँ बेटा तेरा पर
सुख–दुख में साथ निभाऊँगी
आने दो इस दुनिया में मुझे
मुसीबत में नैय्या किनारे लगाऊँगी

मैं भी एक दिन पढ़ लिखकर
कंधों पर जिम्मेदारी उठाऊँगी
नाम करूगी माँ का रोशन
सम्मान पिता का बढ़ाऊँगी

एक बार दिल से अपना कर तो देखो
बेटी देवी का रूप और कुदरत का उपहार है।

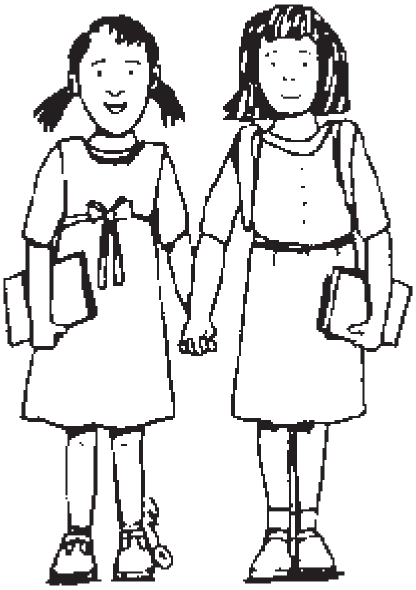

विजयलक्ष्मी एस
सहायक प्रबन्धक (हिन्दी), उद्योगमंडल यूनिट

पासवर्ड

पति और पत्नी आपस में देख रहे हैं। आँखों से आँख पूछती रहीं कि दूसरे ने मन में अब क्या सोच होगा ? मुख तो मन का आईना है न ? मन की चिन्ता तो मुख पर झलकने की रीति है। साजू को लगा कि वीणा के मुख पर कुछ भी गुस्सा या दुख महसूस नहीं होता, बदले में उसके चेहरे पर कुछ मुस्कान जैसा लगता है। सोचने पर साजू का गुस्सा बढ़ गया। उसे लगा कि गलती तो उसकी ही है। कितनी बार फोन किया उठाती ही नहीं और उसने फोन भी लॉक किया हुआ है। वीणा तो अब बात भी कम करती है। मेरी बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं देती, यह सोचकर वह तो पागल होने लगा।

वीणा मन ही मन हँसने लगी। आज तो साजू को क्या हुआ ? शादी के बाद उसे कुछ ऐसा विचार है कि वे ही केवल सच्चा आदमी है। औरों से कुछ बात करने या हँसने से मुझ पर गुस्सा होता है। चेहरे के भाव से मालूम हो जाता है कि साजू तो पुरूष है और सभी से बात करने का अधिकार केवल उसको ही है। ऐसे सोचकर वीणा ने अपना मोबाइल लिया और दोस्त मीनू से बात करने लगी। जब बात करने के बीच हँसने लगी, साजू के मन में लगा कि ऑफिस से अभी वापस आयी है, इतने समय में क्या घटना हुई कि इतने ज़ोर–ज़ोर से हँसने लगी।

साजू घर से बाहर चला गया। उसका मन ऐसा ही सोचने लगा कि क्यों वीणा ने मोबाइल को पासवर्ड देकर लॉक किया है, कल तक उसको इसकी आदत नहीं थी। वीणा प्यार भरी आवाज़ में सजी सजी बोलके बात कर रही थी। आजकल ऐसा संबोधन कम हो गया है। किससे इस बारे में चर्चा की जा सकती है। माता–पिता दोनों को वीणा ने अपने वश में कर रखा है इसलिए उनसे कहने से कोई फायदा नहीं।

आज की घटना पर वह बार–बार सोचने लगा। हर दिन की तरह दोनों एक साथ ऑफिस से वापस आ गये। घर आते ही वीणा चाय लेने के लिए अन्दर गयी। उसका फोन टीपोय पर रखा था। रोज़ की तरह वीणा का फोन लिया और 'फोन' बटन दबाया तो मालूम हो गया कि फोन पासवर्ड देकर लॉक किया है। उसे खोलने का असफल प्रयत्न किया। मन में ऐसा विचार नहीं आया कि वीणा को गुस्सा आएगा। जब वह चाय लेकर आई और फोन देखा तो उसको मालूम हुआ कि फोन खोलने का प्रयास किया है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।

उसी समय वीणा का फोन आया। जल्दी ही वीणा फोन लेकर अन्दर चली गयी। तब से शंका होने लगी कि क्यों फोन में पासवर्ड लगा है। क्या मेरी ओर से गलती हो गयी है ? क्या पत्नी का फोन देखना गलती है ? कुछ देर वह अपने आप से प्रश्न पूछता रहा।

अपने जेब में रखे फोन से आवाज़ आयी, तुरन्त उसे देखने से मालूम हो गया कि वीणा है। फोन लेने पर 'मिसडकॉल देखा। एक मिनट सोचने लगा कि वापस कॉल करना है या नहीं। तब तो 'एस एम एस' संदेश की आवाज़ आयी। उसे देखने में कुछ भी समय नहीं लगा, संदेश पढ़ने से उसके मन में खुशी और वदन में मुस्कुराहट आ गया। पासवर्ड – 'सजी'। सजी घर वापस चलने लगा।

हिल (इंडिया) लिमिटेड का राजभाषा के क्षेत्र में योगदान

विश्व हिन्दी परिषद के सौजन्य से राजभाषा संगोष्ठी एवं तकनीकी कार्यशाला का आयोजन

हिल (इंडिया) लिमिटेड के निगमित कार्यालय में विश्व हिन्दी परिषद द्वारा एक दिवसीय राजभाषा संगोष्ठी एवं तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी एवं कार्यशाला में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (वित्त) सहित कंपनी के अन्य कार्मिकों ने भी भाग लिया।

हिल (इंडिया) लिमिटेड का राजभाषा के क्षेत्र में योगदान

राजभाषा प्रदर्शनी

नराकार (उपक्रम–2), दिल्ली द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों के लिए नई दिल्ली में राजभाषा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/उद्यमों को उनके कार्यालय द्वारा राजभाषा की प्रगति हेतु किए जा रहे कार्य, प्राप्त पुरस्कारों, प्रकाशित साहित्यों आदि को प्रदर्शित करने हेतु आमंत्रित किया गया था। इस समारोह का उद्घाटन श्री प्रभास कुमार झा (भा.प्र.से.), सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। राजभाषा संबंधी प्रदर्शनी के अवसर पर हिल (इंडिया) लिमिटेड को प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सचिव राजभाषा विभाग साथ में नराकार अध्यक्ष।

गूगल वॉइस टाइपिंग पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन एवं रक्षक पत्रिका के नए अंक का विमोचन

गूगल वॉइस टाइपिंग पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 08.08.2018 को गूगल वॉइस टाइपिंग पर राजभाषा विभाग के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) महोदय की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया गया तथा व्यावहारिक अभ्यास भी करवाया गया, जिसकी सभी अधिकारियों ने सराहना की तथा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुत उपयोगी बताया ।

स्वतंत्रता दिवस समारोह

हिल (इंडिया) लिमिटेड की रसायनी इकाई में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2018) बड़ी धूम धाम से मनाया गया। संस्थान के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ0 एस.पी. मोहन्ती ने ध्वजारोहण किया एवं परेड की सलामी लेते हुए परेड का निरीक्षण किया। डॉ0 मोहन्ती ने इस दिवस की शुभकामनाएँ देकर अपने वक्तव्य में, सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, महापुरूषों को हृदय से स्मरण किया और उन्हें नमन किया। साथ ही इस राष्ट्रीय पर्व की महत्ता को रेखांकित करते हुए देशभक्ति की भावना का संचार कर देश की एकता, समता, समानता और बंधुत्व की भावना का संदेश दिया। उन्होने कहा कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाकर देश की आर्थिक और सामाजिक विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं।

jk;uh

;fuV

स्वतंत्रता दिवस समारोह 2018

भारी वर्षा और बाढ़ के कारण बहुत कठिनाईयों का सामना करने पर भी यूनिट में वर्ष 2018 के स्वतंत्रता दिवस, हर वर्ष की तरह विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सुचारू रूप से मनाया गया। यूनिट प्रमुख श्री एम एस अनिल की अध्यक्षता में कंपनी के मुख्य द्वार पर संपन्न कार्यक्रम में विभागाध्यक्षों, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भागीदारी हुई थी।

यूनिट प्रमुख ने यूनिट परिसर में राष्ट्रीय झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ किया। उसके बाद, उन्होंने सुरक्षा कार्मिकों के गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकर किया। झंडा फहराने के संदर्भ में राष्ट्रीय गाान का आलापन किया गया।

राष्ट्रीय झंडे को प्रणाम अदा करने के बाद उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस संदेश प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने संदेश के दौरान केरल राज्य की संकटजनक स्थिति की ओर इशारा किया। इस अवसर पर, बाढ़ के दौरान, अपने सभी खोने वाले लोगों की सहायता करने हेतु एक दिन का वेतन देने का आह्वान उन्होंने किया। कर्मचारियों से उन्होंन अपील की, कि सभी कर्मचारी अपनी अंतःशक्ति को समझकर यूनिट की उन्नति के लिए प्रयत्न करें। यूनिट के अस्तित्व एवं सनुहरे भविष्य को ध्यान में रखकर, सभी कर्मचारी मिलजुलकर काम करने करें एवं यूनिट की प्रगति के लिए नितांत परिश्रम करने की आवश्यकता पर उन्होंने ज़ोर दिया। उन्होनें घोषणा की कि गत साल के दौरान उत्तम निष्पादन के आधार पर उद्योगमंडल यूनिट के सहायक प्रबन्धक (वित्त), श्री एम के अनिल कुमार और ऑपरेटर ग्रेड I श्री पी ए नासर इसके लिए हकदार हो गए हैं। उन्हें हार्दिक बधाईयां प्रकट की गईं। इस अवसर पर कंपनी की विशेष नीति के अनुसार प्रशंसा पत्र के लिए हकदार कर्मचारियों को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की ओर से आने वाली गणतंत्र दिवस पर प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा।

स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित निबंध रचना प्रतियोगिता में विजेताओं को यूनिट प्रमुख के कर–कमलों से पुरस्कार प्रदान किए गए।

श्री नंदकुमार के ए, उप प्रबन्धक (मा.सं. एवं प्र.) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई।

हार्दिक बधाई

- रसायनी यूनिट में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डॉ0 एस.पी. मोहन्ती से सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी सम्मान 2017 प्राप्त करते श्री जयेन्द्र करडे। इस उपलब्धि एवं सम्मान के लिए आपको हार्दिक बधाई।

- केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में कंपनी की उद्योगमंडल यूनिट की श्रीमती लक्ष्मी सुबाष को प्रथम तथा रसायनी यूनिट के श्री राजेन्द्र दत्तात्रेय एवं श्री संजय के. ओसवाल को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई।

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बठिंडा के तत्वावधान में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित शब्दानुवाद, अशुद्ध शब्दों करना शुद्ध करना एवं हिन्दी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कंपनी की बठिंडा यूनिट के श्री अभिषेक कौशिक को पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई।

- कंपनी की उद्योगमंडल यूनिट में वर्ष के दौरान अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रचलित रॉलिंग ट्रॉफी इस वर्ष यूनिट के वित्त विभाग को प्राप्त हुई। इस उपलब्धि के लिए उन्हें हार्दिक बधाई।

- माननीय सांसद स्व0 श्री शंकर दयाल सिंह की स्मृति में लागू पुरस्कार योजना के अंतर्गत अपना अधिकाधिक कार्य मूलरूप से हिन्दी में करने के लिए उद्योगमंडल यूनिट की श्रीमती एम.ए. राजेश्वरी को यूनिट प्रमुख की ओर से बधाई प्रमाण पत्र दिया गया।

हिन्दी का उद्देश्य यही है, भारत एक रहे अविभाज्य ,
यों तो रूस और अमरीका, जितना है उसका जनराज्य ,
बिना राष्ट्रभाषा स्वराष्ट्र की, गिरा आप गंगी असमर्थ,
एक भारतीय बिना, हमारी भारतीयता का क्या अर्थ

– राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

स्वच्छ भारत अभियान शपथ

भारत सरकार के दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत हिल (इंडिया) लिमिटेड की कंपनी में दिनांक 01.09.2018 से 15.09.2018 तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसमें सभी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाकर उनमें स्वच्छता के लिए रचनात्मक और वैज्ञानिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निगमित कार्यालय के साथ–साथ अधिनस्थ यूनिटों में चित्रकला, निबंध लेखन एवं कविता लेखन प्रतियोगिताऐं आयोजित की गई तथा प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त कार्मिकों को पुरस्कृत भी किया गया।

निगमित कार्यालय , नई दिल्ली

हिल (इंडिया) लिमिटेड की तीनों यूनिटों में भी सभी कार्मिकों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान शपथ ग्रहण की गई।

उद्योगमंडल यूनिट, केरल

बठिंडा यूनिट पंजाब

रसायनी यूनिट महाराष्ट्र

स्वच्छ भारत अभियान में हिल की सहभागिता

हिल (इंडिया) लिमिटेड में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान शौचालय की महत्वता के बारे में जागरूक करने के साथ–साथ अपने दैनिक जीवन में संक्रमण से बचने के लिए हाथों को साफ रखने एवं अन्य लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाने के लिए निदेशक (वित्त) की उपस्थिति में कार्यालय के सभी कार्मिकों को जानकारी दी गई।

स्वच्छ भारत अभियान में हिल की सहभागिता

हिल (इंडिया) लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान विभागाध्यक्ष एवं चयनित स्वच्छता दूतों के साथ स्वच्छता संबंधी मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करते आदरणीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय डॉ0 एस.पी. मोहन्ती एवं निदेशक (वित्त) महोदय श्री अंजन बनर्जी।

स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से टाउनशिप, मोती नगर में हिल (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय डॉ0 एस.पी. मोहन्ती एवं निदेशक (वित्त) महोदय श्री अंजन बनर्जी के साथ अन्य कार्मिक।

स्वच्छ भारत अभियान के दौरान बठिंडा यूनिट, हिल (इंडिया) लिमिटेड के परिक्षेत्र में यूनिट प्रमुख श्री पी डी संकपाल साथ मे यूनिट के अन्य कार्मिक।

सेवानिवृत्ति/स्वेच्छा सेवानिवृत्ति एवं त्याग पत्र के अवसर पर हिल (इंडिया) लिमिटेड परिवार अपने निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सुखद भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना करता है।
(अप्रैल, 2018 से सितम्बर, 2018 तक सेवानिवृत्त/स्वेच्छा सेवानिवृत्त/त्याग पत्र प्राप्त अधिकारी एवं कर्मचारी)

क्र0सं0	नाम	पदनाम	तैनाती स्थान
1.	श्री प्रशांत कुमार (त्याग पत्र)	विपणन अधिकारी (समन्वय)	निगमित कार्यालय
2.	श्री सुरेश चंद्र	अधिकारी (प्रशासन)	निगमित कार्यालय
3.	श्री साहेब राव निम्बा अहिरे	प्रचालक श्रेणी III	रसायनी यूनिट
4.	श्री भाऊ रामू लाले	फोरमैन इन्स्ट्रूमेंट मेके.	रसायनी यूनिट
5.	श्रीमती अलका सीताराम चव्हान	लेखा अधिकारी	रसायनी यूनिट
6.	श्री कंडलिक मारूती पावर	प्रचालक श्रेणी I (विशेष)	रसायनी यूनिट
7.	श्री शंताराम बाबू भंडारकर	अनुरक्षा पर्यवेक्षक	रसायनी यूनिट
8.	श्री पद्माकर शंकर बाबू चोरघे	प्रचालक श्रेणी I (विशेष)	रसायनी यूनिट
9.	श्री कृष्णा यशवंत पांगत	प्रचालक श्रेणी I (विशेष)	रसायनी यूनिट
10.	श्री पुरूषतोम जनार्दन ठाकुर	पारी उत्पादन पर्यवेक्षक	रसायनी यूनिट
11.	श्री दत्तात्रेय बुधाजी कोली	वेलडर श्रेणी I	रसायनी यूनिट
12.	श्री जयराम गोपाल देसमाने	प्रचालक श्रेणी II	रसायनी यूनिट
13.	श्री भगवान जानु कोंडीलकर	प्रचालक श्रेणी	रसायनी यूनिट
14.	श्री रामचंद्र शंकर भोईर	फिटर श्रेणी II	रसायनी यूनिट
15.	श्री रघुनाथ कृष्णा माली	रिगर श्रेणी I	रसायनी यूनिट
16.	श्री रमाकांत विष्णु कोरडे	प्रचालक श्रेणी I (वि.श्रे.)	रसायनी यूनिट
17.	श्री दत्तात्रय तुकराम जाधव	फिटर श्रेणी III	रसायनी यूनिट
18.	श्री जनार्दन शंकर गाढ़े	प्रचालक श्रेणी III	रसायनी यूनिट
19.	श्री अनंत परशुराम पाटील	प्रचालक श्रेणी III	रसायनी यूनिट
20.	श्री अरूण यशवंत पाटील	प्रचालक श्रेणी I	रसायनी यूनिट
21.	श्री नामदेव भागा कातरी	अकुशल कामगार	रसायनी यूनिट
22.	श्री दशरथ काशीनाथ वाघ	प्रचालक श्रेणी III	रसायनी यूनिट
23.	श्री बारकु हरिशचंद्रा कोली	प्रचालक श्रेणी III	रसायनी यूनिट
24.	श्री रघुनारथ हरिराम कोली	प्रचालक श्रेणी III	रसायनी यूनिट
25.	श्री बालकृष्ण चंदर कोली	रिगर श्रेणी III	रसायनी यूनिट
26.	श्री बालकृष्ण हडकु कोली	प्रचालक श्रेणी III	रसायनी यूनिट
27.	श्री मालिनाथ शिवया गलूरगी	फोरमैन, रेजिरेट एवं कंप्रेसर प्रचालक	रसायनी यूनिट
28.	श्री बालकृष्ण हरिबाहु गायकर	प्रचालक श्रेणी II	रसायनी यूनिट
29.	श्री भाऊ ताना जी म्हात्रे	प्रचालक श्रेणी II	रसायनी यूनिट
30.	श्री दीपक नरहर पुण्डले	वरिष्ठ सहायक	रसायनी यूनिट

क्र0सं0	नाम	पदनाम	तैनाती स्थान
31.	श्री मधुकर पांडुरंग ठाकुर	प्रचालक श्रेणी II	रसायनी यूनिट
32.	श्री चन्द्रकान्त काशिनाथ तांबडे	प्रचालक श्रेणी II	रसायनी यूनिट
33.	श्री अशोक बालाराम रसाल	प्रचालक श्रेणी II	रसायनी यूनिट
34.	श्री मधुकर मोरेश्वर पाटील	फिटर श्रेणी II	रसायनी यूनिट
35.	श्री सूर्यकांत हरिभाऊ विचारे	विक्रय अधिकारी	रसायनी यूनिट
36.	श्री भालचन्द्र धोंडू पाटील	फिटर श्रेणी III	रसायनी यूनिट
37.	श्री गोविंद सिंह यादव	विश्लेषक	रसायनी यूनिट
38.	श्री पंढरीनाथ पांडुरंग पाटील	प्रचालक श्रेणी I (विशेष)	रसायनी यूनिट
39.	श्री शांतराम गनु गाताड़े	प्रचालक श्रेणी II	रसायनी यूनिट
40.	श्री बाबा साहेब धोंडिबा सोनवणे	प्रचालक श्रेणी II	रसायनी यूनिट
41.	श्री राजेन्द्र कंटया मानकारी	प्रचालक श्रेणी (विशेष)	रसायनी यूनिट
42.	श्री मधुकर रामभाउ चव्हाण	फिटर श्रेणी II	रसायनी यूनिट
43.	श्री बी बी झिंगे	रेफ्रिजरेटर एवं कंप्रेसर प्रचालक श्रेणी II	रसायनी यूनिट
44.	श्री प्रेमनाथ आत्माराम पाटील	रेफ्रिजरेटर एवं कंप्रेसर प्रचालक श्रेणी II	रसायनी यूनिट
45.	श्री जमानाथ पांडुरंगे	प्रचालक श्रेणी II	रसायनी यूनिट
46.	श्री पांडुरंग नाथ काले	वरिष्ठ सहायक विशेष (श्रेणी)	रसायनी यूनिट
47.	श्री नितिन कृष्णा जी सोमन	अनुरक्षा पर्यवेक्षक	रसायनी यूनिट
48.	श्री चन्द्रकान्त किशन खुटकर	कार्यालय परिचर	रसायनी यूनिट
49.	श्रीमती सुनिता पांडुरंग मुंढे	अकुशल कामगार	रसायनी यूनिट
50.	श्री यशवंत गोपाल पाटील	सहायक अधिकारी (लेखा)	रसायनी यूनिट
51.	श्री धोंडू बालाराम वाघ	फोरमैन फिटर	रसायनी यूनिट
52.	श्री विजय कुमार सोमचंद शाह	सहायक प्रबंधक (उत्पादन)	रसायनी यूनिट
53.	श्री डेविस पी आई	सहायक प्रबन्धक (स्टोर)	उद्योगमण्डल यूनिट
54.	श्रीमती लता पी	मानव संसाधन अधिकारी	उद्योगमण्डल यूनिट
55.	श्री जोण टी वी	एल.एम. फिट्टर	उद्योगमण्डल यूनिट
56.	श्री जोय के ए	उप प्रबन्धक (उत्पादन)	उद्योगमण्डल यूनिट
57.	श्री उण्णी के पी	एल.एम. (ऑ)	उद्योगमण्डल यूनिट
58.	श्री जोण के ए	एल.एम. (ऑ)	उद्योगमण्डल यूनिट
59.	अशोक सोम	वरिष्ठ सहायक	बठिंडा यूनिट
60.	शिव कुमार चुग	अधिकारी (लेखा)	बठिंडा यूनिट
61.	विनोद कुमार	फिटर श्रेणी – I	बठिंडा यूनिट
62.	रंजू लाल मीणा	प्रचालक श्रेणी – I (विशेष)	बठिंडा यूनिट
63.	अनिल कुमार छाबड़ा	अभियांत्रिकी प्रबन्धक	बठिंडा यूनिट
64.	अनिल कुमार निगम	सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)	बठिंडा यूनिट

क्र0सं0	नाम	पदनाम	तैनाती स्थान
65.	सतेन्द्र कुमार	वरिष्ठ सहायक (विशेष)	बठिंडा यूनिट
66.	श्री भगवान यादव	फिट्टर श्रेणी – II	बठिंडा यूनिट
67.	श्री संदीप	अधिकारी (लेख)	क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – हैदराबाद
68.	श्री वसीम खान नायटा	अधिकारी (बीज उत्पादन)	क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – हैदराबाद
69.	श्री जे.पी. डेगरा	उप विपणन प्रबन्धक	क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – चण्डीगढ़
70.	श्री जी.आर. ढकाते	वरिष्ठ सहायक (विशेष श्रेणी)	क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – अहमदाबाद
71.	श्री जी.एस. रेड्डी	क्षेत्रीय विपणन प्रबन्धक	क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – हैदराबाद

श्रद्धांजलि

स्व0 श्री नेत्रपाल सिंह,
वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर, निगमित कार्यालय

के निधन पर समस्त हिल परिवार
भावपूर्ण श्रद्धांजलि आर्पित करता है।
रक्षक पत्रिका में आपके लेख याद रखे जाएंगे।

हिल (इंडिया) लिमिटेड को वर्ष 2017–18 के दौरान अपने कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के बेहतर प्रदर्शन के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री स्व0 श्री अनन्त कुमार जी के कर–कमलो से पुरस्कार प्राप्त करते कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डॉ0 एस.पी. मोहन्ती तथा महाप्रबन्धक (मा.सं. एवं प्र.) श्री पी.सी. सिंह।

श्री समीर कुमार बिस्वास इंडिया कैम 2018 में श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक हिल तथा श्री अंजन बनर्जी, निदेशक (वित्त) को श्री पी. राघवेन्द्र राव, भा.प्र.से., सचिव, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग एवं श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (रसायन एवं उर्वरक) की उपस्थिति में ''सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सर्वश्रेष्ठ सरकारी पहलों'' पर फिक्की अवॉर्ड प्रदान करते हुए ।

विश्व हिन्दी परिषद द्वारा दिनांक 14.09.2018 को आयोजित हिन्दी दिवस समारोह एवं कवि सम्मेलन के अवसर पर डॉ0 सत्यपाल सिंह, माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के कर–कमलों से हिन्दी ''गौरव पुरस्कार'' प्राप्त करते हुए डॉ0 एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिल (इंडिया) लिमिटेड।

समृद्धि हेतु सुरक्षा

हिल (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्व में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड)
(भारत सरकार का उद्यम)

निगमित कार्यालय

द्वितीय मंजिल, कोर–6, स्कोप काम्पलैक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003
दूरभाषः 24362100, 24361107, फैक्सः 24362116
ई–मेलः hilheadoffice@gmail.com वेबसाइटः www.hil.gov.in

अलवॉय	:	उद्योगमंडल, एल्लोर पो.ओ., एरनाकुलम जिला, केरल– 683501 दूरभाषः 0484–2545217, फैक्सः 0484–2545464, ई–मेलःhiludl@dataone.in
रसायनी	:	रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र–410207, दूरभाषः 02192–250391, फैक्सः 02192–250392 ई–मेलः hilrasayani@bsnl.in
बठिंडा	:	ए–4, इन्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर, मनसा पटियाला रोड, बठिंडा, पंजाब– 151001 दूरभाष : 0164–6533050, फैक्सः 0164–2430099, ई–मेलः hilbathinda@gmail.com, hilbpi@gmail.com

अनुसंधान एवं विकास कॉम्पलैक्स

सेक्टर 20, उद्योग विहार, गुडगांव, हरियाणा–122016 दूरभाषः 0124–2341674
ई–मेलः hilrd2009@gmail.com

क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय

अहमदाबाद	hilahd@gmail.com	0792-7682520
बैंगलोर	hilrsobangalore@gmail.com	080-23464343
चण्डीगढ़	hilrsonorth@gmail.com	0172-2776263
कोयम्बटूर	hilrsocbe@gmail.com	0422-2425235
हैदराबाद	hilhydagro@gmail.com	0402-3234098
कोलकाता	hileast2015@gmail.com	0332-2367930
पुणे	hilpune@rediffmail.com	9001991243